लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 2-8-92
Parliament Library

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया   Price One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25, शुक्रवार, 25 जून, 1971/4 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 25, Friday, June 25, 1971/Asadha 4, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
721	भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य-करण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion made by Administrative Reforms Commission regarding working of Reserve Bank of India ..	1—2
722	भारत की सांस्कृतिक परम्परा से छात्रों को परिचित कराने की योजना	Scheme to familarise Students with India's Cultural Heritage ..	3—4
724	वैस्ट कोस्ट रोड का निर्माण	Construction of West Coast Road ..	4—5
725	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के निरीक्षकों की कारखानों में नियुक्ति	Posting of Inspectors of Central Excise Department in Factories ..	5—8
727	यात्री किराये में वृद्धि का एयर इंडिया के यातायात पर प्रभाव	Effect of Increase in Passenger Fare on Air India Traffic ..	8—9
728	इंडियन एयरलाइन्स में प्रशिक्षित विमान चालकों की कमी	Shortage of Trained Crew with Indian Airlines ..	9—10
729	डकोटा विमानों के स्थान पर एवरो विमानों का प्रयोग	Replacement of Dakota Servicc by Avro Air-craft ..	10—12
730	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में संशोधन	Amendment of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act ..	12
731	कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तका-लय से पुस्तकों का गायब होना	Missing of Books from National Library Calcutta ..	12—14
732	व्यास नदी पर पुल का निर्माण	Construction of a Bridge over river Beas ..	14

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
733 राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने के अभियान के कारण हुई हानि	Loss incurred on account of drive for Branch expansion of Nationalised Banks ..	14—15
734 केरल में कोचीन पत्तन का विस्तार	Expansion of Cochin Port in Kerala ..	15—16
735 एयरलाइनों द्वारा निर्धारित भाड़े से कम भाड़ा लिया जाने का कार्य	Airlines indulging in under cutting of Fares ..	17—18
736 अफीम की खेती	Cultivation of Opium .	18—19
737 छोटे सिक्कों की जमाखोरी	Hoarding of Small Coins ..	19—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
723 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़ तथा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों पर लिया जाने वाला ब्याज	Interest charged by Nationalised Banks on Loans to large and Small Scale Industries ..	21
726 मद्रास और दिल्ली में बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता	Need for Mass Transport system in Madras and Delhi ..	21
738 सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उपयोग	Utilisation of Financial resources available from Nationalisation of General Insurance ..	22
739 वेतन तथा आय के सम्बन्ध में एकीकृत नीति	Integrated Wages and Income Policy ..	22
740 एयर इंडिया को बोइंग 747 विमान सेवा आरम्भ करने से आय	Earnings due to introduction of Being 747 by Air India .	22—23
741 इम्फाल और सिल्चर के बीच इंडियन एयर लाइन्स के विमानों की शटल सेवा बढ़ाने की आवश्यकता	Need for increasing Shuttle Flights of Indian Airlines between Imphal and Silchar ..	23
742 प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिये समय बढ़ाये जाने का अनुरोध	Extension of Time to Press Trust of India for holding Annual General Meeting ..	23—24
743 कोचीन बन्दरगाह पर खुले समुद्र में जहाजों के लिये संचार सुविधाओं का अपर्याप्त होना	Inadequacy of Communication Facilities for the Ships on the High Seas at Cochin Harbour ..	24

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
744	कृषि क्षेत्र के लिये संस्थागत ऋण हेतु अखिल भारतीय किसान सभा की मांगें	Demands by All India Kisan Sabha for Institutional Credit for Agricultural Sector ..	24—25
745	एशियाई विकास बैंक के लिये भारत का अंशदान	India's Contribution to Asian Development Bank ..	25—26
746	राष्ट्रीय राजपथों पर मील के पत्थरों पर तीन भाषाओं में लिखा जाना	Script in three languages on milestones on National Highways ..	26
747	कालीकट में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव	Proposal for an Airport at Calicut ..	27
748	ऐच्छिक समाज कल्याण संगठनों को प्राथमिक पूर्व विद्यालय चलाने के लिए अनुदान देना	Grants to Voluntary Social Welfare Organisations for Running Pre-Primary Schools..	27
749	आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकलवाया जाना	Overdrafts by Andhra Pradesh Government..	28
750	विशाखापत्तनम बाह्य बन्दरगाह पर निर्माण कार्य	Construction work at Visakhapatnam Outer Harbour ..	28—29

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3098	बुरहानपुर की बीबी की मस्जिद की जीर्ण अवस्था	Dilapidating condition of Bibi Ki Masjid in Burhanpur ..	29
3099	दिल्ली में पाकिस्तानी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Pakistani Currency at Delhi ..	29
3100	मध्य प्रदेश में किसानों को ऋण दिया जाना	Loans to Farmers in Madhya Pradesh ..	29—30
3101	आयकर की बकाया राशि की वसूली	Realisation of Arrears of Income tax ..	30
3102	मध्य प्रदेश के नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Cities in Madhya Pradesh ..	30
3103	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर का अपर्याप्त होना	Inadequate rate of scholarship to S. C. and S. T. Students ..	30—31
3104	महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students in Maharaja Sayajirao University Baroda ..	31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3105	इयर लाइंस कर्मचारियों को अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा पर कर भुगतान की छूट की मांग	Demand for Exemption of Airlines Employees from payment of Levy on International Air Travel ..	31—32
3106	सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्ति	Persons Manning Public Undertakings ..	32
3107	चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिये आंवटित की गई और उन पर खर्च की गई धनराशि	Amount allocated and spent on roads during the Fourth Five Year Plan ..	32—34
3108	राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों में कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Executives for the Nationalised Insurance Companies	34
3109	उद्योगों को ऋण सुविधा की व्यवस्था	Provision of credit facilities for Industries ..	34
3110	नेपाल के लिये आयातित माल की रास्ते में जहाजों से चोरियां	Theft and pilferages of imported goods meant for Nepal while in transit in Ships	35
3111	अफीम का निर्यात	Export of Opium	35
3112	डा० धर्मतेजा का मुकदमा	Trial of Dr. Dharma Teja ..	36
3113	पश्चिम बंगाल में स्थाई देयता शिविरों को बन्द करना	Winding up of Permanent Liability Camps in West Bengal ..	36
3114	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता में वृद्धि	Increase in Financial Assistance by Industrial Finance Corporation of India ..	36—37
3115	सीमेंट आवंटन और समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच	Inquiry against cement allocation and coordinating Organisation	37
3116	विदेशों में भेजे गये शिष्ट मंडल	Delegations sent abroad ..	37
3117	केरल में कुष्ट रोगी संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Kerala Lepers' Association ..	38
3118	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की रोजगार योजना तैयार करने सम्बन्धी योजना	Plan of All India Council of Technical Education to draw Employment Scheme ..	38
3119	चीनी पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Sugar ..	38—39
3120	राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण देने के बारे में अध्ययन करने हेतु गठित की गयी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee set up to Study grant of loans through Nationalised and Cooperative Banks	39
3121	चीनी पर उत्पादन शुल्क में कमी	Reduction in Excise Duty on Sugar ..	40
3122	मैसूर को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Mysore ..	40
3123	पेरिस में भारत सहायता संघ का सम्मेलन	Conference of Aid India Consortium in Paris ..	40—42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3124	धन जमा करने वालों के लिये बीमा व्यवस्था	Insurance cover for deposit holders ..	43
3125	होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण	Loans granted under Hotel Development Loans Scheme ..	43—44
3126	मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के लिये प्राप्त आवेदन पत्र	Applications for loans received by Nationalised Banks in Certain Districts of Madhya Pradesh ..	44
3127	विदेशों में मध्य प्रदेश के मन्दिरों और ऐतिहासिक स्थानों के बारे में प्रचार	Publicity regarding temples and historical places of Madhaya Pradesh in Foreign Countries ..	44
3128	इंडियन एयर लाइन्स के विमान चालकों से तस्करी सोना बरामद किया जाना	Recovery of smuggled gold from pilots of Indian Airlines	45
3129	तस्करी का सामान ले जा रही एक यंत्रीकृत नौका का पकड़ा जाना	Capture of mechanized vessel carrying smuggled Goods	45
3130	आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत एकत्रित किया गया धन	Amount collected under the Emergency Risks (Factories) Insurance Act, 1962 ..	45—46
3131	सोना और चांदी का आयात	Import of gold and silver ..	46
3132	निषिद्ध सोने का पकड़ा जाना	Seizure of contraband gold	46—47
3133	नाविकों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger strike by Seamen ..	47
3134	नई दिल्ली में अन्य एक होटल चलाने के बारे में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा किया गया निर्णय	Decision by ITDC to run another hotel in New Delhi	47—48
3135	सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति प्राप्त कर्मचारी	Deputationists in public undertakings	48
3136	वायु सेना, एयर इण्डिया तथा इंडियन एयर लाइन्स के विमान चालकों के वेतनमान तथा अन्य सुविधायें	Pay scales and other facilities to Pilots in Air Force, Air India and Indian Airlines ..	48—49
3137	एयर इण्डिया के कार्य परिणाम	Working results of Air India	49
3138	सीमा शुल्क अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of the customs study team ..	49—50
3139	विदेशों से प्राप्त पूंजीगत सहायता	Capital aid received from Abroad ..	50

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

3140 हल्दिया गोदी और पत्तन परियोजना में केन्द्रीय गोदी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of the recommendations of Central Dock Wage Board in Haldia Dock and Port Project	..	50—51
3141 स्टेट बैंक आफ इंडिया में टेलीफोनकाल के आधार पर धन राशि देने की प्रथा	Practice to hand over money on telephone calls by the State Bank of India	..	51
3142 तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्मित पर्यटक होस्टल	Tourist hostels constructed during the Third Plan period	..	51
3143 प्रशासनिक व्यय में कमी करना	Reduction in expenditure on Administration	..	52
3144 स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ताड़ेपली गुडम (आन्ध्र प्रदेश) के छोटे और बड़े किसानों को सहायता	Financial assistance to small and big farmers at Tadepalligudam (Andhra Pradesh) by State Bank of India	..	52
3145 कोचीन बन्दरगाह पर कन्टेनर बर्थ का निर्माण करने की योजना	Plan to build a Container Berth at Cochin Port	..	53
3146 अध्यापक विद्यार्थी ग्रीष्मकालीन शिविर	Teachers students summer camps	..	53—55
3147 राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के सदस्य	Posts held by members of S. C. & S. T. in NCERT		55—56
3148 गुजरात के बन्दरगाहों के लिये विद्युत चालित क्रेनों की मांग	Demand for electrically operated cranes for use at ports in Gujarat	..	56
3149 गुजरात में बेड़ी बन्दरगाह पर गोदाम सम्बन्धी सुविधायें	Storage facilities at Bedi Port in Gujarat	..	56—57
3150 गुजरात के बन्दरगाहों में तलकर्षण सम्बन्धी सुविधाएँ	Dredging facilities at ports in Gujarat	..	57
3152 एकाधिकार गृहों पर आयकर और अन्य करों की बकाया धन राशि	Arrears of Income Tax and other taxes due from Monopoly Houses	..	57
3153 एझीमाला और बेक्कल का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Ezhimala and Bekkal as Tourist Centres	..	58
3154 बंगलौर में दो नये पैसे के सिक्कों का बेचा जाना	Selling of 2-NP coin in Bangalore		58
3155 एयर लाइन्स हाउस, नई दिल्ली से अनुभागों का स्थानान्तरण	Sections shifted from the Airlines House, New Delhi	..	58—59

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		

3156 चाय बागान मालिकों पर आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income tax due from Tea Planters ..	59
3157 अध्यापन साधन विभाग में सभा भवन किराये पर लेना	Hiring of Auditorium in Department of Teaching Aids	59—61
3158 राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के क्षेत्रीय शिक्षा कालेज को सप्लाई किये गये उपकरण	Equipment supplied to Regional Colleages of Education of the National Council of Educational Research and Training ..	61—62
3159 राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के शैक्षिक कर्मचारियों द्वारा पत्रिकाओं में लेख और पेपर के प्रकाशन के लिये अनुमति	Permission for Publication of Articles and Papers in Journals by Members of Academic Staff of NCERT	62
3160 मंत्रालयों की स्टाफ कारों के लिये पेट्रोल पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Petrol for the Staff cars in Ministries	62—63
3161 जापान में परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अध्ययन	Study of Examination Reform in Janpan ..	63—65
3162 अफीम की खेती	Cultivation of Opium	65
3163 अफीम की खेती	Cultivation of Opium	65—66
3164 कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्य के बारे में शिकायत	Complaint re : working of IIT Kanpur ..	66
3165 आम बीमा कम्पनियों में काम कर रहे कर्मचारी	Employees working in General Insurance Companies ..	66
3166 सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों की मांगें	Demands of the Employees of General Insurance Companies ..	67
3167 सम्पत्ति कर की वसूली	Recovery of Wealth Tax	67
3168 कोचीन स्थित सीमा शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of the Employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Customs Department, Cochin ..	67—68
3169 मील के पत्थरों तथा अन्य सूचना पट्टों पर प्रयुक्त भाषा	Language used on sign posts for Mileage and other notices ..	68
3170 बोइंग 737 विमान के उड़ान के समय चालकों के साथ अमरीकी विशेषज्ञों का होना	American experts flying along with Boeing 737 Pilots	68
3171 मनीपुर में ललित कला अकादमी की स्थापना के बारे में हुई प्रगति	Progress made in establishing Lalit Kala Akademy in Manipur ..	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3172	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मनीपुर की स्थापना	Establishment of Board of Secondary Education, Manipur ..	69
3173	बिहार में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलना	Starting new Central Schools in Bihar ..	70
3174	बेगूसराय-पूर्णिया तथा बरौनी-बेगुसराय के बीच राष्ट्रीय राजपथ पर दुर्घटनायें	Accidents on National Highway between Begusarai, Purnea and Barauni Begusarai	70
3176	नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा श्रेणी I तथा II के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का मुफ्त आवंटन	Free text books to students of class I and II by New Delhi Municipal Committee ..	70
3177	कोटा स्थित उत्पाद शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या	Employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Excise Department, Kotah ..	70—71
3178	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के वित्तीय ढांचे की जांच	Enquiry into financial structure of Press Trust of India ..	71
3179	क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड, बम्बई द्वारा स्विचों की खरीद	Purchase of switches by Crompton Greeves Limited, Bombay ..	72
3180	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Eastern Districts of Uttar Pradesh ..	72
3181	मिथिला विश्वविद्यालय	Mithila University	72
3182	विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of University level Text Books ..	73
3183	कलकत्ता, बम्बई और मद्रास पत्तनों पर माल लादने और उतारने की क्षमता	Carrying Capacity of Calcutta, Bombay and Madras Ports ..	73—74
3184	विभिन्न कम्पनियों के साथ कुछ बैंकों का विलय	Merger of some banks with different Companies	74—75
3185	पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली की एक शाखा में डकैती	Robbery in the Branch of Punjab National Bank, New Delhi ..	75
3186	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के व्यापार प्रबन्ध डिग्री पाठ्यक्रम को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मान्यता न दिया जाना	Non-recognition to Degree Course in Business Management of Banaras Hindu University by UPSC	75—76
3187	देवघर कालेज, बिहार के छात्रावास के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध	Request to UGC for Grants for Construction of Hostel for Deoghar College, Bihar	76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3188 यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा राजनीतिक दलों को दिया गया अग्रिम धन	Advance given to Political Parties by United Commercial Bank	76—77
3189 औद्योगिक वित्त निगम और जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans given by Industrial Finance Corporation and Life Insurance Corporation	77—78
3190 त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के राजपत्रित अधिकारी	Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Gazetted Ranks in Tripura ..	78—79
3191 राम कृष्णन महाविद्यालय, त्रिपुरा का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of Ram Krishan Mahavidyalaya, Tripura	79
3192 कश्मीर में बौद्धकालीन वस्तुओं का खुदाई में पाया जाना	Excavation of Buddhist Era Objects in Kasmir	79
3193 बिहार में छोटे पैमाने पर व्यापार के लिए नकदी शाख ऋण (कैश क्रेडिट लोन)	Cash credit loan for small business in Bihar	79—80
3194 करों की बकाया राशि की वसूली	Recovery of arrears of Taxes ..	80—81
3195 जैसलमेर और जोधपुर का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Jaisalmer and Jodhpur as Tourist Centres	81
3196 तमिलनाडु में नागापत्तिनम में समुद्री तूफान के बारे में चेतावनी देने वाले राडार यन्त्र को स्थापित करने का निर्णय	Decision to set up Cyclone Warning Radar Instrument at Nagapattinam in Tamil Nadu ..	82
3197 स्कूल और कालेज की पाठ्य पुस्तकों के मूल्य	Prices of School and College Text Books ..	82—83
3198 भारत और सऊदी अरब के बीच विमान सेवा सम्बन्धी समझौता	Air agreement between India and Saudi Arabia	83—84
3199 दिल्ली स्थित अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना	Seizure of gold at inter state Bus Terminus, Delhi ..	84
3200 स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum received from the Presidents of Stock Exchanges ..	84—85
3201 जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिये गये शेयर	Shares held by Life Insurance Corporation; State Banks of India and other Nationalised Banks ..	85
3202 व्यस्क महिलाओं के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम	Condensed Courses for Adult Women ..	85—86

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
3203 सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध चलाने के लिये व्यावसायिक प्रबन्धक संवर्ग	Cadre of Professional Managers to man Public Undertakings ..	86—87
3204 केरल को ऋण	Grant of Loan to Kerala ..	87
3205 केरल में सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान	Grants to Cultural Institutions in Kerala ..	88
3206 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विदेश जाने के लिये रियायतें देने का प्रस्ताव	Proposal to give concessions to Central Government Employees for going Abroad ..	88
3207 बैंकों द्वारा किसानों और व्यापारियों को ऋण दिये जाने की योजना	Scheme for granting loans to Farmers and Businessmen by Banks ..	89
3208 तीर्थ स्थानों का पर्यटक आकर्षण स्थानों के रूप में चयन	Selection of Pilgrim Centres as Places of Tourist attraction	89
3209 चौथी योजना के दौरान पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये आन्ध्र प्रदेश को धन राशि का आवंटन	Allocation of Funds to Andhra Pradesh during Fourth Plan for development of Tourist Centres ..	89
3210 सामाजिक नीति संकल्प	Social Policy Resolution ..	90
3211 अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शिक्षा विकास के बारे में इलायपेरुमल समिति की सिफारिशें	Recommendations of Elayaperumal Committee on Untouchability and Economic and Educational Development of Scheduled Castes ..	90
3212 राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती, लूट और धोखाधड़ी की घटनायें	Incidents of Dacoity, Loot and Cheating in the Nationalised Banks ..	90—91
3213 आय और धन कर के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आय और धन का निर्धारण	Assessment of Income and Wealth of Rashtriya Swayam Sewak Sangh for Income and Wealth Tax	91
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	91—93
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha ..	93—94
मनीपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971, पर अनुमति	Manipur Appropriation (No. 2) Bill, 1971 —Assent ..	94
विदेश मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Visit by Minister of External Affairs to Certain countries—	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	94—96
सभा का कार्य	Business of the House ..	97—98
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee	98
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	All India Council for Technical Education ..	98

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अनुदानों की मांगें, 1971-72—	Demands for Grants, 1971-72—	
सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय	Ministry of Irrigation and Power	98—116
श्री बी० आर० शुक्ला	Shri B. R. Shukla	99
श्री ईश्वर रेड्डी	Shri Eswara Reddy	99—100
श्री के० के० रामी रेड्डी	Shri K. K. Rami Reddy	100—101
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Misra	101
श्री एम० एस० शिवस्वामी	Shri M. S. Sivasamy ..	101—103
श्री के० बासप्पा	Shri K. Basappa ..	103—104
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh ..	104—105
श्री नरेन्द्र सिंह	Shri Maharaja Narendra Singh	105
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai ..	105—106
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey ..	106—107
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarajun ..	107—108
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki ..	108—109
श्री शिवशंकर प्रसाद यादव	Shri Shiv Shanker Prasad Yadav	109
श्री बी० एन० कुरील	Shri B. N. Kureel	109—110
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao ..	110—115
विधेयक पुरःस्थापित—	Bill introduced—	
(1) श्री अटल बिहारी बाजपेयी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)	(i) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 124) by Shri Atal Bihari Vajpayee	116
(2) श्री पी० के० देव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)	(ii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 124) by Shri P. K. Deo	116
(3) डा० लक्ष्मीनरायण पांडे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (नये अनुच्छेद 24 क और 24 ख का अन्तः स्थापन)	(iii) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new Articles 24A and 24B) by Dr. Laxminarain Pandey ..	117
संविधान संशोधन विधेयक (नये अनुच्छेद 23 क और 23 ख का अन्तःस्थापन) डा० कर्णी सिंह द्वारा वापस लिया गया	Constitution (Amendment) Bill—withdrawn (Insertion of new article 23A and 23B) by Dr. Karni Singh ..	117—128
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	128
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ..	117
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla ..	117—118
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	118
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami ..	119

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	..	119
श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	..	119—120
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	..	120—123
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	..	123—128
श्री जगन्नाथ राव जोशी का संपरिवर्तन रोक विधेयक	Prevention of Conversion Bill by Shri Jagannathrao Joshi	..	129
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	..	129
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	..	129—130
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar		130
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	..	130—131
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	..	131
पंडित डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tewari	..	131—132
श्री दण्डपाणि	Shri Dhandapani	..	132—133
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	..	133
चम्बा स्थिति हरि राय मन्दिर से चुराई गई विष्णु भगवान की मूर्ति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Vishnu idol stolen from Hari Rai Temple, Chamba	..	134
श्री राजबहादुर	Shri Raj Bahadur	..	134

LOK SABHA
लोक-सभा

शुक्रवार, 25 **जून**, 1971 / 4 **आषाढ़**, 1893 **(शक)**
Friday, June 25, 1971 / Asadha 4, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया सुझाव

+

*721. **श्री के० लकप्पा :**
श्री नुग्घल्ली शिवप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर लिया गया है और उन्हें क्रियान्वित किया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त मामले में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके, विचार किया जा रहा है। इन सुझावों में से कुछ सुझाव उन मामलों से सम्बन्धित हैं जिन पर अब बैंकिंग आयोग विचार कर रहा है। आशा है, बैंकिंग आयोग इस वर्ष के अन्त तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा। प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों पर उसके बाद निर्णय लिया जायगा।

श्री के० लकप्पा : इस देश में ऋण प्रणालियों एवं जमा राशियों पर भारत के रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। क्या सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की चेष्टा करेगी। मंत्री महोदय ने कहा है कि उक्त आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं। क्या यह सच है कि उक्त आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रहा बैंकिंग आयोग उनके कुछ सुझावों पर सहमत नहीं है और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सच नहीं है कि बैंकिंग आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रहा है। बैंकिंग आयोग का कार्य-क्षेत्र तथा कार्य की शर्तें पूर्णतः अलग हैं। परन्तु उनमें कुछ बातें सम्बद्ध हैं। इसलिये हम बैंकिंग आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात ही प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार करेंगे।

इस मामले में कुछ भ्रम है, जिसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना प्रतिवेदन देने से पहले एक अध्ययन दल को रिजर्व बैंक की समस्याओं के अध्ययन के लिये कहा। श्री मनुभाई शाह उक्त दल के प्रधान थे। अध्ययन दल ने कुछ सिफारिशें कीं और रिजर्व बैंक में कुछ संगठनात्मक परिवर्तनों के सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि निश्चय ही रिजर्व बैंक देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में अर्थात बैंकों के बैंक के रूप में कार्य कर सकता है। यह विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों एवं उसके संचालन की देख भाल कर सकता है। परन्तु संवर्धनात्मक पहलुओं पर ध्यान देने का कार्य स्वायत्त संस्थाओं द्वारा देखा जा सकता है। श्री मनुभाई शाह के प्रतिवेदन का सामान्यतः यही रुख था।

इस समय संवर्धनात्मक एजेन्सियां रिजर्व बैंक की सहायक के रूप में कार्य कर रही हैं। तथ्य तो यह है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस मामले पर कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार और रिजर्व बैंक का सम्बन्ध अत्यन्त नाजुक मामला है। अतः उन्होंने इसे सरकार के विचारार्थ छोड़ दिया है। इसलिये उन्होंने संवर्धनात्मक एजेन्सियों जैसे, औद्योगिक विकास बैंक, कृषि पुर्नवित्त निगम, पुर्ननिर्माण निगम तथा रिजर्व बैंक की कुछ अन्य संवर्धनात्मक गतिविधियों पर कोई सिफारिश नहीं की है। यह कार्य रिजर्व बैंक की सहायक एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस मामले पर कोई सिफारिशें नहीं की हैं। अतः उनकी अवहेलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम निश्चय ही बैंकिंग आयोग की सिफारिशें मिलने पर उस पर विचार करेंगे।

श्री के० लकप्पा : क्या यह सच है कि विभिन्न संस्थाओं की जमा राशियों एवं ऋण प्रणालियों पर रिजर्व बैंक के नियंत्रण समुचित रीति से नियंत्रित नहीं हैं और यदि हां, तो क्या ऋण प्रणालियों की सुविधाएं देने के लिये और समाज के पिछड़े वर्गों को सहायता देने सम्बन्धी चुनौती स्वीकार करने के हेतु क्या भारत सरकार राष्ट्रीय ऋण परिषद की स्थापना करेगी जो कि पूरी ऋण प्रणालियों को समय की चुनौती के अनुसार नियमित करे ? सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने केवल प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में पूछा था।

श्री के० लकप्पा : किसी नीति निर्माण संस्था को रिजर्व बैंक पर नियंत्रण रखना चाहिये और रिजर्व बैंक के गवर्नर को उक्त संस्था का प्रधान होना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमारी कोई ऐसी नीति निर्माण संस्था नहीं है। पहले एक परामर्श-दातृ समिति थी जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। परन्तु रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों से परामर्श करता है। हम भी समय समय पर सम्मिलित रूप से उस पर विचार करते हैं। स्वभावतः रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंक के नाते, पूरे देश को आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन पहलुओं पर विचार करता है।

भारत की सांस्कृतिक परम्परा से छात्रों को परिचित कराने की योजना

*722. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ठ : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को भारत की सांस्कृतिक परम्परा से परिचित कराने की एक योजना उनके मंत्रालय ने मार्गदर्शी परियोजना के रूप में प्रारम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना से प्रति वर्ष कितने छात्रों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). (i)ऐसा प्रस्ताव है कि चौथी योजना के दौरान देश के 5% माध्यमिक स्कूल और 10% कालिज इस योजना के अन्तर्गत ले आए जाएं ;

(ii) इस योजना के दो भाग हैं । योजना के पहले भाग के अनुसार जो स्कूल और कालिज इस योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे, उनमें से प्रत्येक के कम से कम एक अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाएगा । इन अध्यापकों को लगभग 6—8 सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाएगा । इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विद्याएं शामिल रहेंगी—भारतीय साहित्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक और हस्तशिल्प । दूसरे भाग का सम्बन्ध इन पाठ्यक्रमों के लिये आवश्यक सामग्री के निर्माण जैसे संगीत तथा नृत्य के रिकार्ड डिस्क और टेप ; भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्मारकों आदि के प्रिंट, फोटोग्राफ, स्लाइड और एलबम और अध्यापकों के लिये नियम पुस्तकें प्रकाशित करने से है । इस परियोजना के अन्तर्गत जो स्कूल और कालिज आ जाएंगे उनमें से प्रत्येक को बिना मूल्य के एक किट, जिसमें योजना के अन्तर्गत बनाई गई सामग्री जैसे—डिस्कें, टेप, स्लाइड, प्रिंट, एलबम आदि रहेंगे और एक प्रक्षेपित्र (प्रोजेक्टर) दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे लम्बे उत्तर सभा पटल पर रखे जाने चाहिये ।

Shri N. S. Bisht : Were all the state Governments consulted in this matter; if so, what was their opinions and what amount they would contribute and what would be the Centre's contribution in the amount to be spent for the purpose ?

Shri D. P. Yadava : We are not going to raise funds from the States for this purpose. We just started a pilot project at central level and consultations were made at central level and not at state level.

Shri N. S. Bisht : Where and by whom this refresher course of 6 to 8 weeks would be started, what would be the qualifications of it's, teachers and when would the project start ?

Shri D. P. Yadava : The teachers of history and arts in schools and colleges who are connected with the subjects and graduates or post graduates would take up this 6 to 8 week course. Some university teachers and some experts in these subjects from the Muslims would impart the training. We have already started this education on experimental basis in Delhi university and the first course is being completed tomorrow.

प्रो० मधुदण्डवते : विश्वविद्यालय और कालेजों के छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक परम्परा से परिचित कराने सम्बन्धी इस योजना को कार्यान्वित करते समय क्या इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सामन्ती समाज के प्राचीन परम्परागत मूल्यों को सांस्कृतिक परम्परा न समझा जाये ।

श्री डी० पी० यादव : निश्चय ही हम इस बारे में उचित सावधानी बरतेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार को एक सुझाव है ।

Shri B. S. Bhaura : We find that in our ancient history major role of kings and emperors has been included. Has the Government arranged rewriting of the history so that people may know as to what is the role of the people in our cultural heritage because that is our real cultural heritage.

श्री डी० पी० यादव : यह शैक्षिक मामला है । निश्चय ही इस में सभी ऐसी बातें सम्मिलित करने के लिये शैक्षिक जीवन में सभी योग्य व्यक्तियों से सरकार परामर्श करेगी ।

वैस्ट कोस्ट रोड का निर्माण

*724. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 से मिलाने वाली वैस्ट कोस्ट रोड का निर्माण करने के केरल सरकार के सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). केन्द्रीय वित्तीय सहायता से केरल में विकास किये जा रहे पश्चिम तट सड़क का निर्माण कार्य वलियापत्तनम नदी के ऊपर के पुल और कुछ अन्य निर्माण कार्यों को छोड़कर लगभग पूरा हो गया है और यही सड़क चाल्लीखोरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47-क होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 से जुड़ी हुई है । केरल सरकार ने अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के कार्यक्रम के अन्तर्गत फेरोके को इर्नाकुलम से जोड़ने वाली तटीय सड़क के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता मांगी थी । यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका ।

श्री सी० जनार्दनन : यह सड़क केरल के तटीय क्षेत्र से होकर जाती है जो कि घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है । क्या इस तथ्य पर ध्यान देते हुए सरकार मामले पर पुर्नविचार करेगी और केरल सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार करेगी ।

श्री राज बहादुर : पश्चिमी तट की सड़क की पंक्ति निर्धारित करते समय हम क्षेत्र की आर्थिक महत्ता एवं आर्थिक क्षमता से प्रभावित हुए हैं और हमने पाया कि केरल सरकार द्वारा कुछ समय पहले सुझायी गई पंक्ति बहुत उचित थी । यह दो महत्वपूर्ण उप नगरों अर्थात त्रिचूर तथा अलवाए को मिलाती है । यह आवश्यक नहीं कि सड़क ठीक तट के साथ साथ ही चले । कई स्थानों पर यह 18 से 28 मील दूर है । केरल के इस क्षेत्र में, इस विशेष क्षेत्र में यह तट से औसतन 8.5 मील है ।

श्री सी० जनार्दनन : बम्बई से कन्याकुमारी मार्ग पर यह सबसे छोटी सड़क है । यह लगभग 30 अथवा 34 किलोमीटर कम है । क्या सरकार इस बारे में अपनी नीति पर पुर्नविचार करेगी ।

श्री राज बहादुर : प्रश्न यह है कि किसे मुख्य सड़क माना जाए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि केरल सरकार ने इसे चौथी योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त आर्थिक महत्व की सड़कों की सूची में सम्मिलित नहीं किया। केरल सरकार द्वारा पश्चिमी तट सड़कों की योजना में यह सम्मिलित नहीं की गई थी।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आपने केरल सरकार को सूचित कर दिया है कि इन मामलों में उनके प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। क्या केरल सरकार ने मामले पर पुनर्विचार करके केन्द्र को प्रतिवेदन भेजा है। यदि हां, तो क्या केरल सरकार की प्रार्थना के आधार पर सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री राज बहादुर : सरकार ने 28 सितम्बर, 1969 को ही इस विशेष प्रस्ताव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस स्वीकृत योजना पर काफी धन व्यय हो चुका है। उक्त मार्ग के विकसित करने के पश्चात कई मील दूर अन्य समानान्तर सड़क बनाना वास्तव में लाभदायक नहीं होगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय के वक्तव्यानुसार केरल सरकार को सूचना दे दी गई थी। हाल में सड़क विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी और केरल सरकार ने कुछ प्रस्ताव रखे थे। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करेगी। वे कहते हैं कि यह सड़क मुख्य सड़क के समानान्तर होगी। क्या यह सच नहीं है कि इससे कई नगर जुड़ जायेंगे और तटीय क्षेत्र को नया रास्ता मिलेगा जोकि आर्थिक महत्व का है क्योंकि यह मालाबार के महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ता है ?

श्री राज बहादुर : मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। हमारे स्रोत सीमित हैं और हम निर्णय करते समय कृषि और उद्योग के महत्व पर विचार करते हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में यह संभव नहीं है।

श्री सोमचन्द सोलंकी : मामला पश्चिम तट को सड़कों के निर्माण का है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सौराष्ट्र के तटीय राजपथ पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध केरल की तटीय सड़क से है, न कि गुजरात की।

श्री सोमचन्द सोलंकी : आप इन्कार नहीं करते कि विषय पश्चिमी तट सड़क का है। इस लिये मैं सौराष्ट्र तटीय राजपथ के बारे में पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केरल के राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 से है।

श्री सोमचन्द सोलंकी : मेरे लिये शीर्षक ही पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय उत्तर देने को उद्यत हैं। उन्हें उत्तर देने दिया जाये।

श्री राज बहादुर : मैं स्वीकार करता हूं कि पश्चिम तट की सड़क, यदि मैं भूल नहीं रहा तो महाराष्ट्र में पनबेल से तेल्लिचेरी अथवा एरणाकुलम तक है जहां राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 जाता है। उसमें सड़क का उत्तरीय क्षेत्र अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र तट सम्मिलित नहीं है। मैं एक क्षण के लिये भी यह नहीं कहता कि गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के साथ भी सड़क होनी चाहिए। यह सभी पक्षों द्वारा कार्यवाही करने तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के निरीक्षकों की कारखानों में नियुक्ति

*725. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के निरीक्षकों को कारखाने में कर-निर्धारण के लिए नियुक्त करने के पुराने प्रबन्ध को इस बीच समाप्त कर दिया गया है और अब प्रबन्धकों को केवल उत्पादन/बिक्री सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करना ही आवश्यक है और इसके आधार पर ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्धारित किया जाता है ;

(ख) क्या पुनरीक्षित प्रक्रिया के कारण राजस्व की चोरी होने की सम्भावना रहती है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने के लिए क्या त्रुटिहीन प्रबन्ध किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उत्पादन शुल्क लगने योग्य जिन वस्तुओं पर **स्वनिर्धारण पर निकासी की कार्यविधि** लागू कर दी गई है, उनके सम्बन्ध में शुल्क-निर्धारण के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों को कारखानों आदि में प्रति-नियुक्त करने की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। निर्धारितों को उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं के उत्पादन, निकासियों तथा अन्य सम्बन्धित ब्यौरों की एक मासिक विवरणी ही नहीं देनी होती है बल्कि वस्तुओं की निकासी करने के पूर्व, उपयुक्त अधिकारी के समक्ष पूर्वानुमति के लिए एक ऐसी वर्गीकरण सूची भी प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें यह बताया गया हो कि उत्पादित वस्तुओं का शुल्क निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। जिस मामले में वस्तुओं का शुल्क-निर्धारण वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर करने वाली दर पर किया जाना होता है उसमें ऐसी वस्तुओं की एक **मूल्य-सूची**, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं की निकासियों तथा शुल्क की अदायगियां दर्शाने वाले **दस्तावेज** भी मासिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किये जाने होते हैं।

(ख) तथा (ग). यद्यपि शुल्क वसूली की किसी भी योजना अथवा प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ राजस्व अपवंचन की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, तथापि, स्वनिर्धारण पर निकासी की योजना में राजस्व की चोरी के कुछ पूर्वोपाय स्वतः विद्यमान हैं। फिर भी, सुधार आदि सुझाने के उद्देश्य से स्वनिर्धारण पर निकासी की कार्यविधि की समीक्षा करने के लिए एक समिति स्थापित की जा रही है।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, as this dispute is outstanding since long, I would like to know whether some big industrialists have tried to get some benefits out of this new scheme, as Keshav Ram Mills of Birlas has shown less excise duty ? If so, what action has been taken against them and what steps have been taken to realise the so evaded tax from them ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने विशेषरूप से केशव राम मिल्ज के बारे में प्रश्न पूछा है । इससे सम्बन्धित जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करूंगा और यदि माननीय सदस्य चाहें, तो उन्हें यह सूचना दे दी जाएगी।

स्वनिर्धारण पर निकासी की कार्य विधि 1968 में लागू की गई थी। इस कार्य विधि में परित्राण अन्तर्निहित हैं। जैसा कि मैं विवरण में ही बता चुका हूं, किसी की कराधान प्रक्रिया में कर की चोरी का कोई न कोई रास्ता रहता ही है। परन्तु यह कार्य विधि बहुत संतोषजनक सिद्ध हुई है। जब वस्तुगत पड़ताल वाली कार्य विधि लागू की गई थी तो उसकी भी आलोचना की गई थी

क्योंकि उससे आत्म तुष्टि की भावना आ जाती है। तब ऐसी भावना आ जाती है कि क्योंकि वस्तुगत पड़ताल की जा रही है, वस्तुगत पर्यवेक्षण किया जा रहा है, अतः सब कुछ ठीक हो रहा है। नई कार्य विधि में परित्राण अन्तर्निहित हैं, इसकी कुछ आलोचना की गई है। वित्त मन्त्री ने यह संकेत भी दिया है कि इस की त्रुटियों का अध्ययन एक समिति द्वारा किया जायगा।

Shri Ramavatar Shastri: Mr. Speaker, I would like to know whether that committee has been appointed ? If so, who are the members of the committee ?

श्री के० आर० गणेश : समिति के गठन प्रक्रिया और उसके कार्यों के बारे में मन्त्रालय द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और दो सप्ताहों में यह सारी प्रक्रिया तय हो जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह एक विभागीय समिति होगी ?

श्री० के० आर० गणेश : यह पूर्णतया विभागीय समिति तो नहीं होगी, परन्तु हां, इस समिति में सम्बद्ध हितों को प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जायेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जब वर्ष 1967-68 में पुरानी कार्य विधि लागू थी तो उस समय कितनी आय हुई थी और अब जबकि नई कार्य विधि लागू कर दी गई है तो वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कितनी आय हुई है ? क्या यह ठीक नहीं है कि इस नई कार्य विधि को लागू करने के बाद आय में कमी हुई है ? क्या वह बतायेंगे कि वह अन्तर्निहित परित्राण क्या है ?

श्री के० आर० गणेश : यद्यपि माननीय सदस्य को काफी जानकारी रहती है परन्तु आय के बारे में उनकी जानकारी ठीक नहीं है। आय में कमी नहीं हुई। वर्ष 1968-69 में 1,273.71 करोड़ रुपये का बजट अनुमान था, पुनरीक्षित अनुमान 1,308.25 करोड़ रुपये का और असली वसूली 1,326.61 करोड़ रुपये की हुई थी। इसी प्रकार वर्ष 1969-70 में भी असली वसूली में वृद्ध हुई थी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे खेद से कहना पड़ता है कि यह आंकड़े एकदम गलत हैं। मैं तथ्यों की जांच किये बिना कभी कोई वक्तव्य नहीं देता। क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि वर्ष 1968 में कितना उत्पादन हुआ था, वर्ष 1969-70 में कितना और वर्ष 1970-71 में कितना हुआ था, क्या उत्पादन वृद्धि के अनुरूप ही कर वसूली में भी वृद्धि हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तर्क मत कीजिये। साधारण रूप से अपना प्रश्न पूछिये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उत्तर कहां दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर उन्हें देना है, मुझे नहीं। श्री भट्टाचार्य।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या नई कार्यविधि में उत्पादन शुल्क वास्तविक उत्पादन पर लगाया जाता है या कि विक्रय पर, क्योंकि विक्रय तो चोरी-छिपे भी किया जाता है।

श्री के० आर० गणेश : मैं बता चुका हूं कि इस कार्य विधि में भी कुछ त्रुटियां हैं जिनके अध्ययन के लिए समिति का गठन किया जा रहा है। परन्तु यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि वस्तुगत पड़ताल वाली प्रणाली कोई खास अच्छी प्रणाली नहीं थी। उसकी अपनी त्रुटियां थीं। क्योंकि जो

शुल्क अधिकारी नियुक्त किये जाते थे उनमें से अधिकांश का बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ गठजोड़ होने की बात कही जाती थी । अब यह तिहरी कार्यविधि है । इसमें कर निर्धारण अधिकारी होते हैं, कुछ अधिकारी निवारक-कार्य करने वाले होते हैं और फिर निरीक्षण कर्मचारी होते हैं । यदि पूर्णतया ईमानदारी से कार्य किया जाये तो इस कार्यविधि के अतर्गत करों की चोरी सम्भव नहीं है । राष्ट्रीय कार्यों के लिए जो भी कार्य विधि अपनाई जाती है, उसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता होती है । क्योंकि इस कार्यविधि की कुछ आलोचना की गई है, इसीलिए इसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए एक समिति नियुक्त की जा रही है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been stated by hon. Minister that Excise Duty system is being changed. Is it a fact that there are a large number of industrialists who sell their produce in pieces in order to evade excise duty ? Is there any provision in the new system to impose duty on the pieces also.

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने एक अच्छा सुझाव दिया है और समिति इस पर विचार करेगी ।

श्री के० सूर्यनारायण : नई कार्यविधि लागू करने से पूर्व क्या शुल्क कलक्टरों और अन्य अधिकारियों से जिन्हें कि इसका कुछ अनुभव होता हो, भी परामर्श किया गया था ?

श्री के० आर० गणेश : यह प्रक्रिया 1968 में लागू की गई थी । यह योजना भूतपूर्व उप प्रधान मन्त्री द्वारा लागू की गई थी । यह तीन वर्षों से चली आ रही है और इसके सम्बन्ध में जो आलोचना की गई है, उसे दृष्टिगत रखते हुए ही हम इसकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

यात्री किराये में वृद्धि का एयर इंडिया के यातायात पर प्रभाव

*727 **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री किराये में वृद्धि किये जाने का एयर इण्डिया के यातायात पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) वर्ष 1971-72 के बजट में प्रस्तावित किराये में वृद्धि करने के बारे में उन विदेशी यात्रा एजेन्टों की क्या प्रतिक्रिया है जो एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने के लिए अधिक यात्री आकर्षित करते हैं ; और

(ग) क्या यातायात पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग). सम्भवतया, माननीय सदस्य का संकेत इण्डियन एयरलाइन्स के किरायों में वृद्धि की ओर है जोकि पहली जुलाई, 1971 से हो रही है । क्योंकि लगभग उन 70 खण्डों पर (जिनमें पर्यटक आकर्षण के लगभग सभी स्थान आ जाते हैं), जिनके कि किराये विदेशी मुद्रा में दिये जाते हैं, सीधे अंतर्राष्ट्रीय किरायों में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है, अतः एयर इण्डिया द्वारा वाहित यातायात में कमी होने की कोई आशा नहीं है । विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं से भी कोई प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं ।

श्री विश्वनाथ झुंझनवाला : क्या यह सच है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 5 जून 1971 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में और भारतीय रुपये से खरीदी जाने वाली टिकटों पर प्रस्तावित अधिभार के फलस्वरूप एयर इण्डिया के चालू वर्ष में 8.5 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० सरोजिनी महिषी : क्या माननीय सदस्य एयर इण्डिया द्वारा की गई किराये में वृद्धि का उल्लेखकर रहे हैं या. . .

कुछ माननीय सदस्य : एयर इण्डिया द्वारा।

डा० सरोजिनी महिषी : एयर इन्डिया द्वारा यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

श्री विश्वनाथ झुंझनवाला : विदेश यात्रा के लिए टिकटों पर जो अधिभार लगाया गया है और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में जिसके बारे में यह प्रकाशित हुआ है कि इससे लगभग 8.5 करोड़ रुपए की हानि होने की संभावना है, मैं इसी का उल्लेख कर रहा हूं।

डा० सरोजिनी महिषी : अगर सदस्य महोदय प्रस्तावित 20 प्रतिशत के शुल्क की बात कर रहे हैं तो वह तो अभी केवल प्रस्ताव मात्र है। इसीलिए अभी से उसके बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है।

श्री एच० एम० पटेल : यद्यपि यह अभी प्रस्ताव मात्र ही है परन्तु अगर यह मान लें कि ऐसा हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों में अगर-मगर वाले प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इण्डियन एयर लाइन्स में प्रशिक्षित विमान-चालकों की कमी

*728. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में खरीदे गये सभी बोइंग 737 विमानों को चलाने के लिए इंडियन एयर-लाइन्स के पास प्रशिक्षित विमान-चालक-वृन्द की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी): (क) और (ख). जब बोइंग 737 विमान का परिचालन प्रारम्भ किया गया था तब प्रशिक्षित विमान चालकों की कमी थीं। तब से स्थिति में सुधार हो गया है तथा शीघ्र ही पूरे कर्मी-मंडल के उपलब्ध हो जाने की आशा है।

श्री मुहम्मद शरीफ : मैं यह जानना चाहता हूं कि बोइंग 737 की सेवा आरम्भ करने के लिये कितने प्रशिक्षित विमान चालकों की आवश्यकता थी ? पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित विमान चालकों के बिना विभाग बोइंग 737 की सेवा आरम्भ करने के लिए कैसे तैयार था ?

डा० सरोजिनी महिषी : प्रत्येक विमान के लिए कम से कम 10 प्रशिक्षित विमान चालकों की

आवश्यकता होती है और कुल बोइंग विमानों के लिए लगभग 70-75 प्रशिक्षित विमान चालकों की आवश्यकता है। हमारे पास 62 प्रशिक्षित विमान चालक हैं और अन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा हमें आशा है कि उनका प्रशिक्षण काल शीघ्र ही समाप्त होने वाला है . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न यह है कि जब आपके पास विमान चालक ही नहीं थे तो विमानों को क्यों लाया गया ?

डा० सरोजिनी महिषी : प्रशिक्षण सटिल में दिया गया था और हमारे विमान चालकों को प्रशिक्षण के लिए वहां भेजा गया था। दोनों काम साथ-साथ हो रहे थे। सातों के सातों विमान एक ही बार नहीं आए थे। यह दोनों कार्य साथ-साथ चल रहे थे।

श्री संजीवी राव : इस विमान के लिए मार्गनिर्देशकों की क्या व्यवस्था की गई है ?

डा० सरोजिनी महिषी : सम्पूर्ण विज्ञान चालक-वृन्द के अधिकांश लोगों को, जिनमें कि मार्ग निर्देशक भी थे, सटिल में प्रशिक्षण दिया गया था। शेष कुछ लोगों को भारत में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

डकोटा विमानों के स्थान पर एवरो विमानों का प्रयोग

*729. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में एच० एस० 748 (एवरो) विमान की सेवाओं का प्रयोग न किए जाने के बारे में कोई अध्ययन किया है तथा उसके कारणों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार डकोटा विमानों के स्थान पर एवरो-विमानों का प्रयोग कबतक करने का है ; और

(ग) कलकत्ता और कूच बिहार के बीच एवरो-विमान सेवा कब तक आरम्भ हो जाएगी और यह सेवा कब तक दैनिक कर दी जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० (**श्रीमती**) **सरोजिनी महिषी**) :

(क) और (ख). इण्डियन एयरलाइन्स का, आदेश दिए गये 10 विमान प्राप्त हो जाने पर पूर्वी क्षेत्र में एच० एस०-748 विमान परिचालित करने का प्रस्ताव है।

(ग) कलकत्ता-कूच बिहार मार्ग पर 1972 में एच० एस०-748 विमानों का परिचालन प्रारम्भ किये जाने की आशा है। इसे दैनिक सेवा बनाये जाने के प्रश्न की जांच इण्डियन एयरलाइन्स यातायात की दृष्टि से इसका औचित्य सिद्ध होने पर ही करेगी।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर की प्रशंसा करते हुये मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने उचित उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा था : क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में एस० एस०-748 (एवरो) विमान की सेवाओं का प्रयोग न करने के सम्बन्ध में किन्ही कारणों का अध्ययन किया है ? माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि इण्डियन एयरलाइन्स निगम द्वारा शीघ्र ही

10 विमान प्राप्त किये जायेंगे और उन्हें यहां पर चलाया जायेगा। इनका पूर्वी क्षेत्र में उपयोग क्यों नहीं किया गया ? क्या यह सच है कि पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में एवरो 748 के 21 विमान चलाये जा रहे हैं ? पूर्वी क्षेत्र में इनमें से एक भी विमान क्यों नहीं चलाया गया ?

डा० सरोजिनी महिषी : इनका प्रयोग भी किया जा रहा है। डकोटा का प्रयोग लगभग समाप्त कर दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में केवल एक या दो डकोटा विमान ही चल रहे हैं और इनका प्रयोग भी धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। वाइकाऊंट का प्रयोग भी समाप्त किया जा रहा है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र में भी एच० एस०-748 का चलन आरम्भ किया जायेगा. . . (**व्यवधान**)

श्री बी० के० दासचौधरी : मेरा प्रश्न यह नहीं था। जब पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में इंडियन एयरलाइन्स निगम द्वारा एच० एस०-748 विमान की 21 सेवायें उपलब्ध हैं तो भला एवरो विमान की एक भी सेवा पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध क्यों नहीं है ? ऐसा क्यों नहीं किया गया ? क्या इससे हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि इण्डियन एयरलाइन्स निगम द्वारा पूर्वी क्षेत्र की पूर्णतया अव-हेलना की गई है ? वह मेरा मुख्य प्रश्न था और यह मेरा पूरक प्रश्न है।

डा० सरोजिनी महिषी : यह कहना गलत है कि एच० एस० 748 का प्रयोग केवल पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में किया जा रहा है। डकोटा विमान का प्रयोग गुजरात,केशोद, जामनगर तथा पश्चिमी क्षेत्र के अन्य स्थानों में भी किया जाता है। . . . (**व्यवधान**) श्रीमान जी, माननीय सदस्य को कुछ देर शांत रह कर मेरे उत्तर को सुनना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और कई लोक सभाओं के सदस्य रह चुके हैं। कृपया कुछ देर शांत रहने का प्रयत्न कीजिये।

डा० सरोजिनी महिषी : क्योंकि पूर्वी क्षेत्र ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जहां कि मौसम के बारे में कभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता और इसी कारण वहां कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं; इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुये हमने पहले यह सोचा था कि वहां केवल डकोटा विमान ही चलाया जाना चाहिये, परन्तु अब जब कि डकोटा विमान का प्रयोग भी समाप्त किया जा रहा है; अब वहां एच० एस०-748 विमान का प्रयोग आरम्भ किया जायेगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : मेरा एक अन्य प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स निगम को एवरो विमान कब तक मिल जायेंगे ?

डा० सरोजिनी महिषी : वर्ष 1972 के मध्य तक।

श्री निंबालकर : माननीय सदस्य द्वारा जो शिकायत की गई है उसे दृष्टिगत रखते हुये क्या मंत्री महोदय इन पुराने विमानों को पूर्वी क्षेत्र में भेजने और हमें पश्चिमी क्षेत्र में नये विमान देने पर विचार करेंगे ?

डा० सरोजिनी महिषी : धीरे धीरे इन विमानों का प्रयोग भी समाप्त किया जा रहा है।

श्री आर० एस० पांडे : क्या यह सच नहीं है कि एवरो विमानों की मरम्मत के बारे में विमान-चालकों तथा अन्य कर्मचारियों में मतभेद हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री रणबहादुर सिंह : अभी जो यह उत्तर दिया गया है कि पूर्वी क्षेत्र के मौसम को दृष्टिगत रखते हुये इन विमानों का प्रयोग उस क्षेत्र में आरम्भ नहीं किया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विमान इस प्रकार के मौसम के लिए अनुकूल नहीं है ?

डा० सरोजिनी महिषी : विमान इस प्रकार के मौसम के अनुकूल हैं। इनकी उड़न योग्यता नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा प्रमाणित की जा रही है। परन्तु इन सब बातों के होते हुये भी, पूर्वी क्षेत्र के मौसम को दृष्टिगत रखते हुये पहले पिस्टन इंजन वाले विमानों का प्रयोग ही उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त समझा गया था। इसीलिए डकोटा को अधिक सुरक्षित समझा गया था, परन्तु अब इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि डकोटा का प्रयोग शीघ्र ही समाप्त किया जा रहा है, इसका स्थान एच० एस०-748 को दिया जा रहा है और इसकी क्षमता भी उससे अधिक है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनयम में संशोधन

*730. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में संशोधन करने के लिये कुछ प्रस्ताव दिये हैं ताकि निर्यात नीति संकल्प और लाइसेंस नीति में निर्धारित नीतियों में समन्वय लाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

कम्पनी कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय से पुस्तकों का गायब होना

*731. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता की समीक्षा समिति ने यह शिकायत की है कि दुर्लभ और अमूल्य पुस्तकों सहित कई पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता से गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी पुस्तकें गायब हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन पुस्तकों के गायब होने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच समिति गठित की थी; और

(घ) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार की जांच पड़ताल की गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) उत्तर नकारात्मक है। तथापि, खोई गई पुस्तकों के बारे में बार-बार की गई शिकायतों के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिये समीक्षा समिति ने समूचे स्टाक की जांच करने के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

(ख) इस बात का पता, कि कितनी और किस प्रकार की पुस्तकें गायब हैं, समूचे स्टाक की जांच किये जाने के बाद लगेगा, जिसके लिये स्टाफ की मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) स्टाक की जांच पूरी होने से पहले किसी जांच समिति के नियुक्त किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री समर गुह : नये मंत्री इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं कि चार सौ मूल्यवान पुस्तकों के सम्बन्ध में शिकायतें की गई थीं।

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त तथा स्पष्ट प्रश्न पूछें। किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पुलिस की जांच से पता चला था कि जून, 1963 से जून, 1964 की अवधि के बीच वाचनालय में से 400 मूल्यवान पुस्तकें चोरी चली गईं थीं और क्या यह भी सच है कि 1948 से लेकर अब तक बहुत सी अन्य मूल्यवान पुस्तकें तथा दस्तावेज चोरी हो चुके हैं? क्या यह सच है कि 'झा समिति' ने यह कहा था कि एक पुस्तक की चोरी के बारे में तत्काल जांच के आदेश होने चाहिएं और क्या पुलिस तथा लेखा परीक्षा विभाग को इन चोरियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया था?

श्री डी० पी० यादव : झा समिति में प्रो० हिरेन मुखर्जी भी सदस्य थे। इस समिति ने इस सम्बन्ध में पूरी जांच की तथा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया है कि साक्ष्य से यह पता चलता है कि पुस्तकालय से बहुत सी पुस्तकें गुम हो चुकी हैं। वह समिति इस बात का निर्धारण नहीं कर सकी कि कितनी पुस्तकें गुम हैं। इन 400 पुस्तकों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। इसके लिए मुझे समय चाहिये।

श्री समर गुह : क्या इन चोरियों के सम्बन्ध में पुलिस तथा लेखा परीक्षा विभाग को कुछ नहीं बताया गया था।

श्री डी० पी० यादव : पहले हमारे पास चोरी गई पुस्तकों की संख्या के बारे में अधिकृत सूचना होनी चाहिये, उसके लिये जैसा कि झा समिति ने सिफारिश की, लगभग 22 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने के लिये अनुमति दे दी जा चुकी है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि उप-पुस्तकाध्यक्ष श्री चित्तरंजन बनर्जी विशिष्ट विद्वान जिनको जीवित ग्रंथ-सूची तथा पांडित्यपूर्ण व्यक्ति मानते हैं, ने जांच समिति के समक्ष यह बात कही थी और उस कारण उन्हें दण्ड दिया गया और उनकी पदावनति कर दी गई है? क्या यह सच है कि 1 जुलाई 1970 को 22 विख्यात विद्वानों, उप-कुलपतियों और राष्ट्रीय प्राध्यापकों के हस्ताक्षरों से डा० वी० के० आर० वी० राव को एक ज्ञापन दिया था जिसमें मांग की गई थी कि उप-पुस्तकाध्यक्ष के प्रति किया गया अन्याय दूर किया जाये, यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

श्री डी० पी० यादव : उप-पुस्तकाध्यक्ष, श्री बनर्जी की पदावनति नहीं की गई है। उन्हें केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय का प्रभारी बनाया गया है, जो कि निश्चितरूप से एक अच्छा पद है।

श्री समर गुह : परन्तु ज्ञापन का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग प्रश्न है। आप उसकी अलग से सूचना दें।

श्री डी० पी० यादव : जहां तक श्री बनर्जी के पांडित्य और विद्वत्ता की बात है, हम शीघ्र ही राष्ट्रीय पुस्तकालय के निदेशक का पद विज्ञापित करने वाले हैं। यदि वह प्रतियोगिता में सफल हुए, तो उन्हें वहां नियुक्त कर दिया जायेगा।

व्यास नदी पर पुल का निर्माण

*732. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व श्री हरगोविंदपुर में व्यास नदी पर पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव था और आवश्यक प्राक्कलन तैयार किये गये थे ; और

(ख) क्या इस बीच इस प्रस्ताव का परित्याग कर दिया गया है अथवा सरकार का विचार उपर्युक्त पुल बनाने का है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). प्रस्तावित पुल से पंजाब सरकार मुख्य रूप से सम्बन्धित है। क्योंकि वह एक राज्य सड़क पर पड़ेगा। 1970 में उसने राज्य की इस और कुछ अन्य सड़कों और पुल योजनाओं के लिये केन्द्रीय सड़क सहायता मांगी थी। परन्तु राज्य सरकार से कोई विस्तृत अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्नगत पुल के लिये कोई ऋण व्यवस्था करना सम्भव नहीं हुआ है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय भी व्यास नदी का पुल बनाना चाहता था ?

श्री राज बहादुर : यह सच नहीं है, वस्तुतः यह स्वीकार करना होगा कि कभी कभी नदी पर पुल न होना भी सुरक्षा की कड़ी का भाग होता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को नई शाखाएं खोलने के अभियान के कारण हुई हानि

*733. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने के अभियान के फलस्वरूप कोई हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है तथा इस हानि को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ताकि शाखा-विस्तार अभियान को धक्का न पहुंचे ; और

(ग) क्या नई आरम्भ की गयी कुछ शाखाओं को बन्द कर दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) और (ख). बैंकों के नये कार्यालयों के कार्य-चालन के परिणामों के सम्बन्ध में निर्णय समुचित समय के बाद ही किया जाना चाहिये, इसलिये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद खोले गये नये कार्यालयों के कार्य का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता। फिर भी चूंकि अपने समग्र व्यवसाय के आधार पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को कोई हानि नहीं हुई है इसलिये इस कारण शाखा विस्तार-कार्य को धक्का पहुंचने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी, नहीं राष्ट्रीयकृत बैंक का केवल एक कार्यालय, जो राष्ट्रीयकरण से पहले खोला गया था, अगस्त 1970 में उसी मोहल्ले के दूसरे कार्यालय में मिला दिया गया था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या इन बैंकों के जरिये बचतों में कुछ प्रादेशिक भिन्नता आई है। अर्थात, क्या कुछ क्षेत्रों की तुलना में दूसरे क्षेत्रों में अधिक बचतें हुई हैं?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरा विचार है कि इस भिन्नता की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि न केवल प्राकृतिक संसाधनों अपितु कई अन्य कारणों से भी कई क्षेत्रों की विकास संभावना दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि कई अन्य कारणों से उड़ीसा की तुलना में हरियाणा और पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों की विकास सम्भावना अधिक है। अतः इसके उत्तर में मैं कहूंगा "हां"।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इन नई शाखाओं में सामान्यतः जमा करवाने और अग्रिम देने के संबंध में क्या क्रम रहा?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जमा करवाने तथा अग्रिम देने के सम्बन्ध में भी आंकड़ों में प्रदेश-प्रदेश में भिन्नता है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निदेश दिया गया है कि शाखाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में धीमे चलने की नीति अपनाएं और क्या शाखाएं खोलने के लिए पूंजीगत खर्चा कर लेने के उपरांत भी राष्ट्रीय कृत बैंक आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में वास्तविक रूप से शाखाएं नहीं खोल रहे हैं?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में शाखा विस्तार का कार्य कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। मेरे विचार से प्रश्न का तात्पर्य यह है कि क्या हम इस दिशा में समुचित गति से चल रहे हैं? मुझे भी इस बारे में शक था। 'लीड बैंक' योजना एक नई उद्भावना है जिसके अनुसार हम यह प्रयास कर रहे हैं कि "लीड बैंक" प्रत्येक क्षेत्र में पहल करने और नई शाखाएं खोलने के लिए उत्तरदायी हो। इन क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के नये कार्यक्रम भी बनाये गए हैं और यह कार्यक्रम समयावलि के अनुसार चल रहे हैं।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या यह पद्धति नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोलने से पूर्व सर्वेक्षण करें और क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करें?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हां, सामान्य पद्धति यही है।

केरल में कोचीन पत्तन का विस्तार

*734. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल स्थित कोचीन पत्तन के विस्तार की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोचीन पत्तन के विकास के लिए 17.89 करोड़ रुपये के लागत का एक

कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। योजना कार्यक्रम में मुख्यतः गहरे डुबाव वाले तेल वाहकों के आवागमन के लिये तेल गोदी का निर्माण खुले माल की धराउठाई के लिए एक खुलाघाट, यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एक पारगमन शेड एवं माल शेड, तीन नये निकर्षकों का अधिग्रहण, एक नया कर्षनाव और पत्तन के धराउठाई क्षमता को सुधारने के लिए माल की धराउठाई के विभिन्न उपस्कर शामिल हैं।

श्री ए० के० गोपालन : क्या इस परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

श्री राज बहादुर : परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है। वास्तव में, हमने इस पर 1969-70 में 1.14 करोड़ रुपये, 1970-71 में 2.23 करोड़ रुपये व्यय किये और 1971-72 के लिये बजट में 5 करोड़ के व्यय के लिए व्यवस्था है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कोचीन बन्दरगाह पर विस्फोटक घाट होने के कारण जहाजरानी कम्पनियां इस बन्दरगाह तक जहाज लाने के प्रति उत्साहित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या कोचीन बन्दरगाह से विस्फोटक घाट हटाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जायेगा या कर लिया गया है ?

श्री राज बहादुर : इसके लिये मुझे अलग सूचना चाहिए। वास्तव में, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है।

श्री एम० के० कृष्णन : क्या तेल घाट के निर्माण के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसमें यह बात हो कि पत्तन के भावी विकास के लिए अन्तर्जल में से नये त्रिकोण द्वीप का विकास करने के स्थान पर कान्डला तथा वल्लारपडम द्वीपों को मिलाने वाले घाट का निर्माण अधिक उपयुक्त होगा। और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राज बहादुर : मैंने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत पर एक नए तेल घाट के निर्माण का प्रस्ताव है। इस समय बन्दरगाह का मुख्य यातायात तेलवाही जहाज हैं तथा पत्तन में 30 फुट वायु प्रवाह के साथ 30,000 फुट के कुल भार तक के जहाज आने की क्षमता है। जब पत्तन पर तेल घाट का निर्माण हो जायेगा तो पत्तन में 50 फुट के वायु प्रवाह के साथ 80,000 फुट के कुल भार तक के जहाज आ सकेंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस बात को देखते हुए कि इस योजना को पूरा करने में बहुत समय लगेगा, क्या सरकार ने निष्कर्षण के लिए कोई प्राथमिकता नियत की है। इस बात को देखते हुए कि केरल के विभिन्न भागों से इस बारे में उग्र मांग की जाती है क्या प्राथमिकता नियत करने में निष्कर्ष पोतों के लिए धन राशि को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर : चौथी योजनावधि में इस कार्यक्रम पर कुल 17.89 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा और सन्तोषजनक कार्य-परिणाम सुनिश्चित करने के लिये हम प्राथमिकताएं नियत कर रहे हैं। तेल घाट के साथ हम जलमार्ग के निकर्षण और निकर्षकों की खरीद के लिए भी धनराशि नियत कर रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : क्या सारे पश्चिमी तट में से मैसूर राज्य के तट क्षेत्र का विकास असंतुलित है और यह असंतुलन केरल बन्दरगाह के विषय विकास के साथ बढ़ रहा है।

श्री राज बहादुर : यह ठीक नहीं है, क्योंकि पश्चिमी तट के विकास में मैसूर राज्य के क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उन्हें पूरे आंकड़े बताये जा सकते हैं।

एयरलाइनों द्वारा निर्धारित भाड़े से कम भाड़ा लिया जाने का कार्य

*735. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया सामूहिक रूप से यात्रा करने वालों को भाड़े में छूट देती है और यदि हां, तो इस बारे में योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या अन्य एयर लाइनें निर्धारित भाड़े से कम भाड़ा ले रही हैं जिसके फलस्वरूप एयर इण्डिया को उस लाभ से वंचित हो जाना पड़ता है जो उसको होना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां । अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन (आई० ए० टी० ए०) का एक सदस्य होने के नाते एयर इण्डिया सामान्य किरायों में उतनी ही छूट प्रदान करता है जितनी कि उक्त संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदान की जाती है । अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन के वर्तमान विनियमों में भारत से विदेश स्थित विशिष्ट स्थानों के लिए सामूहिक रूप से यात्रा करने वालों के लिए किरायों में छूट प्रदान करने की व्यवस्था है । इसकी मुख्य-मुख्य बातें सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 539/71**]

(ख) जी, हां । कुछ विमान कम्पनियां निर्धारित किरायों से कम किराये लेती हैं।

(ग) वायुयान नियमों में संशोधन किया जा रहा है ताकि विमान कम्पनियों के लिए अपने किरायों की अनुसूची का नागर विमानन के महानिदेशक से अनुमोदन करवाना अनिवार्य हो जाये । इसमें उल्लंघनों के लिए दण्ड की भी व्यवस्था की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन की प्रवर्तन-शाखा (एनफोर्समेंट ब्रांच) तथा स्वयं हमारे सतर्कता तंत्र (विजिलेंस मशीनरी) द्वारा इस सम्बन्ध में कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

श्री सी० चित्तिबाबू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि यह सुविधा ऐसे दलों को प्रदान की जाती है, जिनके सदस्यों में परस्पर पर्याप्त समानता हो, और वे किसी एक संस्था क्लब या स्कूल आदि से सम्बन्ध रखते हों । पंद्रह व्यक्ति एक साथ मिलकर दल बना सकते हैं और छः महीने की अवधि बताई जा सकती है । इस बात को ध्यान में रखते हुये एयर इंडिया बेईमान एयरलाइनों और यातायात एजेंसियों से किस प्रकार मुकाबला करेगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : ऐसी एयरलाइनों से मुकाबला करना बहुत कठिन है जो कदाचार में लिप्त हैं। परन्तु रियायती विमान भाड़ा देकर और वायुयान यात्रा को प्रोत्साहित करके दलों को दिया जाने वाला रियायती भाड़ा 'एफिनिटी ग्रुप्स', छात्रों, वैज्ञानिकों आदि को दिया जाता है, यदि किसी क्लब, संगठन अथवा किसी ऐसे एसोशियेशन के सदस्य साथ आकर कहें कि वे किसी संगठन की ओर से यात्रा करना चाहते हैं तो वे इसके हकदार है ।

श्री सी० चित्तिबाबू : इसे मान्यता दी जानी चाहिये ।

श्री के० लकप्पा : क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि इन सभी कदाचारों में लिप्त कतिपय विशिष्ट एयरलाइनों के विरुद्ध बहुत-सी शिकायतें की गई हैं, क्या भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही है और यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही क्या है ?

डा० सरोजिनी महिषी : मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन के अन्तर्गत प्रवर्त्तन महानिदेशालय है जिसे बम्बई में स्थापित किया गया है और जो इस सारे मामले की जांच कर रहा है और वह इस पर नियंत्रण करने के लिये निरोधात्मक उपाय कर रहा है। दूसरे, नागर विमानन में विभाग नागर विमानन महा-निदेशालय के अन्तर्गत एक कक्ष बनाया जायेगा। तीसरे, 1937 के विमान नियमों में ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिसके द्वारा प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विमान मार्ग के लिये यह अनिवार्य होगा कि अपनी उड़ान भरने से पूर्व वह नागर विमानन महा-निदेशालय में टैरिफ दरें समर्पित करे।

Cultivation of Opium

\+

*736. **Dr. Laxminarain Pandey** :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether in India cultivation of opium is confined only to some **Districts** of Madhya Pradesh and Rajasthan ;

(b) whether a large quantity of opium is exported, thereby earning foreign exchange for the country ;

(c) the price of opium per kilogram paid to the farmers as also its international price per kilogram ; and

(d) whether Government propose to increase the price of opium paid to the farmers keeping in view the higher price prevailing in the international market ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत में अफीम पोस्त की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में निर्यात की गई अफीम की मात्रा और उस निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

निर्यात की गई 90 डिग्री घनत्व की अफीम की मात्रा मीटरी टनों में (कैलेण्डर वर्ष)			अर्जित की गई विदेशी मुद्रा (हजार रुपयों में) (वित्तीय वर्ष)
1968	555	1968-69	4,77,29
1969	662	1969-70	6,63,04
1970	808	1970-71	8,03,35

(ग) (i) पोस्त के 1970-71 के मौसम में किसानों को अफीम का अदा किया गया मूल्य, 70 डिग्री घनत्व वाली अफीम के लिये 40 रुपये से 70 रुपया प्रतिकिलोग्राम तक रहा है जो किसानों द्वारा दी गई औसत पैदावार पर निर्भर करता है।

(ii) कच्ची अफीम को सरकारी कारखानों में ले जाया जाता है और वहीं सुखाया जाता है। इसके बाद इसे तैयार अफीम की बट्टियों (लगभग 90 डिग्री घनत्व) के रूप में विदेशी ग्राहकों को बेचा जाता है। इस अफीम का वर्तमान निर्यात मूल्य मार्फीन अंश के प्रत्येक यूनिट के लिये 1.80 अमरीकी डालर है जो 18.00 अमरीकी डालर प्रतिकिलोग्राम के बराबर बैठता है और लगभग 135 रुपया प्रतिकिलोग्राम होता है (क्योंकि भारतीय अफीम में मार्फीन का अंश आमतौर पर लगभग 10 प्रतिशत होता है)।

(घ) किसानों को दिया जाने वाला मूल्य अगली फसल के मौसम से कुछ ही समय पहले, प्रतिवर्ष नियत किया जाता है और ऐसा करते समय सभी संगत पहलुओं पर विचार कर लिया जाता है। जैसे कि उस इलाके में अन्य समतुल्य फसलों का मूल्य, अफीम का निर्यात मूल्य, मूल्यों का आम स्तर आदि। अगले वर्ष के लिये मूल्य जुलाई-अगस्त 1971 में किसी समय निर्धारित किया जाएगा।

Dr. Laxminarain Pandey : Because large amount of foreign exchange is earned by opium, do the Government propose to increase the area of opium cultivation ? If so, how much ?

श्री के० आर० गणेश : अफीम उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Dr. Laxminarain Pandey : The hon. Minister has just stated the various amounts of foreign exchange earned during various years by Government. The price paid to our farmers for 70° consistence opium is from Rs. 40/- to Rs. 70/-. He also stated that this price was fixed every year by the Government. But in fact it is not done. Is the hon. Minister going to appoint any committee which should decide its price on the basis of market-value of the inputs used by farmers because the farmers get less price for opium than the cost of opium cultivation ?

श्री के० आर० गणेश : ऐसी समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छोटे सिक्कों की जमाखोरी

*737. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे सिक्कों की कमी के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या कुछ लोगों ने लाभ कमाने के लिये छोटे सिक्कों की जमाखोरी आरम्भ कर दी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) कमी की ऐसी स्थिति में लाभ कमाने के लिये जमाखोरी की सम्भावना हो सकती है। कुछ स्थानों पर सिक्के पकड़े गये हैं। लेकिन सिक्कों की बढ़ती हुई उपलब्धि के परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि जमाखोरी की प्रवृत्ति और जमाखोरी से लाभ कमाने की सम्भावना कम होती जा रही है और आशा है कि अगले कुछ महीनों में यह और भी कम हो जायेगी। सिक्कों के गलाने को कानूनी अपराध घोषित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद की तीन टकसालों में छोटे सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने के

लिए सरकार ने जो विभिन्न उपाय किये हैं, उनका ब्यौरा 28 मई 1971 को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 147 और उसके अन्तर्गत पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दे दिया गया था। इन उपायों के परिणामस्वरूप, दैनिक उत्पादन 50 लाख सिक्कों से अधिक हो गया है, जबकि अक्तूबर 1970 में यह लगभग 12 लाख सिक्के ही था। बम्बई-स्थित टकसाल में जिन 400 अतिरिक्त मजदूरों के लिए स्वीकृति के दे दी गई है, उन के चालू महीने के अन्त तक काम पर पहुंच जाने की सम्भावना है और अनुमान है कि अगले दो महीनों के अन्त तक प्रतिदिन 6 लाख सिक्कों का अतिरिक्त उत्पादन होने लगेगा जब ये नये मजदूर अपने काम में पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित हो जायेंगे। पिछले पांच या छः महीनों में जनता के लिए अधिक संख्या में सिक्के उपलब्ध कर दिये जाने के परिणामस्वरूप स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। सिक्कों की कमी अब स्थानीय रूप में ही है और वह भी दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के राज्यों में। यह समस्या इस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपातिक आधार पर हल की जा रही है। लगभग 14 लाख रुपये के सिक्के तुरन्त ही नई दिल्ली भेजे जा रहे हैं। नई दिल्ली और कानपुर-स्थित दोनों कार्यालयों को ये निर्देश दे दिये गये हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले छोटे सिक्कों के डिपुओं की आवश्यकताओं की जांच करें और जहां आवश्यक हों वहां तुरन्त ही अतिरिक्त सिक्के भेजने की व्यवस्था करें। दिल्ली परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ताकि यात्रियों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मन्त्री महोदय का उत्तर है कि समय घाव को भर देता है। क्या उनको पता है कि दिल्ली अथवा किसी बड़े शहर में काफी समय से छोटे सिक्के नहीं मिल रहे हैं। संसद् भवन के स्टेट बैंक में भी सिक्के नहीं मिलते हैं। क्या यह सच है कि कुछ लोग वास्तव में छोटे सिक्के जमा कर रहे हैं तथा 1 रुपये के बदले 70 पैसे अथवा 60 पैसे देकर इन्हें बेच रहे हैं। दुकानों में ग्राहकों को छोटे सिक्कों के स्थान पर पोस्टकार्ड-लिफाफे दिये जा रहे हैं। यह स्थिति कब सुधरेगी तथा क्या हमारी टकसालों में अधिक सिक्के उत्पादित किये जा रहे हैं?

श्री के० आर० गणेश : यह ऐसी समस्या है जिससे माननीय सदस्यों को चिंता हो रही है तथा सरकार को इसकी जानकारी है। हमने सिक्कों के दैनिक उत्पादन को 12 लाख सिक्कों से बढ़ा कर 35 लाख सिक्कों तक कर दिया है। उत्पादन गति में वृद्धि हुई है और वह इस समय लगभग 50 लाख सिक्कों के बराबर है। इस वर्ष सरकार का विचार 70 लाख सिक्कों तक उत्पादन बढ़ाने का है। बम्बई और अलीपुर की टकसालों में कुछ कार्यवाही की गई है। चांदी शोधनशाला का भी एक प्रश्न है। हम चांदी शोधनशाला के बारे में निर्णय करने जा रहे हैं जिससे चांदी शोधनशाला के श्रमिकों को अलीपुर की टकसाल में लगाया जा सके और वहां भी उत्पादन बढ़ाया जा सके।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार द्वारा देश में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है? **(व्यवधान)**

श्री के० आर० गणेश : खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन्, वह उत्तर दे रहे थे। **(व्यवधान)**

Shri B. P. Maurya : I rise on a point of order. No authority other than Government can print currency notes but in Delhi the D. T. U. is starting printing notes....

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े तथा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों पर लिया जाने वाला ब्याज

*723. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े तथा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों पर इस समय किस दर से ब्याज लिया जा रहा है ; और

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इस प्रकार के ऋणों पर किस दर स ब्याज लिया जाता था ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) और (ख) . बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों के लिये दिये गये अपने अग्रिमों पर इस समय बैंक साधारणतया क्रमश: $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 12 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक ब्याज ले रहे हैं, यद्यपि यह भी सम्भव है कि कुछ मामलों में परिस्थितियों के अनुसार कुछ ऊंची दरों पर ब्याज लिया जा रहा हो । राष्ट्रीयकरण से पहले ब्याज की तदनुरूप दरें $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 8 प्रतिशत से $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत थीं । ब्याज की दर में वृद्धि का मुख्य कारण हाल में बैंक दर में हुई, 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की वृद्धि कहा जा सकता है ।

मद्रास और दिल्ली में बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता

*726. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की महानगर परिवहन सेवा पर कार्यकारी दल द्वारा किये गये प्रारम्भिक अध्ययन से यह पता लगा है कि मद्रास और दिल्ली में बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नगरों में बड़ पैमाने पर प्रभावशाली, परिवहन व्यवस्था की स्थापना के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग के महानगरीय परिवहन दल के कहने पर तामिलनाडू नगर आयोजन विभाग ने मद्रास में द्रुत सामूहिक पारगमन पद्धति की व्यवस्था के लिये यात्रा गलियारों का अध्ययन पूरा कर लिया है और दल इस विषय सम्बन्धी रिपोर्ट की जांच कर रहा है । केन्द्रीय सड़क अनुसंधान प्रतिष्ठान ने दिल्ली में सामूहिक पारगमन पद्धति का व्यापक अध्ययन किया है और उसके अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही महानगरीय परिवहन दल को देने की संभावना है । उक्त दोनों शहरों के बारे में महानगरीय परिवहन दल की अंतिम सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू की जायेगी ।

Utilisation of Financial resources available from Nationalisation of General Insurance

*738. **Shri K. M. Madhukar:**
Shri C. K. Chandrappan:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the extent to which Government propose to utilise the financial resources generated by nationalising General Insurance Companies for the increased outlay under the Fourth Five Year Plan; and

(b) the manner in which the capital of the nationalised General Insurance Companies is proposed to be utilised?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi): (a) and (b). The funds of general insurance companies are already invested. Any addition to the financial resources of these companies can arise only when their business expands in due course of time. The funds belonging to the general insurance sector will be invested with a view to maximise the return on such investments while at the same time keeping in view our national priorities and objectives.

वेतन तथा आय के सम्बन्ध में एकीकृत नीति

*739. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्यों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये वेतन तथा आय के सम्बन्ध में एक एकीकृत नीति बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार को नीति सम्बन्धी वह साधन उपलब्ध है। इनमें राजस्व तथा मुद्रा सम्बन्धी उपाय और भौतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण शामिल हैं। कपास, मूंगफली, तिलहनों आदि जैसी उन वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं जिनके कारण हाल के महीनों में मूल्यों में मुख्य रूप से वृद्धि हुई है। मूल्य-वृद्धि के प्रश्न की बराबर समीक्षा की जा रही है और मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने के लिये सभी आवश्यक उपाये किये जा रहे हैं।

एयर इण्डिया को बोइंग 747 विमान सेवा आरम्भ करने से आय

*740. **श्री ब्रज राज सिंह कोटा :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ मार्गों पर बोइंग 747 विमान सेवा आरम्भ करने से एयर इंडिया की भार वाहन क्षमता और आय में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) इसमें अब तक औसतन कितने यात्री ले जाये गये हैं ;

(ग) सरकार का विचार किस प्रकार इस संख्या को पूरी क्षमता तक बढ़ाने का है ; और

(घ) इस विमान में न लाभ तथा न हानि की स्थिति प्राप्त करने के लिये न्यूनतम कितने व्यक्तियों को ले जाने की आवश्यकता होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी): (क), (ख) और (घ). यात्री भार एक ही उड़ान में अलग अलग खंड में अलग अलग होता है। बो-747 विमानों के थोड़ी अवधि के परिचालन में ही 'समस्त भार अनुपात' (ओवर-आल लोड फैक्टर) काफी उत्साह-वर्धक रहे हैं लेकिन अभी इतनी जल्दी कोई यथार्थ मूल्यांकन कर सकना सम्भव नहीं है।

(ग) एयर इंडिया अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रबल प्रयास कर रहा है। उन्होंने पहले ही कई अभिवृद्धि-विषयक उपाय प्रारम्भ कर दिये हैं।

इम्फाल और सिल्चर के बीच इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की शटल सेवा बढ़ाने की आवश्यकता

*741. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल और सिल्चर के बीच इंडियन एयरलाइन्स की शटल उड़ानें बढ़ाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और अतिरिक्त उड़ाने कब तक आरम्भ की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वर्तमान सेवायें पर्याप्त हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए समय बढ़ाये जाने का अनुरोध

*742. **श्री परिपूर्णानन्द पंनुली** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया नामक एक सार्वजनिक लिमिटेड संयुक्त पूंजी समवाय ने कम्पनी कार्य विभाग से यह मांग की है कि उसकी महासभा का वार्षिक अधिवेशन बुलाने की तिथि को 30 जून, 1971 से डेढ़ मास आगे बढ़ा दिया जाय क्योंकि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत इस तिथि तक यह अधिवेशन हो जाना चाहिये था ;

(ख) क्या सरकार ने प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के प्रबन्धकों के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी ने, अपनी वार्षिक साधारण बैठक करने के लिये, कम्पनी रजिस्ट्रार बम्बई से, समय के विस्तार के लिए आवेदन किया है।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 (I) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत, कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई ने, 30-6-1971 से 1, $\frac{1}{2}$ मास की अवधि के विस्तार की स्वीकृति दे दी है।

(ग) कम्पनी द्वारा अपनी वार्षिक साधारण बैठक के करने के लिए, समय के विस्तार की स्वीकृत के लिए दिया गया मुख्य कारण यह था, कि हैल्सिंकी में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस संस्था के अधिवेशन के सम्बन्ध में, इसके अधिकांश निदेशक, जून, 1971 में भारत से बाहर रहेंगे। कम्पनी ने पुनः कहा है कि इसके नई दिल्ली भवन परियोजना, जिसके, मई 1971 में पूर्ण हो जाने की आशा थी तथा कुछ विदेशी कार्यालयों तथा संवाददाताओं से केबिल शुल्क के बिलों के देरी से प्राप्त होने एवं आडिट ब्यूरो सर्कुलेशन्स सर्टीफिकेटों पर आधारित, अभिदान प्रभारों के व्यवस्थापन में देरी के कारण इसके लेखे को अंतिम रूप देने में देरी होने की सम्भावना है।

कोचीन बन्दरगाह पर खुले समुद्र में जहाजों के लिये संचार सुविधाओं का अपर्याप्त होना

*743. **श्री सी० एम० स्टीफन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको कोचीन बन्दरगाह पर खुले समुद्र में जहाजों के लिये संचार सुविधाएं अपर्याप्त होने के बारे में कोचीन पत्तन न्यास (कोचीन पोर्टट्रस्ट) और कोचीन वाणिज्यिक मण्डल से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कोचीन बन्दरगाह और जहाजों के बीच इस समय काफी दूर से बरास्ता कोलम्बो संचार व्यवस्था की जाती है जिसके कारण अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है और संदेश भेजने में विलम्ब हो जाता है ; और

(ग) कोचीन पर संचार व्यवस्था किस प्रकार की है और भारत के मुख्य बन्दरगाहों पर विद्यमान संचार व्यवस्था से इसमें क्या भिन्नता है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। मामले की जांच की जा रही है।

(ख) जहाजों तथा कोचीन के बीच बरास्ता कोलम्बो दूर परिसर संचार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विदेशी जहाज भारत के किसी तटीय बेतार केन्द्र से संचार के लिए अपनी पसन्द का तटीय बेतार केन्द्र प्रयोग करते हैं तथा हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(ग) कोचीन पत्तन पर जिस प्रकार की संचार व्यवस्था है वह मध्यम आवृत्ति की है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बड़े पत्तनों पर संचार सुविधाएं दोनों मध्यम आवृत्ति तथा ऊंची आवृत्ति की हैं तथा उनकी स्थापना डाक और तार विभाग द्वारा एक वाणिज्यिक यूनिट के रूप में की गई है। अन्य बड़े पत्तनों, कांडला, गोवा, विशाखापत्तनम पर व्यवस्थित संचार सुविधाएं भी कोचीन पत्तन पर की भांति मध्यम आवृत्ति की हैं। समुद्री जीवन रक्षा संगमन के अन्तर्गत के दायित्वों को पूरा करने के लिए कोचीन पत्तन तथा उपरोक्त अन्य पत्तनों पर मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण हेतु अखिल भारतीय किसान सभा की मांगें

*744. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले संस्थागत ऋण में उचित भाग प्राप्त

करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा की गई मांगों की जानकारी है जिसके लिए 1 जुलाई, 1971 से बैंकों के सामने देश-व्यापी शान्तिपूर्ण धरना और घेराव किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हैं ।

विवरण

बैंकिंग उद्योग से सम्बन्धित प्रस्ताव निम्नलिखित बातों के बारे में है :—

विदेशी बैंकों सहित सभी गैर-सरकारी बैंकों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण करना; कुल संस्थागत ऋण का कम से कम 50 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित करना; 25,000 की जनसंख्या पर कम से कम एक शाखा खोलना ; राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी समितियों के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना ; ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों का निपटारा 2 महीने के भीतर ही करना और कार्य प्रणाली को सरल बनाना ; सिंचाई सम्बन्धी कुछ बड़ी-बड़ी योजनाओं का वित्त पोषण राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया जाना ; अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न बैंकों के निदेशक मण्डलों और सलाहकार निकायों में शामिल करना, और किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न स्रोतों से और विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत लिए जाने वाले संस्थागत ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित करना ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकार के सामने बुनियादी उद्देश्य के रूप में, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और अब तक उपेक्षित क्षेत्र में ऋण सुविधा का विस्तार करने का कार्य है । किसान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में, राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि ऋण के क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निभायी गयी निश्चयात्मक भूमिका के बारे में बताया गया है तथा कृषि क्षेत्र के और अधिक भाग को इसके अन्तर्गत लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक का उल्लेख किया गया है । बैंकों की शाखाएं विशेष रूप से बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में, खोलने के प्रश्न पर राष्ट्रीयकृत बैंक विचार कर रहे हैं और पिछले दो वर्षों में काफी बड़ी संख्या में नयी शाखाएं खोली गयी हैं । यद्यपि बैंक, सिंचाई की बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं का वित्त पोषण नहीं कर सकते तथापि कृषि क्षेत्र को, विशेषतः छोटे किसानों को, और अधिक ऋण देने के प्रश्न की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं ।

एशियाई विकास बैंक के लिए भारत का अंशदान

*745. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने एशियाई विकास बैंक को अब तक कुल कितनी राशि अंशदान के रूप में दी है;

(ख) अन्य सदस्य देशों ने कितनी राशि दी है ;

(ग) एशियाई विकास बैंक द्वारा विकास कार्यों के लिए, देश-वार कितनी राशि वितरित की गई है ; और

(घ) क्या इस बात का पता लगाने के लिए भारत के पास कोई अपने साधन हैं कि क्या पाकिस्तान द्वारा एशियाई विकास बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए वह दी गयी थीं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण (विवरण I) सभा-पटल पर रख दिया है जिसमें भारत तथा अन्य सदस्य देशों द्वारा दिये गये अंशदान का व्योरा दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-540/71.**]

(ग) एक अन्य विवरण (विवरणII) सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-540/71**]

(घ) एशियाई विकास बैंक के अन्य सदस्य देशों के साथ-साथ भारत, केवल यह निश्चित कर सकता है कि बैंक की कार्य पद्धतियां तथा विनियम ऐसे हों, जिनसे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि पाकिस्तान (या अन्य किसी ऋण कर्ता) के लिए जो साधन उपलब्ध किये जायें उनका उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाय जिसके लिये वे उपलब्ध किये गये हों। यह व्यवस्था बैंक के ऋण सम्बन्धी विनियमों तथा प्रत्येक ऋण करार में निर्दिष्ट प्रसंविदाओं और समाश्वासनों द्वारा की जाती है। ऋणों के वास्तविक उपयोग पर समय-समय पर भेजे जाने वाले समीक्षा मिशनों द्वारा नजर रखी जाती है जो बैंक तथा निदेशक-मंडल के सम्मुख (जिसमें भारत का भी प्रतिनिधि होता है) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

राष्ट्रीय राजपथों पर मील के पत्थरों पर तीन भाषाओं में लिखा जाना

*746. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजपथों पर मील के पत्थरों पर तीन भाषाओं में लिखना आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अनुमानतः माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रत्येक किलोमीटर पत्थर पर तीन भाषाओं की लिपि लागू करने का उल्लेख कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः प्रश्न के भाग (ख) में उठाया गया प्रश्न उठता ही नहीं। इस समय जिस नीति का पालन किया जाता है उसमें किसी एक किलोमीटर पत्थर पर निम्नलिखित क्रम में केवल एक लिपि के प्रयोग की व्यवस्था है :—

किलोमीटर की संख्या	स्थान नामों के लिए लिपि
0	रोमन
1	हिन्दी (देवनागरी लिपि)
2	स्थानीय भाषा
3	हिन्दी(देवनागरी लिपि)
4	स्थानीय भाषा
5	रोमन

इसी क्रम में दोहराते चले जाइए। अंकों को निरपवाद रूप से भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में दिया जाना है।

कालीकट में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव

*747. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कालीकट में हवाई अड्डा बनाने के स्थल का दौरा करने के लिए हाल में एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार चौथी योजना अवधि में इस प्रस्ताव को स्थगित करने का विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। उसकी प्रमुख सिफारिश यह है कि भारी व्यय होने के बावजूद भी हवाई अड्डे का निर्माण करीपुर स्थल पर किया जाना चाहिए।

(ग) भूमि को समतल करने के प्रारम्भिक कार्य में दो से तीन वर्ष तक लगने की संभावना है। निर्माण कार्य उसके पश्चात् प्रारम्भ किया जायगा। इस बीच योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

ऐच्छिक समाज कल्याण संगठनों को प्राथमिक पूर्व विद्यालय चलाने के लिये अनुदान देना

*748. **श्री अचल सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ऐच्छिक समाज कल्याण संगठनों को प्राथमिक-पूर्व विद्यालय चलाने के लिये सहायतानुदान देती है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969, 1970 और 1971 में भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिये दिल्ली राज्य समाज कल्याण परामर्शदाता बोर्ड को कितने बजट की मंजूरी दी है; और

(ग) ऐसे संगठनों के काम क्या हैं और वर्ष 1970-71 के लिये कितने अनुदान की मंजूरी दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). सरकार द्वारा सीधे अनुदान नहीं दिये जाते हैं। दिल्ली में समेकित स्कूल-पूर्व परियोजनाएं चलाने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड दो स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देता है। 1969-70 तथा 1970-71 में क्रमशः 26,390 रुपये तथा 24,720 रुपये की धनराशियां मंजूर की गईं।

उसके अतिरिक्त केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड सीधे तथा दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाओं को दिल्ली में मिली-जुली योजनाएं, जिनमें बालवाडियां चलाना भी शामिल है, चलाने के लिए अनुदान देता है। ऐसी मिली-जुली योजनाओं के लिए मंजूर की गई कुल धन राशि इस प्रकार है :—

1969-70	1,83,952.36 रुपए
1970-71	1,66,419.00 रुपए

1971-72 के लिए अनुदानों के सम्बंध में बोर्ड ने अब तक निर्णय नहीं किया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकलवाया जाना

*749. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया से जमा राशि से काफी अधिक धन निकलवा रही है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक राज्य सरकार से बार-बार आग्रह कर रहा है कि वह जमा राशि से अधिक निकलवाई गयी राशि का शीघ्र भुगतान कर दे अन्यथा वह आन्ध्र प्रदेश सरकार के लेनदेन पर सख्त वित्तीय पाबन्दियां लगा देगा ;

(ग) क्या इससे राज्य की शासन-व्यवस्था में बाधा आयेगी ;

(घ) क्या इस तत्कालिक कठिनाई पर काबू पाने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऋण की मांग की है जिससे वह निकलवाई गयी अधिक राशि का भुगतान कर सके ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां । 18 जून, 1971 को आन्ध्र प्रदेश सरकार के नाम ओवर-ड्राफ्ट की रकम 39.82 करोड़ रुपया थी ।

(ख) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में आन्ध्र प्रदेश और ओवर-ड्राफ्ट लेने वाली अन्य राज्य सरकारों को लिखा है कि वे जून 1971 के अन्त तक ओवर-ड्राफ्ट की रकम चुकाने की व्यवस्था करें और इस सम्बन्ध में बैंक ने उन्हें परामर्श दिया है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति का जायजा लें और इस बात पर विचार करें कि इस प्रयोजन के लिये वे स्वयं कितने साधन जुटा सकती हैं अथवा जीवन बीमा निगम या अन्य अभिकरणों से कितनी रकम प्राप्त कर सकती हैं । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये अनुरोध किया है । राज्य सरकार के इस अनुरोध पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विशाखापत्तनम वाह्य बन्दरगाह पर निर्माण कार्य

*750. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम वाह्य बन्दरगाह पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) निर्माण कार्य किस एजेंसी से करवाया जा रहा है ;

(ग) इस कार्य में विदेशी सहयोग कितना है ; और

(घ) यह कार्य किन-किन चरणों में पूरा किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) वाह्य बन्दरगाह का निर्माण सम्बन्धी कार्य किसी एक एजेन्सी को नहीं सौंपा गया है । इस कार्य में बहुत सी मदें शामिल हैं, जैसे पनकट दीवार का निर्माण, पत्थरों को निकालना, निर्माण उपस्करों की प्राप्ति, निकर्षण कार्य, लौह-अयस्क घाट का निर्माण, यांत्रिक खनिज लदान संयंत्र लगाना

आदि । पत्थर निकालने, ब्लाकों को तैयार करने और पनकट दीवार के निर्माण के लिए मुख्य ठेका मई, 1971 में दिया गया था । कार्य की कुछ मदें जैसे निकर्षण कार्य, यथा समय हाथ में ली जायेंगी ।

(ग) परियोजना के निष्पादन में कोई विदेशी सहयोग नहीं है । विशाखापत्तनम् बन्दरगाह परियोजना तथा बैलडिला खान परियोजना दोनों परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपस्कर की आयात करने की लागत को पूरा करने के लिए जापान सरकार के साथ 5.25 करोड़ रुपये की परियोजना सहायता के लिए एक करार हुआ है ।

(घ) वाह्य बन्दरगाह का निर्माण सम्बन्धी कार्य, समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने तथा मई, 1974 तक चालू करने की दृष्टि से, समन्वित कार्य क्रम के अनुसार किया जा रहा है ।

Dilapidating Condition of Bibi Ki Masjid in Burhanpur

3098. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the "Bibi Ki Masjid" in Burhanpur City in East Nimad district in Madhya Pradesh, is fast dilapidating ; and

(b) whether any study has been undertaken to find out the reasons thereof and if so, the steps taken to save it from dilapidation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में पाकिस्तानी मुद्रा का पकड़ा जाना

3099. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर 2 जून, 1971 को (अर्याना) इन्टरनेशनल एयरवेज से काबुल को जा रही एक महिला यात्री से 126,000 रुपयों की पाकिस्तानी मुद्रा पकड़ी गई है ; और

(ख) क्या इस बीच मामले की जांच करली गई है और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) . 2 जून, 1971 को पालम हवाई-अड्डे पर एक महिला यात्री से 1,26,000/–रुपये के मूल्य की पाकिस्तानी मुद्रा पकड़ी गई थी। उसे अर्याना–कम्पनी के हवाई जहाज द्वारा काबुल जाना था । उक्त महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया । जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है ।

Loans to Farmers in Madhya Pradesh

3100. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether loans have been advanced to small farmers on long term basis and to the rich farmers on short term basis in Madhya Pradesh ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). It is presumed that the Hon'ble Member refers to loans by commercial banks. Banks advance loans to farmers according to their requirements and the viability of the schemes. The nationalised banks have liberalised credit facilities to the agricultural sector.

Realisation of Arrears of Income Tax

3101. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the action taken so far to realise the arrears of Income-tax in Madhya Pradesh ;

(b) whether the situation in regard to the realisation of the arrears of Income-tax has improved as a result thereof ;

(c) if so, the extent of the improvement made ; and

(d) the amount of Income-tax arrears outstanding at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (d). The information is not readily available and is being collected. It will be placed on the Table of the House as soon as it is available.

Upgradation of Cities in Madhya Pradesh

3102. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to upgrade the district cities of Guna, Gwalior, Bhind, Morena and Shivpuri of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the manner in which and the time by which it is likely to be finalised ; and

(c) the revised classification in regard to these cities ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). No, Sir. Any further classification/re-classification of cities and towns including those in Madhya Pradesh will have to await the results of the 1971 Census. The final population figures are still awaited.

The qualifying limits of population for 'C', 'B-2', 'B-1' and 'A' class cities/towns are 50,000, 4 lakhs, 8 lakhs and 16 lakhs respectively.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर का अपर्याप्त होना

3103. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्ति की वर्तमान दर अपर्याप्त है; और

(ख) क्या सरकार का इन दरों में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्ति योजना के अधीन छात्रवृत्तियों की राशि में मासिक भरण-पोषण अनुदान तथा विहित शिखर सीमा तक सभी लौटाई न जाने वाली फीसों, अध्ययन दौरे और थिसिस टाइपिंग/प्रिंटिंग खर्चों की अदायगी जैसी अन्य रियायतें शामिल हैं ।

यद्यपि सरकार ने फीसों की बढ़ोतरी को पूरा कर दिया है परन्तु वित्तीय प्रतिबन्ध के कारण मासिक भरण-पोषण भत्ते को बढ़ाना सम्भव नहीं है। यह वांछनीय समझा गया कि भरण-पोषण भत्ते को बढ़ाने के बजाय, जिससे छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्रों की संख्या में कमी हो जानी थी, उपलब्ध सीमित साधनों में से अधिक से अधिक छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाय।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के मेधावी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उन छात्रों के लिए मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों की दरों को 50 प्रतिशत बढ़ा कर भरण-पोषण खर्च को बढ़ाने का निर्णय किया गया है, जो अपनी फाइनल परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक (अथवा प्रथम श्रेणी) प्राप्त करते हैं और इस शैक्षिक सत्र से पूर्णकालिक मैट्रिक-उपरान्त पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं।

महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के लिये स्थानों का आरक्षण

3104. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के लिये स्थानों की कोई भी प्रतिशतता आरक्षित नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिवासियों और अनुसूचित अस्थिरवासी जातियों और अनुसूचित आदिवासियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं :—

(i) पोलिटेक्निक के डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(ii) विधि रसायन, सिविल यांत्रिक, विद्युत् धातकर्मीय तथा टैक्सटाइल-इंजीनियरी और वस्त्रशिल्प विज्ञान और वास्तुकला में डिग्री पाठ्यक्रम।

(iii) पूर्व-मेडिकल और कला, विज्ञान और वाणिज्य में प्राक्प्रवेश पाठ्यक्रम।

एयरलाइन्स कर्मचारियों को अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा पर कर भुगतान की छूट की मांग

3105. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाइंस कर्मचारी यूनियन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि एयरलाइन्स के कर्मचारियों को अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा पर लगने वाले 20 प्रतिशत कर की छूट दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि बजट प्रस्तावों से सम्बन्धित मामलों में इस समय इस प्रकार के अभ्यावेदनों पर कोई भी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना सम्भव नहीं है । इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है ।

सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्ति

3106. **श्री पी० के० देव : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र में स्थायी रूप से रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे सरकारी उपक्रमों अथवा सम्बन्धित अधिकारियों को क्या लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सरकार ने यह निर्णय किया है कि असैनिक सेवाओं से सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों पर इन उद्योगों की निर्भरता को कम किया जाय । इस प्रयोजन के लिये ये आदेश जारी किये गये हैं कि सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को यह विकल्प चुनना होगा कि क्या वे इन उद्योगों में स्थायीरूप से सेवा करना चाहते हैं या निर्धारित अवधि के अन्दर अपने मूल संवर्ग में वापस जाना चाहते हैं । इस उपाय से, उद्यमों में एक समरूप प्रबन्धकीय संवर्ग का विकास करने, उद्यमों के साथ उसके अधिकारियों का अधिक गहरा सम्बन्ध स्थापित करने और उद्यमों के अधिकारियों को जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए अच्छे अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिये आवंटित की गई और उन पर खर्च की गई धनराशि

3107. **श्री अमर नाथ चावला : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों पर खर्च करने के लिये 418 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या योजना के प्रथम दो वर्षों में इस प्रयोजन के लिये केवल 66 करोड़ रुपये खर्च किये गये और यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है लोक निर्माण विभाग अपने तन्त्र में सुधार करे, सड़क निर्माण के लिये द्रुत कार्यक्रम चलाये और परियोजना के कार्य में तेजी लाये ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है कि राज्य सरकारें गांवों में सड़क योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करें और प्रयोजन के लिये निर्धारित धनराशि को अन्यत्र खर्च न करें ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। चौथी योजना में केन्द्रीय सेक्टर सड़क योजनाओं के लिये 418 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गयी है।

(ख) जी, हां। पर्याप्त संगठनों का अभाव, दुर्वहनीय प्रणालियां, कुछ आवश्यक निर्माण सामग्री की कमी भूमि अधिग्रहण समस्याएं आदि धीमी प्रगति के कारण है।

(ग) सम्पूर्ण मामले पर राज्य सार्वजनिक निर्माण कार्य सचिवों तथा मुख्य इंजीनियरों के 5 से 7 जून 1971 तक नयी दिल्ली में हुए सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था जबकि उनको कार्य के ताव बढ़ाने की आवश्यकता और अविलम्बिता स्पष्ट कर दी तथा वर्तमान प्रणालियों में सुप्रवाही बनाने तथा मौजूदा संगठनों में वृद्धि के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विभिन्न उपाय बताये गये थे।

भारत सरकार द्वारा पहले किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) जांच, परियोजना बनाना, योजनाओं की आयोजना करना आदि से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही के लिये राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभागों द्वारा अमला लगाने हेतु एक एजेन्सी प्रभार की आरम्भिक अदायगी के रूप में योजनाओं की लागत के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत में से $1\frac{3}{4}$ प्रतिशत की स्वीकृति, तथा

(2) वर्तमान शक्तियों को उदार बनाना जिसमें लेखा परीक्षक को अधिकृत किया जाये कि वह भारत सरकार को विस्तृत अनुमान बिना प्रस्तुत किये स्वीकृत अनुमानों पर अधिक व्यय जिनकी उच्चतर सीमा बढ़कर 25,000 रु० से योजनाओं की लागत के 10 प्र० तक हो स्वीकार कर लें बशर्ते कि 2.50 लाख रु० से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त हाल ही में राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य सचिवों और मुख्य इंजीनियरों की बैठक में निम्नलिखित के लिये भी सिफारिशें की गई थी।

(1) राज्य के सा० नि० कार्य विभागों को सुदृढ़ बनाना और केन्द्रीय सेक्टर सड़क योजनाओं के लिये अलग अमला रखने की व्यवस्था।

(2) सामग्री प्रबन्ध, अभिकल्पों तथा आयोजनाओं के लिये राज्य के सा० नि० कार्य विभागों में विशेषज्ञों के सेल की स्थापना ;

(3) राज्य सा० नि० कार्य विभागों के लिये भूमि के अधिग्रहण के लिये कलेक्टर की शक्तियों सहित अलग अधिकारियों की नियुक्ति।

(4) वर्तमान प्रणाली को सुप्रवाही बनाने और निविदाओं के आमंत्रित करने उनको तय करने और कार्य को ठेकेदार को देने और उसके बाद कार्य को शुरू करने में समय अन्तराल को कम करना।

(5) केन्द्रीय सड़क पक्ष को सशक्त करना ; और

(6) प्रगति की निरन्तर समीक्षा।

(घ) ग्रामीण सड़कें मुख्यत: राज्य के कार्यकलापों के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और तत्सम्बंधी सभी मामलों पर संबन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। इस मामले पर राज्य सार्वजनिक निर्माण सचिवों और मुख्य इंजीनियरों के हाल के सम्मेलन में विस्तार से विचार-विमर्श भी किया गया

जब राज्यों में ग्रामीण सड़क विकास कार्य की गति को तीव्र करने की आवश्यकता और अविलम्बिता पर जोर दिया गया और ग्रामीण सड़कों के लिये राज्यों के साधनों को बढ़ाने के लिये उपाय सुझाये गये। इस सम्बन्ध में उनको यह भी कहा गया कि ग्रामीण सड़कों के लिये निर्धारित धन-राशि को अन्य कार्यों पर न लगाया जाये। यह पहले भी राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई है यह जून 1968 में हुये परिवहन विकास परिषद के सिफारिश के अनुकरण में किया गया था।

राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों में कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति

3108. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन बीमा कम्पनियों में जिनका हाल ही में राष्ट्रीयकरण किया गया है, कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करन के पश्चात् क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) साधारण बीमा (आपात-(उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 के अन्तर्गत, सरकार द्वारा जिन 106 विविध बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया गया है उनमें से 102 कम्पनियों का प्रबन्ध चलाने के लिए सरकार ने अभि-रक्षक नियुक्त किये हैं। बाकी चार कम्पनियों का अर्थात् ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि०, ज्युपिटर जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लि०, इण्डियन गारण्टी एण्ड जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लि० और इण्डिया रि-इंश्योरेंस कारपोरेशन लि० का प्रबन्ध सरकार की तरफ से, वर्तमान प्रबन्धकों द्वारा ही चलाया जा रहा है।

(ख) इन सब बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण और चार विविध बीमा निगमों में समेकन के लिए एक विधेयक यथासमय संसद में पेश करने का विचार है।

उद्योगों को ऋण सुविधा की व्यवस्था

3109. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने हाल ही में सरकार को ऋण देने पर रोक लगाने और उद्योगों के उचित विकास के लिए उन्हें और अधिक ऋण सुविधाएं देने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। संगठन ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण-सीमाओं के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी अधिकतम सीमाओं के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है।

(ख) रिजर्व बैंक, बैंक-ऋण के प्रवाह को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि उत्पादक प्रयोजनों के लिए उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताएं अवश्य पूरी हो जायं।

नेपाल के लिए आयातित माल की रास्ते में जहाजों से चोरियां

3110. **श्रीमती बिभा घोष** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के लिए आयातित माल की भारत में पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही जहाजों से चोरी हो रही है ;

(ख) क्या पत्तन आयुक्त के गोदाम में आयातित माल के स्थान पर समुद्री रेत, जहाजों के खराब पुर्जे और विदेशी पैकिंग सामग्री आदि रख दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो आयातित वस्तुओं की इस चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) पत्तन आयुक्तों को माल अवतरण के बाद की प्राप्त होता है और वे नौवहन एजेंटों को खो खो और गट्ठरों की बाहरी दशा के अनुसार रसीद देते हैं। उनके लिए यह कहना संभव नहीं है कि किसी माल की टिकिया चोरी चलते पोतों में हुई है ।

(ख) पत्तन आयुक्तों ने बताया है कि ऐसे मामलों की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

(ग) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने अपनी अभिरक्षा के अन्तर्गत के ऐसे माल की चोरी और टिकिया चोरी को रोकने के लिए सब संभव उपाय किये हैं।

Export of Opium

3111. **Dr. Laxminarain Pandey :**
Shri Brijraj Singh Kotah :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of opium exported to foreign countries by India during the last year ;

(b) the names of the countries to which opium was exported ; and

(c) whether there has been any increase or decrease and how it compares with the figures of the preceding two years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Opium valued at Rs. 9,09,75,000/- was exported to foreign countries during the Calendar Year 1970.

(b) The names of the countries to which opium was exported during the Calendar Year 1970 are as under :

"Argentina, Belgium, Bulgaria, France, Federal Ruplic of Germany, Holland, Italy, Japan, Spain, Switzerland, United Kingdom, U. S. S. R. and United States of America."

(c) There has been an increase both in value and quantity of opium exported during the year 1970 as compared to the preceding two years as shown in the table below :

Calendar Year	Quantity of opium exported in tonnes	Value of opium exported in Rupees (in thousands)
1968	555	4,87,88
1969	662	6,72,78
1970	808	9,09,75

डा० धर्म तेजा का मुकदमा

3112. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० धर्म तेजा पर, जिसे वापस भारत लाया गया है, भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले को पुनः केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । सी० वी० आई० ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 465, 467 और 477-क के अंतर्गत डा० धर्म तेजा के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत कर लिया है । न्यायालय को अभी दोषों की विरचना करनी है ।

(ख) केन्द्रीय जांच व्यूरो ने डा० धर्म तेजा के विरुद्ध एक आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत कर लिया है और इस मामले की सुनाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नयी दिल्ली के न्यायालय में होगी । अतः इस मामले को पुनः केन्द्रीय जांच व्यूरो को देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पश्चिम बंगाल में स्थाई देयता-शिविरों को बन्द करना

3113. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के लिए खोले गये स्थाई देयता शिविरों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उन (शिविरों) को कब तक चलाने का है ; और

(ग) इन शिविरों के लिए कितना वार्षिक धन निर्धारित किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कोई विशिष्ट तारीख निश्चित नहीं की जा सकती है । तो भी इन स्थाई देयता शिविरों/गृहों को तब तक बन्द नहीं किया जा सकता जब तक कि परिवार पुनर्वास योग्य नहीं हो जाते और पुनर्वास अनुदान/कर्ज इत्यादि देकर उन्हें तितर बितर नहीं कर दिया जाता ।

(ग) इन स्थाई देयता शिविरों/गृहों के लिए धन निर्धारण लगभग 1.50 करोड़ रुपये वार्षिक है ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता में वृद्धि

3114. **श्री जदेजा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मन्जूर की गई वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इसका कारण ऋण देने की नवीन नीति है ; और

(ग) यदि हां, तो ऋण देने की नई नीति का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 31 मार्च 1971 को समाप्त हुई तिमाही में 49 आवेदन पत्रों पर 1592.92 लाख रुपये की सहायता मंजूर की थी जबकि 31 दिसम्बर 1970 को समाप्त हुई तिमाही में 13 आवेदन पत्रों पर 596.76 लाख रुपये की सहायता दी गई थी।

(ख) और (ग). मन्जूर किये गये आवेदन पत्रों की संख्या में वृद्धि निवेश के वातावरण में सामान्य सुधार हो जाने के कारण हुई है। निगम ने पिछली तिमाही में ऋण देने की ऐसी कोई विशेष नई नीति नहीं अपनाई है। फिर भी निगम की ऋण सम्बन्धी नितियों की लगातार समीक्षा की जाती रहती हैं।

सीमेंट आवंटन और समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच

3115. **श्री नुग्घल्ली शिवप्पा** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट आवंटन और समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) क्या जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र बम्बई, ने 1967 में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा, 209 (4) के अन्तर्गत मै० सीमेंट आवंटन एवं समन्वय संगठन के लेखे की किताबों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण से पता चला कि 1966 में, कम्पनी के लेखे की किताबों में, 31,16,288.72 रु० की एक रकम "प्रकाशन एवं सार्वजनिक सम्बन्ध लेखे" में खर्च की गई थी। इस राशि का एक बड़ा भाग कम्पनी के प्रशासनिक निकाय के अध्यक्ष को दिया गया था। 1967 में, उसको एक बड़ी निधि सौंपी गई थी। कम्पनी द्वारा कुल वितरित राशि, 39,50,589.69 रु० थी। देनदारी के ब्योरा संलग्न विवरण-पत्र में दिये गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 541/71.**]

विभाग को परामर्श दिया गया है कि राजनैतिक दलों को दिये गये धन से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 क के उपबन्ध आकर्षित होते हैं। तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र ने सम्बन्धित पार्टियों को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये हैं। एक को छोड़कर अन्य सभी ने उत्तर दे दिये हैं। कम्पनी रजिस्ट्रार को उससे इस विषय पर सम्पर्क स्थापित करने का परामर्श दिया गया है।

विदेशों में भेजे गये शिष्टमंडल

3116. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्टमण्डलों की क्या संख्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) :

उक्त अवधि में विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि-मण्डलों की संख्या नीचे लिख अनुसार है:

1968—69	615
1969—70	734
1970—71	911

केरल में कुष्ट रोगी संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

3117. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिचुर के केरल कुष्टरोगी संघ की ओर से उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) अभी हाल में नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण परिषद् की रोजगार योजना तैयार करने सम्बन्धी योजना

3118. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों के सहयोग से रोजगार योजना तैयार करने के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की क्या योजना है ; और

(ख) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को तकनीकी शिक्षा के विकास तथा समन्वय प्रत्येक पहलू और तकनीकी संस्थाओं में स्तर निर्धारण पर, सलाह देने के लिए किया गया था। रोजगार योजनाओं को बनाने का कार्य, परिषद् के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी पर उत्पादन शुल्क

3119. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, तमिल नाडु, मैसूर, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, और महाराष्ट्र में चीनी पर लगाये गये उत्पादन शुल्क की दरें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरें देश भर में एक समान है, जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने का सम्बन्ध है, विभिन्न

राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। चीनी की विभिन्न किस्मों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वर्तमान प्रभावी दरें निम्नलिखित हैं :

क्र० सं०	चीनी का विवरण	शुल्क की प्रभावी दरें	
		मूल	अतिरिक्त
1.	खांडसारी अथवा पामीरा (Palmyra) चीनी से भिन्न चीनी	24 प्रतिशत मूल्यानुसार	6 प्रतिशत मूल्यानुसार

टिप्पणी :—इस समय इस चीनी का शुल्क निर्धारण प्रति क्विंटल 125/- रुपये के टैरिफ मूल्य के आधार पर किया जाता है।

2.	खांडसारी चीनी	15 प्रतिशत मूल्यानुसार	2. 5 प्रतिशत मूल्यानुसार

टिप्पणी 1. विद्युत-सहायता से निर्मित राव के प्रयुक्त होने पर भी, गैर-विद्युत यंत्र द्वारा सल्फीटेशन सयन्त्र की सहायता के बिना निर्मित खांडसारी चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूर्णतया छूट मिली हुई है।

टिप्पणी 2. खांडसारी चीनी के निर्माता वैकल्पिक सम्मिलित शुल्क दरों का लाभ उठा सकते हैं।

3.	पामीरा चीनी	कुछ नहीं	कुछ नहीं

Report of Committee set up to study grant of Loans through Nationalised and Cooperative Banks

3120. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether many complications have developed on account of the fact that the loans are advanced to the farmers by the Nationalised Banks and Cooperative Banks simultaneously ;

(b) whether grant of loan to the farmers is now much delayed on account of these double facilities given to them ;

(c) whether a Committee was formed under the Chairmanship of Prof. D. R. Gadgil in this regard ; and

(d) if so, the recommendations thereof ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No Sir.

(b) No Sir.

(c) and (d). Presumably the reference is to the report of the Study Group on Organisational Framework for the Implementation of Social Objectives headed by the Late Prof. D. R. Gadgil. The Group inter-alia, dealt with the question of coordination between the commercial banks and the co-operatives. The Group emphasized the need for strengthening the relationship between the cooperative and commercial banking structures and bringing about proper coordination in their activities. One specific recommendation of the Group in this regard was that commercial banks could directly finance primary agricultural credit societies, particularly in cases where central cooperative banks on account of their own weaknesses were incapable of providing adequate credit facilities to affiliated credit societies.

चीनी पर उत्पादन शुल्क में कमी

3121. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री आर० वी० बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क में 25 प्रतिशत कमी करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : 25 मई 1971 से पहले, जब चीनी के मूल्य, उसके लाने ले जाने तथा वितरण पर आंशिक नियंत्रण था, तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दो प्रभावी दरें रखी गई थीं । खुली बिक्री की चीनी पर मूल्यानुसार $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत की निश्चित दर पर शुल्क अदा किया जाता था किन्तु एक छूट सम्बन्धी अधिसूचना के द्वारा लेवी चीनी पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की निम्नतर दर पर शुल्क की अदायगी की जाती थी। 25 मई 1971 से चीनी के मूल्य, उसके लाने ले जाने तथा वितरण पर से नियंत्रण को पूरी तरह हटा लिए जाने से लेवी चीनी तथा खुली बिक्री की चीनी की भिन्नता समाप्त हो गयी। इसलिए वैक्यू अप पैन चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित सारी चीनी पर शुल्क की केवल एक ही दर रखना आवश्यक हो गया। इस प्रकार एक छूट सम्बन्धी अधिसूचना जारी करके मूल्यानुसार 30 प्रतिशत (24 प्रतिशत मूल तथा 6 प्रतिशत अतिरिक्त) की एक नई दर नियत की गई है जो विनियंत्रण से पूर्व प्रवर्तमान दो दरों की भारित औसत है। शुल्क सम्बन्धी यह पुनर्व्यवस्था केवल चीनी के विनियंत्रण सम्बन्धी निर्णय का परिणाम है और इसका राजस्व सम्बन्धी कोई महत्व नहीं है ।

मैसूर को वित्तीय सहायता

3122. **श्री के० लकप्पा :**

श्री नुग्घल्ली शिवप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए उनमें वृद्धि करने हेतु उसे वित्तीय सहायता दी जाये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य से कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पेरिस में भारत सहायता संघ का सम्मेलन

3123. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता संघ की हाल ही में पेरिस में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा जो निर्णय किये गये उनका ब्यौरा क्या है तथा ऋण के लौटाने तथा ऋण को चुकाने सम्बन्धी खर्च सहित भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका क्या प्रभाव होगा ;

(ग) क्या भारत ने संघ से अधिक सहायता देने के लिये अनुरोध किया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ; और

(घ) इस धन राशि का किन परियोजनाओं में उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी, हां। भारत सहायता संघ की बैठक 17 और 18 जून, 1971 को पेरिस में हुई थी।

(ख) सहायता संघ की बैठक के बाद जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है।

(ग) सहायता की आवश्यकताओं के अनुमान विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से लगाये जाते हैं। सहायता संघ के सदस्यों ने विश्व बैंक के अनुमानों का अनुमोदन कर दिया है और वे इस बात पर सहमत हो गये हैं कि 1971-72 के लिये, प्रायोजना भिन्न, प्रायोजना-गत सहायता और अन्न सहायता के रूप में भारत को कुल मिला कर लगभग 125 करोड़ डालर के नये बचन दिये जाने की आवश्यकता है।

(घ) सहायता की वास्तविक रकम और उन प्रायोजनाओं/कार्यक्रमों का पता जिनके लिये सहायता का प्रयोग किया जायगा, द्विपक्षीय सहायता करारों को अन्तिम रूप दिये जाने और उन पर हस्ताक्षर होने के बाद ही लग सकेगा।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

प्रेस विज्ञप्ति

तत्काल प्रकाशन के लिये—18 जून, 1971

विषय :—भारत सहायता संघ

पेरिस स्थित विश्व बैंक के योरोपीय कार्यालय से आज निम्नलिखित उद्घोषणा की गयी :—

भारत को विकास सम्बन्धी सहायता देने में रुचि रखने वाली सरकारों और संस्थाओं के संघ की बैठक 17 और 18 जून, 1971 को, विश्व बैंक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैण्ड, नार्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, संयुक्त राट्र संघीय विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक का उद्देश्य, भारत के आर्थिक विकास की प्रगति की समीक्षा करना, पहली अप्रैल, 1971 को शुरू होने वाले राजस्व-वर्ष के लिये भारत की आवश्यकताओं पर विचार करना और भारत के भावी आर्थिक विकास में सहायता संघ के सम्भावित योगदान से सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार करना था।

देश के मौजूदा आर्थिक विकास और सहायता की आवश्यकताओं के बारे में बताने के लिये, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव डा० आई० जी० पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

सहायता संघ के सदस्यों ने एक अलग बैठक में, भारत के पूर्वी प्रदेशों में हाल में बड़ी संख्या में आये शरणार्थियों की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों से सम्बद्ध उच्चायुक्त के प्रतिनिधि की और भारत सरकार की विशेष रिपोर्ट सुनी। इन शरणार्थियों के लिये व्यवस्था करना यद्यपि एक अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व है परन्तु उनको तुरन्त सहायता दिये जाने के कारण भारत की अर्थ-व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। सदस्यों ने इस स्थिति के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की और वे इस बात से सहमत थे कि जब तक ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं की जातीं जिनसे ये शरणार्थी शीघ्र ही अपने-अपने घरों को वापस जा सकें, तब तक इससे भारत के आर्थिक विकास के लिये गम्भीर परिणाम निकलने की आशंका है। सदस्यों ने अब तक दी गयी आपात सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा दिया और यथाशक्य सहायता देने की इच्छा प्रकट की। सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के लिये जो भी सहायता दी है, वह सामान्य विकास सहायता से भिन्न और उसके अलावा होगी।

बैठक में भारत की 1970-71 की आर्थिक स्थिति में हुए लगातार सुधार पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। सहायता संघ के सभी सदस्यों ने कृषि उत्पादन में हो रही लगातार प्रगति का स्वागत किया। कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के अनुपात से और अनाज की एक और रिकार्ड फसल होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है, उसमें कृषि-उत्पादन का योगदान प्रमुख रहा है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि बराबर जारी रही हालांकि वृद्धि का अनुपात पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम रहा है। यद्यपि 1970 में मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही फिर भी नियन्त्रण लगाये जाने के कारण, गत छः महीनों के दौरान सूचक अंकों का स्तर स्थिर रहा। सदस्यों ने इस बात को नोट किया कि विकास के लिये जुटाये गये साधनों में से 90 प्रतिशत से अधिक साधन स्वयं भारत में ही जुटाये गये हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का स्वागत किया कि 1971-72 के लिये प्रस्तावित और अधिक आन्तरिक साधन जुटाने के लिये पर्याप्त अतिरिक्त प्रयास किये जायंगे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि विकास की गति को तेज करने के अवसरों के सम्बन्ध में उपलब्ध अतिरिक्त आन्तरिक वित्तीय साधनों और विदेशी सहायता के अनुरूप ही कार्य किया जा सकता है। निर्यात कार्य आयोजित लक्ष्यों के अनुरूप रहा। जूट से बनी वस्तुओं जैसे परम्परागत निर्यातों में जो कमी हुई वह गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात से हुई आय में वृद्धि से फिर पूरी हो गई। सदस्यों ने निर्यात के विकास की गति को तेज करने के प्रयासों के महत्व पर बल दिया।

यह स्वीकार किया गया कि यदि अर्थ-व्यवस्था की प्रगति को बनाये रखना है और उसे तेज करना है तो भारत को आयोजना भिन्न और आयोजनागत सहायता की काफी बड़ी रकमों के नये वचन देने की आवश्यकता है। सदस्य इस बात पर सहमत थे कि पहली अप्रैल, 1971 से शुरू होने वाले वर्ष के लिये लगभग 6500 लाख डालर की आयोजना-भिन्न सहायता, लगभग 5000 लाख डालर की आयोजनागत सहायता और लगभग 1000 लाख डालर की खाद्य सहायता के नये वचनों की आवश्यकता होगी। सहायता के इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये, बहुत से सदस्यों ने अपने अपने अंशदानों की रकमों का संकेत दिया, परन्तु इन रकमों के लिए आवश्यक स्वीकृति लेनी होगी। अन्य सदस्यों ने भी वर्ष के दौरान सहायता देने की आशा व्यक्त की और उन्होंने समूचे कार्यक्रम को अपना समर्थन प्रदान किया। कुल रकम में से सदस्यों ने लगभग 900 लाख डालर की ऋण राहत सहायता के बारे में कार्रवाई किये जाने का संकेत दिया। यह कार्रवाई उस तीन वर्षीय ऋण राहत कार्यक्रम के अलावा एक और वर्ष के लिये जारी रहेगी, जो 1970-71 में पूरा हो गया है।

धन जमा करने वालों के लिए बीमा व्यवस्था

3124. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जून, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सिंडीकेट बैंक ने जीवन बीमा निगम के सहयोग से अपनी समस्त शाखाओं में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बचत बैंक जमा धारकों के लिये जीवन बीमे की व्यवस्था करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना से जन सामान्य को किस रूप में और कितना लाभ होने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा डाक घरों में भी चालू करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सिन्डीकेट बैंक ने पहली जून, 1971 से 'बीमा-बद्ध बचत जमा खाता योजना' नामक एक योजना शुरू की है।

(ख) उक्त योजना में उस खातादारी के लिए जीवन बीमा की व्यवस्था है जिसने इस योजना में विहित शर्तों के अनुसार बैंक में विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बचत खाता खोला हो। यदि किसी खाताधारी की अवस्था 40 वर्ष या उससे कम हो और उसकी अकाल मृत्यु हो जाय तो उसके आश्रितों को खाताधारी के खाते में जमा रकम के अलावा, जिस तारीख को खाताधारी की मृत्यु हुई हो उससे पहले की अर्ध-वार्षिक लेखा अवधि में उसके खाते में जमा की औसत रकम से दुगनी रकम मिलेगी और यदि मृत्यु के समय खाताधारी की अवस्था 41 वर्ष से 49 वर्ष के बीच हो तो उसके खाते में जमा रकम के अलावा, जमा की औसत रकम के बराबर की रकम खाताधारी के आश्रितों को मिलेगी। 40 वर्ष तक की अवस्था के खाताधारियों के लिए बीमे की रकम की सीमा 10,000 रुपये तक है और 41 वर्ष और 49 वर्ष के बीच की अवस्था वालों के लिए 5000 रुपये तक।

18 वर्ष और 49 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति, जिनका देहाती क्षेत्रों (अर्थात् अधिक से अधिक 10,000 की जनसंख्या वाले स्थानों) के बैंकों के बचत-खातों में कम से कम 500 रुपये का और अन्य स्थानों के बैंकों में कम से कम 1,000 रुपये की ब्याजू रकम शेष हो, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने भी पहली जून, 1971 से इसी प्रकार की एक योजना शुरू की है जब कि बैंक आफ बड़ौदा ने इस प्रकार की योजना शीघ्र ही शुरू करने के अपने आशय की घोषणा की है।

डाकघर बचत बैंकों में इस प्रकार की योजना शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण

3125. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल विकास ऋण योजना से निधियों के मंजूर किये जाने की शर्तें क्या हैं ;

(ख) अप्रैल 1968 में इस योजना के आरम्भ से लेकर अब तक इस निधि से जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है उनके नाम क्या हैं और उन्हें कितनी राशियों के ऋण दिये गये हैं ; और

(ग) यह ऋण किस आधार पर दिये जाते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग). ऐसे अनुदेशों की प्रतियां जिनमें होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण का विनियम न करने वाली शर्तें दी गई हैं, और कम्पनियों के नामों तथा अनुमोदित एवं वितरित किये गये ऋणों की राशियों को दिखाने वाले विवरण सभा-पटल पर रखे हैं । **ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 542/71.]**

Applications for Loans received by Nationalised Banks in certain Districts of Madhya Pradesh

3126. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of applications received so far by the nationalised banks in Morena, Bhind, Gwalior and Guna districts (Madhya Pradesh) for granting loans for small scale industries, agricultural inputs and irrigation purposes ;

(b) the number of persons to whom loans were given by the nationalised banks, district-wise indicating the total amount of loans advanced ; and

(c) the action being taken on the remaining applications pending with the banks ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Data is not maintained in the form asked by the Hon'ble Member. However, data regarding number of loans sanctioned by nationalised banks and the amount outstanding in the State of Madhya Pradesh as on the last Friday of December 1970 are given below :

Small Scale Industries	No. of units	1065	Rs. 692.03 lakhs
Agriculture	No. of A/Cs.	17892	Rs. 429.16 lakhs

(c) Since nationalisation the banks have adopted a liberalised credit policy in respect of hitherto neglected sector like small scale industries and agriculture. The banks consider all applications on merits, provided the schemes are operationally viable.

Publicity Regarding Temples and Historical Places of Madhya Pradesh in Foreign Countries

3127. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviations** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that wide publicity is not given in foreign countries to the temples, historical places and other beauty spots in Madhya Pradesh ; and

(b) the action taken or proposed to be taken to give more publicity in foreign countries about the aforesaid region of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi) : (a) and (b). Temples and other places of tourist interest in Madhya Pradesh are given wide publicity in foreign countries with a view to attracting more foreign tourists to India. Literature in this context is published in different languages and distributed in the foreign countries.

Recovery of Smuggled Gold from Pilots of Indian Airlines

3128. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a large quantity of gold had been recovered from the cabin of pilots of an Indian Airlines Plane at Dum-Dum airport in the last fortnight of May, 1971 ;

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken and the nature of action taken against them ; and

(c) the value of gold so recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). On 28.5.71, at Dum-Dum Airport, gold weighing !5 Kgs valued at about Rs. 1.27 lakhs at the international monetary rate and about Rs. 2.6 lakhs at Indian market rate was seized from two unclaimed bags found with the crew's baggage of an Indian Airlines aircraft and not from pilot's cabin. One crew member was arrested. He was released by the Magistrate on a bail of Rs. 1 lakh with 4 sureties of Rs. 25000/- each.

तस्करी का सामान ले जा रही एक यंत्रीकृत नौका का पकड़ा जाना

3129. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने 12 अप्रैल, 1971 को जूनागढ़ जिले में मंगरोल समुद्र तट से लगभग आठ मील दूर शोल में एक यंत्रीकृत नौका पकड़ी थी ;

(ख) क्या उससे तस्करी का कुछ सामान भी बरामद किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 13 अप्रैल, 1971 को मंगरौल समुद्र-तट के परे एम० एस० वी० पूर्ण बिहार बेदी सं० 59 जहाज पकड़ा गया था जो 5 अप्रैल 1971 को बम्बई से दुबाई के लिए रवाना हुआ था। जहाज पर कर्मीदल के 10 सदस्यों के साथ-साथ 91 यात्री सवार थे। उन यात्रियों के पास भारत को छोड़ने के लिए कोई पार-पत्र नहीं थे, इसलिये पार-पत्र अधिनियम 1967 के अधीन पुलिस-प्राधिकारियों द्वारा उनको आरोप-पत्र दिये गये और 4 मई 1971 को केशोद मंगरोल (लिंक) न्यायालय के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सभी अपराधियों को न्यायालय के उठने तक एक दिन की साधारण कैद की सजा दी गई थी। तस्कर आयात-निर्यात का कोई माल बरामद नहीं हुआ था।

आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत एकत्रित किया गया धन

3130. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 के लागू होने की तिथि से लेकर इसके समाप्त किये जाने तक इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार कितना धन एकत्र किया था ;

(ख) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वित्त वर्ष 1970-71 के अन्त तक किसी एक कारखाने को कितने धन का भुगतान किया गया है ; और

(ग) इस राशि में से कितनी राशि सिब्बन्दी तथा जोखिम और बीमे के प्रीमियम तथा दण्ड वसूल करने पर खर्च हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आपात जोखिम (कारखाना) बीमा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत वसूलियों के राज्यवार ब्योरे इकट्ठे किये जा रहे हैं और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दिये जायेंगे।

(ख) वित्तीय वर्ष 1970-71 के अन्त तक अधिनियम के अन्तर्गत दावों के निपटारे में कुल 81.43 लाख रुपये की रकम चुकायी गयी है।

(ग) अधिनियम के अन्तर्गत प्रीमियमों तथा दण्ड की रकमों की वसूलियों के लिये जिम्मेदार सरकारी विभाग के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य खर्च, भारत की समेकित निधि नामे डाले जाते हैं। अधिनियम के अन्तर्गत हुई वसूलियों में से कुल 18.47 लाख रुपये की रकम, सरकारी एजेन्ट को अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त कर्मचारियों पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में दी गयी है।

सोना और चांदी का आयात

3131. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1970-71 में प्रत्येक देश से वास्तव में कितने मूल्य के सोने और चांदी का आयात किया गया है ;

(ख) इस आयातित सोने और चांदी में से सरकारी कार्यों के लिए कितने मूल्य का सोना और चांदी खर्च किया गया ; और

(ग) वर्ष 1970-71 में सोना और चांदी का किन दरों पर आयात किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निषिद्ध सोने का पकड़ा जाना

3132. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1970-71 में राज्यवार कुल कितने मूल्य के निषिद्ध सोने का पता लगा है और पकड़ा गया है ;

(ख) वर्ष 1970-71 में निषिद्ध सोने का किस प्रकार निपटारा किया गया है ; और

(ग) इस पकड़े गये सोने में से वर्ष 1970-71 में सरकारी कोष में कितना धन जमा किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1970-71 में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा सारे देश में पकड़े गये अवैध सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्रा दर पर लगभग 394 लाख रुपया और भारतीय बाजार दर पर 794 लाख रुपया था। पकड़े गये सोने के बारे में राज्य-वार सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). पकड़े गये सोने के सम्बन्ध में अर्द्धन्यायिक कार्यवाही की जाती है और जब उसकी जब्ती की जाती है तो उसे सरकार के उपयोग के लिए सरकारी टकसाल को दे दिया जाता है।

नाविकों द्वारा भूख हड़ताल

3133. **श्री प्रियांजन दास मुंशी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के अप्रैल और मई के प्रथम सप्ताह में कलकत्ता में नाविकों के राष्ट्रीय संघ द्वारा भूख हड़ताल किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन के नाविकों को बम्बई पत्तन पर नाविकों जैसे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत नाविकों की राष्ट्रीय संघ, कलकत्ता, ने कलकत्ता पत्तन पर नाविकों के लिए तथा कथित अपर्याप्त रोजगार के विरुद्ध सामूहिक रिले भूख हड़ताल की।

(ख) बम्बई की तुलना में कलकत्ता में रोजगार स्थिति कुछ खराब हो गई है क्योंकि अनेक-ब्रितानिया-पोतों ने हाल ही में कलकत्ता से कर्मीदल लेना बंद कर दिया है। इस पर भी कलकत्ता की सम्पूर्ण रोजगार स्थिति और उसके उस पत्तन पर पंजीकृत नाविकों की कुल संख्या से अनुपात को असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। तथापि, कलकत्ता पर पंजीकृत नाविकों की संख्या से कलकत्ता पर उपलब्ध नौकरियों के अनुपात में कमी हुई है और अब पोतमालिकों और नाविकों में, नौवहन महानिदेशालय के कहने पर समझौता करने के लिए वार्ता चल रही है।

नई दिल्ली में अन्य एक होटल चलाने के बारे में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा किया गया निर्णय

3134. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने नई दिल्ली में एक अन्य ऐश्वर्य-पूर्ण होटल चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो होटल की सम्भावित आवास क्षमता क्या है ; और

(ग) क्या होटल लाभप्रद होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में एन० डी० एम० सी० होटल बिल्डिंग को अकबर होटल के नाम से एक लग्जरी होटल। के रूप में चलाने के लिए हाल ही में अपने अधिकार में ले लिया है।

(ख) पहले पांच वर्षों में कमरों की संभावित लाग का विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	**वार्षिक शय्याओं की लाग**
प्रथम	55 प्रतिशत
द्वितीय	60 प्रतिशत
तृतीय	65 प्रतिशत
चतुर्थ	70 प्रतिशत
पंचम	75 प्रतिशत

(ग) चालू होने के तीसरे वर्ष से होटल के लाभ देने की आशा है।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति प्राप्त कर्मचारी

3135. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अभी तक कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं तथा उनके लगातार वहां कार्य करते रहने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उन्हें उपक्रमों में स्थाई रूप से समाहित करने अथवा उन्हें अपने मूल कार्यालयों में वापस भेजने के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). 31 दिसम्बर, 1970 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की समस्त सेवाओं से सरकारी उद्यमों के सभी प्रकार के पदों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 1390 थी। सरकार निर्णय कर चुकी है कि सरकारी सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों पर सरकारी उपक्रमों की निर्भरता को कम किया जाय। तदनुसार, असैनिक सेवाओं से सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्त पर आये कर्मचारियों (औद्योगिक प्रबन्ध निकाय के अधिकारियों को छोड़कर) और रक्षा उत्पादन उपक्रमों में नियुक्ति कर्मचारियों से भिन्न अन्य रक्षा सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को यह विकल्प चुनने के लिये कहा गया है कि चाहे तो वे सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर उसी उपक्रम में, जिसमें वे नियुक्त हैं, स्थायी रूप से नियुक्त हो जाय या निर्धारित समय के अन्दर अपने मूल संवर्ग में वापस चले जायें।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Pay-scales and other facilities to Pilots in Air Force, Air India and Indian Airlines

3136. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the difference in the pay-scales and other facilities being given to pilots working in the Indian Air Force, Air India and Indian Airlines ;

(b) whether the services of the pilots working in the said three organisations are inter-change during National Emergency ;

(c) if so, the procedure followed in this regard ; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi) : (a) The salaries and allowances of IAF pilots, as indeed of all armed forces personnel, basically approximate those applicable to the Central Services. As Indian Airlines and Air-India are autonomous Corporations, the pilots of the two Corporations are governed by different service conditions. Consequently, an effective comparison in the emoluments and other facilities applicable to these two categories with those in Defence is not possible.

(b) to (d). There is no provision for the inter-transfer of pilots between the Air Force, Indian Airlines and Air-India. However, there is a provision under which the Air Force may be called upon to perform duties in aid of civil authorities for maintenance of essential services and any other type of assistance needed by them. Provision also exists for calling up Indian Airlines and Air-India pilots under the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952.

Working Results of Air India

3137. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the comparative position in regard to the earnings and profit/loss of the Air India during the last three years ; and

(b) the reasons for the fluctuations in the said position ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi) : (a) The total revenue and the profits of Air-India during the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 were as follows :

(Rs. in lakhs)

	1968-69	**1969-70**	**1970-71** (Revised estimates)
Total revenue	6057.77	6706.01	7498.00
Profit before Tax	293.81	227.01	260.00

(b) The reasons for decline in profitability are :

(i) increase in the direct operating costs of the Boeing 707s.

(ii) substantial increase in maintenance and overhaul expenditure and the need to replace costly major components of the aircraft ;

(iii) increased liability of interest on loans for Boeing 747 aircraft ; and

(iv) increase in the wage bill.

सीमा-शुल्क अध्ययन दल की सिफारिशें

3138. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अध्ययन दल की सिफारिशें लागू कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) किन वर्गों के बारे में यह सिफारिशें अभी लागू की जानी शेष रह गई हैं और इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सरकार ने सीमाशुल्क अध्ययन दल की सभी सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है और 289 सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित कर लिया गया है। लेकिन अन्य 58 सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इनमें से बहुत सी सिफारिशों को आंशिक रूप से कार्यान्वित कर लिया गया है। बाकी पड़ी सिफारिशों की श्रेणियां इस प्रकार हैं :—

(1) जिनमें विधायी कार्यवाही की जानी है।

(2) वे सिफारिशें जिनको कार्यान्वित करने सम्बन्धी कार्यवाही तब की जायेगी जब डाक द्वारा अथवा हवाई-मार्ग द्वारा गुजरने वाले माल के सम्बन्ध में कार्य बढ़ जाता है और अथवा अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो जाता है ;

(3) अन्य सिफारिशें जिनमें वित्तीय शक्तियों में संशोधन, विशेष भत्ते आदि की स्वीकृति आवश्यक है।

विदेशों से प्राप्त पूंजीगत सहायता

3139. **श्री पी० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में भारत को विभिन्न मुख्य दाता देशों द्वारा कुल कितनी पूंजीगत सहायता का वचन मिला और कितनी प्राप्त हुई ; और

(ख) गत तीन वर्षों में 31 मार्च, 1971 तक जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से कुल कितनी पूंजीगत सहायता प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के वर्षों में विभिन्न देशों/विदेशी संस्थाओं ने भारत को कुल मिलाकर 571.76 करोड़ रुपये की प्रायोजनागत सहायता देने का वचन दिया था जिसमें से इस अवधि के दौरान 95.54 करोड़ रुपये की रकम का संवितरण किया जा चुका है। इसी अवधि में, पहले के वचनों के अनुसार प्राप्त 627.50 करोड़ रुपये की रकम का भी संवितरण किया गया।

(ख) उपर्युक्त अवधि में, जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से कोई प्रायोजनागत सहायता प्राप्त नहीं हुई।

हल्दिया गोदी पर पत्तन परियोजना में केन्द्रीय गोदी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना

3140. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया गोदी और पत्तन परियोजना में केन्द्रीय गोदी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). हल्दिया गोदी परियोजना के वे नियमित कर्मचारी जो कलकत्ता से स्थानान्तरित हो गये हैं, पत्तन और गोदी के कर्मचारियों के केन्द्रीय मजरी बोर्ड की सिफारिशों पर मंजर वेतन और भत्ता जिसमें

मंहगाई, प्रतिपूर्ति और मकान किराया भत्ता और वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर विशेष हल्दिया भत्ता शामिल है, के लिये पात्र हैं। नियमित कर्मचारी जो हल्दिया गोदी परियोजना के लिये स्थानीय रूप से भर्ती किये गये हैं, वेतन और मंहगाई भत्ता जैसा मजूरी बोर्ड ने सिफारिश की और सरकार द्वारा मंजूर दर पर परियोजना भत्ते के पात्र हैं। इन सिफारिशों को कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने पहले ही पूरे तौर से कार्यान्वित कर लिया है।

नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त हल्दिया परियोजना में लगे हुए लगभग 700 दिहाड़ी वाले नैमित्तिक कर्मचारी हैं। मजूरी बोर्ड ने इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कोई विशिष्ट मजूरी दर निर्धारित नहीं की। यह विषय वस्तु बाद में श्री एल० पी० दावे जो मजूरी बोर्ड के अध्यक्ष थे, मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा गया। उनके मध्यस्थ निर्णय के शब्दों में इन कर्मचारियों के लिये वेतन, मंहगाई, प्रतिपूर्ति और मकान किराया भत्ते की जिस तरह मजूरी बोर्ड ने नियमित कर्मचारियों के लिये सिफारिश की है, मजूरी की दैनिक दर अब नियत कर ली है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया में टेलीफोन-काल के आधार पर धन-राशि देने की प्रथा

3141. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा, नई दिल्ली में प्रधान मंत्री सचिवालय से किये गये टेलीफोन के आधार पर रुपया देने और चैक प्राप्त होने पर बाद में उस भुगतान को नियमित करने की प्रथा चलती आ रही है ;

(ख) क्या मांगे जाने पर मंत्रियों के निवास स्थानों पर धन-राशि देने और फिर वहां से वापस लेने की प्रथा भी चली आ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रथा कब से चली आ रही है और उसका औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग). यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्मित पर्यटक होस्टल

3142. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार ने कितने पर्यटक होस्टल बनाये थे और वे किन-किन स्थानों पर बनाये गये थे ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में किन-किन स्थानों पर पर्यटक होस्टल बनाये जायेंगे ; और

(ग) प्रत्येक होस्टल पर लगभग कितनी राशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-543/71.**]

प्रशासनिक व्यय में कमी करना

3143. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) मंत्रालयों, विभागों, प्रतिष्ठानों और उपक्रमों के व्यय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सरकार के प्रशासनिक व्यय में एवं मंत्रालयों, विभागों आदि के व्यय में भी बचत करने के लिये पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किये गये हैं । उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—वेतनमानों के संशोधन पर प्रतिबन्ध, कुछ वर्गों के पदों के लिये भरती पर आंशिक प्रतिबन्ध, गैर-योजना पक्ष में पदों के निर्माण पर रोक, आयात की गयी कारों की खरीद पर प्रतिबन्ध, यात्रा-भत्ते में कमी, कर्मचारी निरीक्षण अध्ययनों का विस्तार, रिक्त पदों पर भरती नहीं करना, एवं व्यय की आकस्मिक मदों के लिये सीमित बजट व्यवस्था जिससे आतिथ्य-सत्कार, साज-सज्जा तथा इस किस्म की अन्य मदों में स्पष्ट अति-व्यय को रोका जा सके ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित रखना, उनके प्रबन्धकों की जिम्मेदारी है । फिर भी, सारे प्रशासनिक व्यय, विशेषत: आतिथ्य-सत्कार, मकान किराया, स्टाफ कार, यात्रा आदि के सम्बन्ध में होने वाले व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने के लिये सरकार ने सरकारी उपक्रमों को समय समय पर मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं । उपक्रमों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन शीर्षों के अन्तर्गत, बजट व्यवस्था के मुकाबले व्यय की समीक्षा, अलग से प्रत्येक तिमाही में की जानी चाहिये । इस प्रकार के व्यय के ब्यौरों के सम्बन्ध में एक तिमाही रिपोर्ट निदेशक-बोर्ड को भेजने की शुरूआत की गई है ।

मितव्ययिता के उपाय एक सतत प्रक्रिया है, इसलिये, सरकार का ध्यान इस मामले की ओर निरन्तर लगा रहता है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा ताड़ैपली गुडम (आंध्र प्रदेश) के छोटे और बड़े किसानों को वित्तीय सहायता

3144. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की ताड़ैपल्ली गुडम (आन्ध्र प्रदेश) स्थित शाखाओं द्वारा वहां के छोटे किसानों, बड़े किसानों और किसी अन्य सोसायटी को कृषि कार्य के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी राशि वसूल की गयी ;

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जिस रूप में प्रश्न में पूछा गया है, उस रूप में बैंक कृषि सम्बन्धी अग्रिमों के आंकड़े संकलित नहीं करते ।

कोचीन बन्दरगाह पर कन्टेनर वर्थ का निर्माण करने की योजना

3145. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोचीन बन्दरगाह पर कन्टेनर बर्थ का निर्माण करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस मामले पर निर्णय कब लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, इस समय नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अध्यापक-विद्यार्थी ग्रीष्मकालीन शिविर

3146. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने गत वर्ष राज्यवार कितने अध्यापक-विद्यार्थी ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया था ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां के विद्यार्थियों-अध्यापकों ने भाग लिया था ;

(ग) परिषद इस वर्ष भी ऐसे शिविरों का आयोजन करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इन शिविरों का आयोजन किया जायेगा और उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां से विद्यार्थियों-अध्यापकों ने इन शिविरों में भाग लेने में अपनी स्वीकृति दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ). राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, स्कूल के बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के हेतु, इस मन्त्रालय की ओर से क्रमबद्ध रूप से अन्तर-राज्य अध्यापक-विद्यार्थी शिविरों का आयोजन कर रहा है । ये शिविर ग्रीष्म और शीत दोनों ही ऋतुओं में आयोजित किए जाते हैं । 1970-71 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा ऐसे 15 शिविर आयोजित किए गए, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

स्थान		
राज्य	स्थल	जिन राज्यों से भाग लेने वालों को आमंत्रित किया गया उनके नाम
लड़कों के लिए		
मैसूर	देवनगेरे	पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात
राजस्थान	उदयपुर	जम्मू और काश्मीर, मैसूर, बिहार, नेफा, हरियाणा

1	2	3
तमिलनाडु	कोयम्बतूर	महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली
उड़ीसा	भुवनेश्वर	नागालैंड, गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश
पंजाब	फिरोजपुर	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू और काश्मीर, गुजरात
बिहार	पटना	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	पंजाब, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गोवा
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मैसूर, केरल, जम्मू और काश्मीर
असम	गौहाटी	महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, पांडेचेरी, हरियाणा
लड़कियों के लिए		
हिमाचल प्रदेश	कसौली	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा
गोवा, दमन और दीव	गोवा	हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब
जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर	हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार
गुजरात	बड़ौदा	हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश
केरल	एर्नाकुलम	गोवा, राजस्थान, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब

राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने 1971-72 के लिए 16 अन्तर राज्य अध्यापक विद्यार्थी शिविरों की योजना बनाई है ; जिसमें से कम से कम शिविर लड़कियों के लिए होंगे । 1971 के ग्रीष्मकाल के दौरान, 7 शिविर आयोजित किए गए, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	**स्थल**	**जिन राज्यों से भाग लेने वालों को आमंत्रित किया गया उनके नाम**
लड़कों के लिए		
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल
हिमाचल प्रदेश	चम्बा	तमिलनाडु, असम, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश

1	2	3
बिहार	नेतारहाट	मैसूर, दिल्ली, नागालैण्ड, गुजरात, बिहार
राजस्थान	माउन्ट आबू	पंजाब, पांडेचेरी, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान
लड़कियों के लिए		
जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर	केरल, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और काश्मीर
महाराष्ट्र	पूना	मणिपुर, जम्मू और काश्मीर, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र
केरल	त्रिवेन्द्रम	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मैसूर, महाराष्ट्र, केरल

1971-72 के शीत ऋतु में जो शिविर आयोजित किए जाने हैं उनका स्थान एवं उनमें भाग लेने वाले राज्यों के नाम अभी निश्चित नहीं किए हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के सदस्य

3147. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों की संख्या उनके लिए अपेक्षित आरक्षित कोटे से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों में कुल पदों की तुलना में उनके द्वारा धारण किये गये पदों की संख्या क्या है ; और

(ग) उक्त संगठन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों की भर्ती बढ़ाने के लिए उनके मन्त्रालय का क्या करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) फरवरी, 1970 में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने इस आशय के अनुदेश जारी किये थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिवासियों के हेतु आरक्षित पदों के विषय में जारी किये गये सरकारी आदेशों का पालन राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसी स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा जोकि सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत पंजिकृत हैं, भी पूरी तरह से किया जाना चाहिये । पदों का विज्ञापन देते समय परिषद पहले भी यह सूचित करती रही है कि अन्य बातें समान होने पर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिवासियों के प्रार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी । ऐसा होने पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिवासियों के व्यक्ति जिन पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या संदर्भित फरवरी, 1970 के उपरोक्त सरकारी आदेश में उनके लिये आरक्षित कोटे की तुलना में बहुत कम है ।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिवासियों के कर्मचारी दिल्ली में जिन पदों पर काम कर रहे हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	जिन पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं	कुल मंजूर पद
क्लास I	3	262
क्लास II	1	87
क्लास III	27	637
क्लास IV	63	235

(ग) परिषद की कार्यकारी समिति ऐसे मामलों में सरकारी आदेशों के अनुसार ही निदेश जारी करती है। हाल ही में परिषद द्वारा प्रवर्तित विनियमों में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिवासियों के लिये पदों को आरक्षित रखने की व्यवस्था की है। परिषद ने यह प्रस्ताव भी किया है कि जब तक इन लोगों के प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा न कर लिया जाए, आगे सभी पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिवासियों के प्रार्थियों के लिये आरक्षित रखे जायें।

गुजरात के बन्दरगाहों के लिये विद्युत चालित केन्द्रों की मांग

3148. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात के बन्दरगाहों में विशेष कर बड़ी बन्दरगाह में माल के चढ़ाने और उतारने के लिए केन्द्र से विद्युत चालित क्रेनों की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत चालित क्रेनों की मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में बेड़ी बंदरगाह पर गोदाम सम्बन्धी सुविधायें

3149. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बेड़ी बन्दरगाह में प्रदान की गई गोदाम सम्बन्धी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां और अधिक गोदामों का निर्माण करने का है, यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). बेड़ी एक छोटा पत्तन है और छोटे पत्तनों का विकास सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। गुजरात सरकार से प्रश्न के उत्तर के लिए सामग्री भेजने के लिए अनुरोध किया गया है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गुजरात के बंदरगाहों में तलकर्षण सम्बन्धी सुविधाएं

3150. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथरानी समिति ने सरकार को गुजरात राज्य में तलकर्षण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो बेड़ी बन्दरगाह को एक भी तलकर्षण पोत न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति (श्री एच० पी० मथरानी के नेतृत्व में) ने अपनी रिपोर्ट (अप्रैल, 1960) में प्रत्येक समुद्री राज्य में आन्तरिक निकर्षण के लिए उपयुक्त निकर्षण की व्यवस्था की सिफारिश की थी।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली और गुजरात सरकार को अपने निकर्षण बेड़े जिसमें सहायक उपस्कर शामिल है, को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक ऋण सहायता दे दी है।

(ग) राज्य में विभिन्न पत्तनों पर अपने बेड़े के लिए निकर्षण कार्यक्रम का निर्णय राज्य सरकार को करना है।

एकाधिकार गृहों पर आयकर और अन्य करों की बकाया धन राशि

3152. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में एकाधिकार गृहों पर आय-कर और अन्य प्रत्यक्ष करों की कितनी बकाया धनराशि है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन करों को वसूल करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित 75 परिवारों में से प्रत्येक में कई निर्धारिती हैं और इस प्रकार के निर्धारितियों की संख्या कई सौ है। उनके विषय में अपेक्षित सूचना एकत्रित करने में बहुत अधिक समय लगेगा। फिर भी, अगर माननीय सदस्य किसी विशिष्ट परिवार के बारे में सूचना चाहें, तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

एझीमाला और बेक्कल का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास

3153. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कन्नौर जिले में एझीमाला और बेक्कल की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिये उनका पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने हेतु कोई विशेष कार्यवाही करने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर्यटन केन्द्रों को जाने वाले पर्यटकों को क्या विशेष सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर में दो नये पैसे के सिक्के का बेचा जाना

3154. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1971 में बंगलौर में 2 नये पैसे के सिक्के 4 रुपये में बेचे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इतनी ऊंची कीमत पर इन सिक्कों के बेचे जाने के क्या कारण हैं ;और

(ग) इस मामले पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). ऐसा सन्देह करने का कोई प्रमाण नहीं है कि मई 1971 में, बंगलौर में, दो नये पैसे का सिक्का 4 रुपये में बेचा जा रहा था । बंगलौर स्थित रिजर्व बैंक के काऊंटरों से दिये गये कुल सिक्कों के बारे में प्राप्त सूचनाओं से यह पता चलता है कि इस केन्द्र में अपेक्षाकृत 2 नये पैसे के सिक्कों की मांग कम है और इन सिक्कों का मौजूदा स्टाक चालू तिमाही अर्थात् अप्रैल-जन 1971 के लिये काफी है ।

एयरलाइन्स हाउस नई दिल्ली से अनुभागों का स्थानान्तरण

3155. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**
श्री बृजराज सिंह कोटा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाइन्स हाऊस, नई दिल्ली से अनेक अनुभागों को किराये पर लिये गये विभिन्न भवनों में स्थानान्तरित किया गया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है और एयरलाइंस हाऊस में वर्तमान स्थान आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये पर्याप्त था ;

(ग) यदि हां, तो स्थानान्तरण और इस प्रयोजन के लिये भवन का नवीकरण करने में कितना धन खर्च हुआ है और किराये पर लिये निजी भवन का कितना किराया है ; और

(घ) इस कार्यवाही के क्या कारण हैं और प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ). कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है और एयरलाइंस हाऊस में जगह अपर्याप्त थी।

(ग) किराये के भवनों के नवीकरण करने तथा पुन: सज्जित करने पर 14.92 लाख रुपये का व्यय हुआ था। प्रतिमास किराया 95,228 रुपये है।

चाय बागान मालिकों पर आय कर की बकाया धन-राशि

3156. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और पश्चिम बंगाल के कई चाय बागान मालिकों पर आय कर की भारी धन राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे चाय बागान मालिकों के नाम क्या हैं तथा गत तीन कर-निर्धारण वर्षों में उन पर कितनी राशि बकाया थी और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ आर॰ गणेश) : (क) और (ख). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह एकत्रित की जा रही है। उपलब्ध होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

अध्यापन साधन विभाग में सभा-भवन किराये पर लेना

3157. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षण अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के अध्यापन साधन विभाग के सभा-भवन को किराये पर लेने सम्बन्धी नियम क्या हैं;

(ख) क्या उक्त भवन को गैर शिक्षा सम्बन्धी व्यापारिक चलचित्रों के प्रदर्शन हेतु भी किराये पर लिया जाता है तथा क्या यह राष्ट्रीय परिषद के उद्देश्यों के विपरीत नहीं है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस सभा-भवन में कितने-गैर सरकारी फिल्म शो आयोजित किये गये ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस सभा-भवन के किराये के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ङ) क्या गैर-सरकारी संगठनों तथा फिल्म संस्थाओं द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि दी जाती है जिसका अध्यापन साधन विभाग कोई हिसाब नहीं रखता ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी॰ पी॰ यादव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापन साधन विभाग के सभा भवन को किराये पर देने के सम्बन्ध में नियमों की एक प्रति संलग्न है।

(ख) (1) सामान्यतः सभा भवन राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापन साधन विभाग के कार्यक्रमों के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले फिल्म मूल्यांकन तथा चित्रपट शिक्षा कार्य की उन्नति में संलग्न भारत के फिल्म सोसायटी संघ से सम्बद्ध और फिल्म सोसायटियों/फिल्म क्लबों द्वारा किराये पर लिया जाता है।

(2) मनोरंजन कर से छूट देने के लिए फिल्मों की जांच करने के हेतु कभी-कभी सभा-भवन का प्रयोग किराये पर दिल्ली मनोरंजन कर कार्यालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा भी किया जाता है।

(ग) और (घ). ब्योरे नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	आयोजित किये गये प्राइवेट फिल्म प्रदर्शन की संख्या	किराया इत्यादि के सम्बन्ध में वसूल की गई राशि
1968-69	154	13, 725/- रुपये
1969-70	188	22, 905/- रुपये
1970-71	213	18, 000/- रुपये

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (अध्यापन साधन विभाग) शैक्षिक एवं अन्य प्रकार के चलचित्रों के लिये दर्शक कक्ष सुरक्षित कराने के नियम

(1) शैक्षिक एवं अन्य प्रकार के चलचित्र दिखाने के लिये शिक्षा संस्थाओं/संगठनों को प्रेक्षा-गृह विभाग के निर्णय पर सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की उन्नति के लिये सुविधाएं प्रदान करना और चलचित्रों के माध्यम के जरिये चलचित्रों के गुण दोष विवेचन की क्षमता का विकास करना है। अतः दिखाये जाने वाले चलचित्र अथवा आयोजित किये जाने वाले कार्य-क्रम की स्वीकृति पहले अध्यापन साधन विभाग से प्राप्त होनी चाहिए। स्वीकृत किये गये चलचित्रों के अलावा अन्य चलचित्रों का प्रदर्शन अथवा जिस उद्देश्य के लिए प्रेक्षागृह सुरक्षित कराया गया हो, उसके अलावा किसी दूसरे कार्य के लिये उसका उपयोग निषिद्ध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्यक्रम में बाधा पहुंच सकती है या एकाएक समाप्त किया जा सकता है।

2. इस समय ली जाने वाली निर्धारित दरें केवल सेवाओं सम्बन्धी खर्च को पूरा करने के लिये ही हैं तथा विभाग को लाभ पहुंचाने का स्रोत बिल्कुल नहीं हैं। अतः दर्शक कक्ष का उपयोग व्या-पारिक आधार पर नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रेक्षागृह में प्रवेश पाने के लिए कोई टिकट नहीं बेची जानी चाहिए। अतिथियों को केवल मानार्थ आमंत्रण पत्रों द्वारा ही निमंत्रित किया जाना चाहिये।

3. बुकिंग की लिखित पुष्टि के तत्काल बाद ही पार्टी द्वारा किराये की अदायगी आवश्यक है।

4. विभाग प्रमुख/प्रभारी अधिकारी द्वारा पुष्टि के बिना कोई भी बुकिंग अन्तिम नहीं समझी जायेगी।

5. प्रेक्षागृह की किसी नियत तिथि एवं समय के लिये एक बार लिखित पुष्टि प्राप्त हो जाने के बाद उसे रद्द करने की अनुमति नहीं मिलेगी तथा प्रेक्षागृह को उपयोग में न लाने पर भी निर्धारित की गई पूरी राशि की अदायगी करनी होगी। यदि प्रेक्षागृह की बुकिंग की वास्तविक तिथि से तीन दिन पूर्व लिखित रूप से बुकिंग को रद्द किये जाने की पुष्टि प्राप्त कर ली जाती है तो बुकिंग की राशि की वापसी, विभाग में अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी के निर्णय पर की जायेगी। बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय अथवा बिना कोई भी कारण बताये बुकिंग को रद्द करने और ऐसी बुकिंग के लिए यदि कोई राशि दी गई हो तो उसे वापस करने का पूरा अधिकार विभागाध्यक्ष को होगा।

6. बुकिंग कराने वाले संगठन के लिए सीटों की अधिकतम संख्या 350 नियत की गई है तथा एच०-1 से एच०-16 तक की संख्या वाली बालकोनी की 16 सीटें केवल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। इन 16 आरक्षित स्थानों के आमंत्रण विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे, जिन्हें स्वीकार किया जाना होगा तथा इन पासधारियों को बिना रुकावट के प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यदि ऊपर निर्धारित की गई संख्या से अधिक निमन्त्रित व्यक्तियों के कारण प्रबन्ध करने में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो उसका उत्तरदायित्व संबन्धित संगठन पर होगा। यदि कुप्रबन्ध के कारण कोई चलचित्र न दिखाया जा सके या कार्यक्रम को रद्द किया जाय तो भी निर्धारित दरों के अनुसार पूरी अदायगी करनी पड़ेगी।

7. बुकिंग की अवधि के दौरान प्रेक्षागृह को को गई क्षति के लिये वसूली सम्बन्धित पार्टी से की जायेगी।

8. प्रेक्षागृह में प्रवेश के सम्बन्ध में अधिकार विभाग के पास रहेगा। किसी बाहरी संगठन को प्रेक्षागृह किराये पर देने का अधिकार भी इसके पास रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रेक्षागृह के अन्दर धूम्रपान करता हुआ अथवा अनावश्यक शोर मचाता हुआ अथवा उपद्रव करता हुआ पाया गया तो उसे बाहर निकालने का पूरा अधिकार विभाग के कर्मचारियों को होगा। प्रेक्षागृह के अन्दर किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ अथवा पेय नहीं दिये जाने चाहिये।

9. विभाग के तकनीकी और प्रशासन यूनिटों के कर्मचारियों को प्रेक्षागृह में जाने का पूरा अधिकार होगा।

मामले के गुण-अवगुण देखते हुए ही ऊपर दिये गये नियमों से कोई रियायत देने का निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायगा।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा कालिज को सप्लाई किये गये उपकरण

3158. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री समर गुह :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा कालेज को 1 लाख रुपये मूल्य के उपकरण सप्लाई किये गये थे ;

(ख) क्या क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने उनके द्वारा प्राप्त ऐसे सभी उपकरणों के लिये स्टाक रजिस्टर बनाये हैं ;

(ग) क्या इन कालेजों के स्टाक रजिस्टरों की प्रविष्टियां उनको वास्तव में सप्लाई किये गये उपकरण के ब्योरे से मेल खाती हैं ;

(घ) क्या बाद के किसी वर्ष में कभी इस उपकरण की प्रत्यक्ष जांच की गयी है ;

(ङ) क्या यह उपकरण इस कालेज के किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिये प्राप्त किया गया था ; और

(च) क्या इन कालेजों को इस उपकरण के भेजे जाने के समय से इसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (च). सारणी बनाने के लिये क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों से सूचना एकत्र की जा रही है और ब्योरेवार विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के शैक्षिक कर्मचारियों द्वारा पत्रिकाओं में लेख और पेपर के प्रकाशन के लिये अनुमति

3159. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के किसी भी शैक्षिक कर्मचारी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के सचिव की स्पष्ट और पूर्व अनुमति के बिना विद्युतापूर्ण और व्यवसायिक पत्रिकाओं में लेख और पत्र को प्रकाशित नहीं करने दिया जाता ;

(ख) क्या इस परिषद के सचिव ने विशुद्ध रूप से अनुसन्धान और शैक्षिक मूल्य के निबन्धों को प्रकाशित करने के लिए संकाय के सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगा है ;

(ग) क्या इस परिषद के सचिव ने संकाय के कुछ सदस्यों को अनुसन्धान सम्बन्धी लेखों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी है ; और

(घ) क्या संकाय के कुछ सदस्यों की इस परिषद द्वारा स्वयं आयोजित सम्मेलन और गोष्ठियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). जी नहीं ।

(घ) संकाय के सदस्यों को केवल उन मामलों में अनुमति नहीं दी गई है, जहां पर परिषद के बहुत जरूरी कार्य के लिये उनकी आवश्यकता थी ।

मंत्रालयों की स्टाफ कारों के लिए पेट्रोल पर किया गया व्यय

3160. **श्री सी० चित्ति बाबू :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों की स्टाफ कारों के लिये पेट्रोल पर प्रतिवर्ष औसतन कितना व्यय होता है ;

(ख) पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय में अनुमानित कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या बचत के उपाय और मितव्ययता के उदाहरण के रूप में सरकार का विचार मंत्रालयों द्वारा आयातित स्टाफ कारों के प्रयोग पर रोक लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) सरकारी व्यय में मितव्ययिता लाने तथा संयमपूर्ण बचत करने के प्रश्न पर, विशेष रूप से, बंगला देश की घटनाओं से भारत पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार के कारण, भारत सरकार गंभीरता और तत्परता से विचार कर रही है । इस संदर्भ में, आयात की गई कारों का मन्त्रियों द्वारा प्रयोग बन्द करने पर भी विचार किया जा रहा है । इसके अलावा माननीय सदस्य यह जानना पसन्द करेंगे कि कुल 53 मन्त्रियों में से केवल 22 मन्त्री ही आयात की गई बड़ी कारों को काम में लेते हैं ।

जापान में परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अध्ययन

3161. **श्री चित्ति बाबू :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति ने कुछ वर्ष पूर्व जापान में हुये परीक्षा प्रणाली में सुधारों का अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों को कहां तक लागू किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सितम्बर, 1957 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग को ऐसे उपायों के संबंध में मंत्रणा देने के लिए जिन्हें देश में परीक्षा, प्रणाली में सुधार के हेतु अपनाया जाये, एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने जापान में परीक्षा प्रणाली में सुधारों का अध्ययन नहीं किया था । तथापि जापान में क्रम-स्थापन के प्रणाली के विषय में एक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं पर आधारित एक सदस्य द्वारा तैयार किया गया एक नोट समिति की रिपोर्ट के साथ यह व्यक्त करने के लिये कि उस देश में आंतरिक क्रम स्थापन किस तरह काम करता है, एक परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया था ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) समिति की रिपोर्ट को विश्वविद्यालयों में परिचालित किया गया था तथा उनमें से कुछ ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के हेतु विभिन्न उपायों को शुरू करने के लिये कार्रवाई की है ।

विवरण

(ख) हमारे विश्वविद्यालय और कालिजों में इस समय छात्रों के प्रवेश के लिये जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसमें जब तक सुधार नहीं होता, तब तक परीक्षा-प्रणाली में किये गये किसी भी

सुधार से विश्वविद्यालयों और कालिजों में अनुतीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी नहीं होगी। इसलिये हमें करना यह चाहिए कि केवल ऐसे प्रवेशार्थियों को ही भर्ती किया जाय, जो उच्च शिक्षा से लाभ उठा सकते हों। इसके लिये संभव उपायों में से एक तरीका यह है कि स्कूल की अन्तिम परीक्षा में दो अतिरिक्त प्रश्नपत्रों में परीक्षा ली जाने लगे। इनमें से एक तो विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की विश्वविद्यालय की भाषा को प्रयोग में लाने की योग्यता के परीक्षण के लिए, और एक उनकी बौद्धिक परिपक्वता का परीक्षण करने के लिये होना चाहिए।

(2) अध्यापन कार्य केवल लेक्चरों द्वारा ही नहीं, बल्कि ट्यूटोरियलों और संगोष्ठियों द्वारा किया जाना चाहिए। यह अच्छा होगा कि ट्यूटोरियलों में जो कार्य हो उसको आधार बनाकर समय-समय पर छोटी-छोटी परीक्षायें ली जायं और उसमें छात्रों के कार्य का जो मूल्यांकन किया जाय उसका रिकार्ड रखा जाय। इसका नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जाता रहे। प्रत्येक विश्वविद्यालय यह निश्चित कर सकता है कि इसको कितना महत्व दिया जाय। ट्यूटोरियलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये लेक्चरों की संख्या में कमी की जा सकती है (उनकी संख्या में 50 प्रतिशत की कमी करना सम्भव होगा) और अध्यापन-कार्य को ट्यूटोरियलों और लेक्चरों के बीच बांटा जा सकता है।

(3) यह निश्चित करने के लिये कि विभिन्न विषयों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर अध्यापन और परीक्षाओं के उद्देश्य क्या होने चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय और कालिज के अध्यापकों की संगोष्ठियों, परिचर्चाओं और सम्मेलनों को प्रोत्साहन देना चाहिये। अध्यापन के लक्ष्यों की स्पष्ट संकल्पना से अध्यापन के स्तर को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी और परीक्षा और अध्यापन में अधिक अनुरूपता आयेगी।

(4) परीक्षाओं के शैक्षिक और तकनीकी दोनों ही पक्षों के संबन्ध में अनुसन्धान किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जिन विषयों को अनुसन्धान के लिये लिया जा सकता है, उन्हें रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है। विश्व-विद्यालय के शिक्षा-विभागों के लिए इस प्रकार का कार्य अपने सामान्य कार्य-कलापों के अंग के रूप में लेना सम्भव होगा। सम्भवतः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद भी, जो अभी हाल ही में बनाई गयी है, इसमें सहायक हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान-कार्य को समन्वित करने और देश में किये गये अध्ययनों के सम्बन्ध में जानकारी और निष्कर्षों का प्रसार करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) जहां पाठ्यक्रम दो या अधिक वर्षों में पूरे होने वाले हों, वहां समय-समय पर परीक्षायें इस प्रकार ली जानी चाहिये कि उनके बीच सुविधाजनक अन्तर हो जिससे परीक्षा अन्तिम वर्ष के अन्त में ही केन्द्रत न हो जाये।

(6) जहां भी आवश्यक हो निबन्धात्मक परीक्षा से भिन्न मूल्यांकन की पद्धतियों को, जैसे बहु-विकल्प-परीक्षा (मल्टीपल च्वाइस टेस्ट), लघु-उत्तर परीक्षा पुर विवृत-पुस्तक परीक्षा (ओपिन बुक टेस्ट), मौखिक परीक्षा आदि अपना कर देखा जाय। यद्यपि अनेक कारणों से मूल्यांकन की मुख्य पद्धति के रूप में निबन्धात्मक परीक्षा हमारे विश्वविद्यालयों में चलती रह सकती है, तो भी यह आवश्यक है कि उसे छात्रों के शैक्षिक विकास को आंकने के लिये और अधिक उपयुक्त साधन बनाया जा सके।

(7) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में परीक्षा की कापियों पर, मान्य सांख्यिकीय कार्यविधि के संदर्भ के बिना, अंक लगाने तथा अंकों को समेकित करने एवं सारणीबद्ध करने की जो वर्तमान कार्य-विधियां प्रचलित हैं, वे सन्तोषजनक नहीं हैं। इन कार्य-विधियों को विकसित करना होगा ताकि कापियों पर अंक लगाने तथा अंकों को समेकित करने का कार्य और अधिक यथार्थ बन सके। इस सम्बन्ध में सुझाव रिपोर्ट में दिये गये हैं।

(8) कापियों पर अंक लगाने के कार्य में यथार्थता एवं परिशुद्धता लाने में जो कठिनाई होती है, उसे देखते हुये यह वांछनीय है कि विद्यार्थियों का कोटि-निर्धारण अंकवार रूप से न करके श्रेणीवार रूप से किया जाय। सामान्यत: एम० ए० डिग्री के लिए केवल दो श्रेणियां, अर्थात् प्रथम और द्वितीय ही रखी जाएं बशर्ते कि वर्तमान प्रथम और द्वितीय श्रेणी के स्तर बने रहें।

(9) जिन विश्वविद्यालयों में एकाधिक परीक्षा-माध्यम है, वहां विभिन्न माध्यमों के परीक्षकों (कम से कम मुख्य परीक्षकों) को मिलकर यह निश्चित करना चाहिए कि अपने कार्य का मूल्यांकन करते समय वे कौन से स्तर और अंकों के बंटन की पद्धति को अपनाएं ताकि कापियों पर अंक लगाते समय काफी भिन्नता न आ जाए।

(10) परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रशासनिक कार्य में जो समय नष्ट होता है, उसे रोकने के लिए उपाय खोजे जाने चाहिए क्योंकि इससे परीक्षा-परिणाम के प्रकाशन में विलम्ब हो जाता है और विद्यार्थियों को काफी कठिनाई होती है।

Cultivation of Opium

3162. **Dr. Laxminarain Pandey :**
Shri Brijraj Singh Kotah :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the steps taken by Government for increasing the production of opium in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : Government have taken the following steps for increasing the production of opium :

(i) Licensing larger areas for opium poppy cultivation by increasing the area allotted both in the existing poppy growing areas as well as in adjoining and contiguous tracts.

(ii) Fixing prices of opium paid to poppy cultivators on slab system depending on the yield tendered by them so that higher price is paid to the cultivator giving higher average yield of opium.

(iii) Paying cash awards to farmers giving higher yield.

(iv) Intensifying the preventive control in and around the poppy growing areas.

(v) Making arrangements for early purchase of opium from the cultivators thus giving them lesser time for surreptitious disposal.

(vi) Eliminating undesirable cultivators giving low yield by prescribing minimum qualifying average yield for getting a licence.

अफीम की खेती

3163. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अफीम की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या अफीम का लाइसेंस देने के सिद्धान्तों की समय समय पर समीक्षा करने के लिये कोई सलाहकार समिति का गठन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति के सदस्यों का चयन करने के लिये क्या मापदंड अपनाए गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अफीम की खेती के लिये लाइसेंस जारी करने के सिद्धांतों की समीक्षा करने के लिये कोई सलाहकार समिति गठित नहीं की गयी है । लेकिन, विभागीय अधिकारियों की एक बैठक में इन सिद्धान्तों की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है । इस बैठक की अध्यक्षता इस मन्त्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी करता है ।

कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्य के बारे में शिकायत

3164. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्य के बारे में कुछ गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

आम बीमा कम्पनियों में काम कर रहे कर्मचारी

3165. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम बीमा कम्पनी में इसके राष्ट्रीयकरण होने तक कार्य कर रहे सभी स्थायी और अस्थाई कर्मचारी इसके राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे ; और

(ख) क्या वह सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं के अधिकारी बन जाएंगे और क्या उनके द्वारा इस समय लाभ उठाये जाने वाली सुविधाओं में कमी नहीं की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवाओं को, जिन शर्तों पर निगमों में हस्तान्तरित किया जायगा, उनका प्राविधान उस विधेयक में किया जायगा, जिसमें इन कम्पनियों के स्वामित्व का निगमों को हस्तान्तरित करने की व्यवस्था की जायगी ।

Demands of the Employees of General Insurance Companies

3166. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the employees of the General Insurance Companies have urged Government through their Council of Action to standardize the pay scales and service conditions of all the employees of Insurance Companies through out the country in order to inspire and encourage them to increase general insurance business ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) A representation from the General Insurance Employees All India Council of Action which calls, **inter alia**, for standardization of wages and other conditions of service of employees has been received.

(b) These and other suggestions regarding the terms and conditions of service of employees under the corporations to be set up would be considered later when these corporations are established.

सम्पत्ति कर की वसूली

3167. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 10 लाख रुपयों से अधिक की सम्पत्ति वाले कितने व्यक्तियों पर सम्पत्ति कर लगाया गया है ; और

(ख) इस अवधि में उनसे कितना सम्पत्ति कर वसूल किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1970-71 के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है। यह सूचना उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी। इससे पूर्ववर्ती दो वर्षों से सम्बन्धित सूचना नीचे दिये अनुसार है :—

1968-69	1492
1969-70	1531

(ख) वर्ष 1970-71 के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है। यह सूचना उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी। इससे पूर्ववर्ती दो वर्षों से सम्बन्धित सूचना नीचे दिये अनुसार है :—

	(आंकड़े हजार में)
1968-69	21903 रु०
1969-70	28644 रु०

कोचीन स्थित सीमा शुल्क विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

3168. **श्री बी० एस० रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन स्थित सीमा शुल्क विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित

आदिम जाति के कर्मचारियों से समय-समय पर इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले तीन वर्षों में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मील के पत्थरों तथा अन्य सूचना पट्टों पर प्रयुक्त भाषा

3169. **श्री समुर गुह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी राज्यों में मील के पत्थर और अन्य सूचना पट्ट या तो हिन्दी में लिखे होते हैं या क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दक्षिण भारतीयों और हमारे देश में विदेशियों की सुविधा के लिए अंग्रेजी के सूचना पट्टों का प्रबन्ध करने का है जिससे उन्हें दिशा और यात्री की दूरी का ज्ञान हो सके ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्ग से मुख्यतः सम्बन्धित है । राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सभी सड़कें तत्वतः सम्बद्धित राज्य सरकारों का दायित्व है । किलोमीटर पत्थरों पर स्थान के नामों की खुदाई और सड़क चौराहों पर सूचना देने वाली संकेत पट्टियों पर के निर्देश इत्यादि से सम्बद्ध अनुदेशों में यह पहले ही निर्धारित है कि रोमन (अंग्रेजी) देवनागरी और स्थानीय लिपियों को उपयोग किया जाय । किसी भी हालात में संख्याएं भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में चिह्नित की जानी है ।

बोइंग 737 विमान के उड़ान के समय बालकों के साथ अमरीकी विशेषज्ञों का होना

3170. **श्री ब्रज राज सिंह कोटा**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग 737 विमान के चालकों के साथ अमरीकी विशेषज्ञ अब भी होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर में ललित कला अकादमी की स्थापना के बारे में हुई प्रगति

3171. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में ललित कला अकादमी की प्रस्तावित स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस अकादमी का दर्जा क्या होगा ;

(ग) क्या इस पर मनीपुर सरकार धन खर्च करेगी ; और

(घ) उक्त अकादमी सम्भवतः कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) मनीपुर में ललित कला अकादमी की स्थापना के हेतु मनीपुर प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मनीपुर राज्य कला अकादमी की स्थापना के लिए उनका प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और विधान को अन्तिम रूप दिया गया है। इस अकादमी में नृत्य, नाटक, संगीत, साहित्य और ललित कला के क्षेत्रों के कार्यकलाप शामिल होंगे।

(ख) यह एक स्वायत्त निकाय होगा और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) मनीपुर प्रशासन से इसकी स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मनीपुर की स्थापना

3172. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने के लिये कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मनीपुर सरकार वर्तमान प्रबन्धों अर्थात् असम के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन कार्य करने से ही सन्तुष्ट है ; और

(घ) मैट्रिक के अभ्यर्थियों द्वारा असम बोर्ड को प्रति वर्ष कुल कितनी राशि दी जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव के ब्योरे मनीपुर प्रशासन द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मनीपुर के अभ्यार्थियों द्वारा असम बोर्ड को दी गई कुल वार्षिक धन राशि नीचे दी गई है :—

1968-69—1,78,902 रुपये
1969-70—2,06,550 रुपये
1970-71—2,20,536 रुपये

बिहार में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3173. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में कुछ और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ये विद्यालय खोले जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख). जी, हां । 1971-72 वर्ष के दौरान सिहार्ष (बिहार) में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी जारी की जा चुकी है ।

बेगूसराय-पूर्णिया तथा बरौनी-बेगूसराय के बीच राष्ट्रीय राजपथ पर दुर्घटनाएं

3174. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बेगूसराय से पूर्णिया तथा बरौनी से बेगूसराय के बीच राष्ट्रीय राजपथ पर बड़ी संख्या में मोड़ होने तथा वाहनों की गति तेज होने के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मोड़ों को सीधा करके उनकी संख्या घटाने तथा विशेष रूप से ट्रक जैसे वाहनों की गति को प्रतिबंधित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा श्रेणी 1 और 2 के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का मुफ्त आवंटन

3176. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने प्रयास के अंतर्गत श्रेणी 1 तथा 2 के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें बांटने का निश्चय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : जी, नहीं । नई दिल्ली नगर पालिका श्रेणी 1 से 5 के केवल उन छात्रों को, जिनके अभिभावकों की आय 200/- रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करती है ।

Employees Belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Excise Department, Kotah

3177. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in each Category working in Excise Department (Narcotics) Kotah ;

(b) the number of posts lying vacant ; and

(c) the action being taken to fill them up ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in various categories in the charge of the Deputy Narcotics Commissioner, Kotah, is as follows :

Category	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Deputy Superintendent (Executive)	1	—
Upper Division Clerk	5	—
Lower Division Clerk	1	—
Inspector	1	1
Gomastha	1	—
Sub-Inspector/Kothi Moharrir	8	—
Driver	—	1
Class IV	16	6
	33	8

(b) Total number of vacancies in various grades in the charge of the Deputy Narcotics Commissioner, Kotah, is 140 out of which 105 vacancies are in Class IV.

(c) All the vacant posts cannot be filled, as some of them have to be kept unfilled to the extent of 3% of the sanctioned strength in each category, as a measure of economy, as per the present policy of the Government. As regards the remaining vacancies, those in the Class IV in the grades of Peon, Jamadar Farash and Sweeper, cannot be filled up by direct recruitment due to a ban on such filling up. They can be filled up only from surplus staff, if any. In respect of Class III posts and Class IV posts, other than those mentioned above, where vacancies can be filled up by direct recruitment, orders provide for filling up to the extent of 60% of the vacancies only. Necessary action is being taken to fill such vacancies shortly.

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के वित्तीय ढांचे की जांच

3178. **श्री परिपूर्णानन्द पैनुली** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के कर्मचारी प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के वित्तीय ढांचे की जांच करने की मांग करते आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). हां, श्रीमान। समाचार पत्र अभिदाताओं से शेष अभिदान को विशिष्टता देते हुये जहां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निदेशकों के हित हों, कम्पनी की पूंजी संरचना की परीक्षा के लिए, एक सुझाव प्राप्त हुआ था। कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र बम्बई द्वारा की गई प्रविष्टियों से पता चला कि कम्पनी के 31-12-1969 तक के तुलन-पत्र के अनुसार, 18,60,268 के फुल ऋणों में से, 31-10-1970 तक इसने 16.4 लाख रु० वसूल कर लिये थे। बचे हुए शेष ऋणों की बाबत प्रवृष्टियां तैयार की जा रही हैं।

Purchase of Switches by Crompton Greeves Limited, Bombay

3179. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether M/s Crompton Greeves Ltd., Bombay purchases iron clad switches from the Hindustan General Electric Company (Thapar Group), and these switches are mostly defective and are not saleable in the market ; and

(b) whether the Thapar Group who have a share in M/s Crompton Greeves Ltd., and the aforesaid purchase is made to benefit the Thapar Group ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b). To the extent possible information will be collected and laid on the Table of the House.

Setting up of Industries in Eastern Districts of Uttar Pradesh

3180. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a Committee of the Industrial Development Bank had visited some of the districts of eastern Uttar Pradesh in April, 1971 in order to explore the possibilities of setting up industries there ;

(b) if so, whether the said committee has given any suggestion about setting up of industries in the said districts ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes Sir, a joint survey team of the Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India and Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited conducted the survey of Uttar Pradesh in April-May 1971.

(b) and (c). The report of the survey team will be submitted to the Industrial Development Bank of India within a period of 3 months or so.

मिथिला विश्वविद्यालय

3181. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री मिथिला विश्वविद्यालय के बारे में 28 मई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा गत वर्ष नियुक्त की गई समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश की गई पद्धति पर प्रस्तावित पुनर्गठित मिथिला विश्वविद्यालय के लिये नियमों को तैयार करने के बारे में अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति ने सिफारिश की थी, बिहार सरकार ने दरभंगा में स्थापित किये जाने वाले आधुनिक विश्वविद्यालय के लिये आवश्यक प्रशासनिक एवं शैक्षिक ढांचे के निरीक्षण के लिये अप्रैल, 1970 में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

Publication of University level Text Books

3182. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of books published so far in the various Indian languages as standard University text books by his Ministry and the various State Governments in accordance with the scheme framed by the Ministry in regard thereto and the break-up of the expenditure incurred thereon ;

(b) whether the progress made in this regard is satisfactory ;

(c) if not, the measures being adopted by his Ministry for the completion of the work within the scheduled time ;

(d) the number of books in respect of which permission for translation was to be sought from foreign countries and the number of cases in which such permission has been secured and books published and the axpenditure incurred thereon ; and

(e) the names of the autonomous institutions engaged in the production of standard works in various Indian languages whose co-operation was sought for this purpose.

The Minister of Education and Social Welfare and Minister of Department of Culture (Shri Sidhartha Shankar Ray) : (a) to (e). Uptodate information is being compiled and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास पत्तनों पर माल लादने और उतारने की क्षमता

3183. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960-61 और 1970-71 में कलकत्ता पत्तन की माल लादने और उतारने की क्षमता कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1968-69 और 1970-71 में वर्ष बार उक्त पत्तन के माध्यम से वास्तव में कितना माल (टनों) में लादा उतारा गया ;

(ग) उक्त अवधि में बम्बई और मद्रास की माल उतारने और लादने की क्षमता कितनी थी;

(घ) वर्ष 1968-69 और 1970-71 में बम्बई और मद्रास पत्तनों द्वारा वर्ष वार कितनी मात्रा में माल लादा तथा उतारा गया ;

(ङ) गत तीन वर्षों में कलकत्ता पत्तन के विकास के लिये कितनी धन राशि खर्च की गई ; और

(च) उक्त पत्तन के विकास के लिये और क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ग). 1960-61 और 1970-71 के दौरान कलकत्ता, बम्बई और मद्रास पत्तनों की क्षमता लगभग निम्न प्रकार थी :—

	1960-61	**1970-71**
	(लाख टनों में)	
कलकत्ता पत्तन	115	125.0
बम्बई पत्तन	145	156.0
मद्रास पत्तन	320	73.0

(ख) और (घ). 1968-69 और 1970-71 के बीच कलकत्ता, बम्बई और मद्रास पत्तनों द्वारा धरा उठाई किया गया यातायात निम्न प्रकार है :—

	1968-69	1969-70	1970-71
		(लाख टनों में)	
कलकत्ता पत्तन	79.6	68.9	60.1
बम्बई पत्तन	164.1	150.4	142.2
मद्रास पत्तन	53.8	64.4	69.0

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान हल्दिया डाक परियोजना सहित कलकत्ता पत्तन के विकास पर हुआ व्यय निम्न प्रकार है :

	(रुपये करोड़ में)
1968-69	11.20
1969-70	11.40
1970-71	13.80

(च) चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान आगे का निर्माण कार्य हल्दिया डाक पद्धति को पूरा करने, मुहाना-निकर्षक के अर्जन, भागीरथी-हुगली में नदी साध निर्माण कार्यों के करने और कलकत्ता पत्तन में प्रयुक्त किये जाने के लिये तिरते जलयान, मशीनी माल की धराउठाई उपस्कर लेने से सम्बन्धित होगा।

विभिन्न कम्पनियों के साथ कुछ बैंकों का विलय

3184. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बैंक आफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शयल बैंक का कुछ अन्य कम्पनियों के साथ विलय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलय के कितने मामलों में सरकार की अनुमति मांगी गई ;

(ग) कितने मामलों में न्यायालयों ने विलय के निर्णयों को स्वीकार कर लिया और

(घ) प्रत्येक मामले में न्यायालय के निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) केन्द्रीय सरकार को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 क के अन्तर्गत निम्न प्रकार के संविलियनों की बाबत नोटिस प्राप्त हुये हैं :

1. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड का मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि० के साथ, तथा
2. बैंक आफ इंडिया लि० का मैसर्स अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी लि० के साथ।

केन्द्रीय सरकार के पास बैंक आफ बड़ौदा लि० अथवा यूनाइटेड कामर्शियल बैंक लि० के विलय की बाबत कोई सूचना नहीं है।

(ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत, केवल सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया लि० के विलय के एक विषय में, केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई थी। परन्तु बाद में आवेदन-पत्र वापिस ले लिया।

(ग) बम्बई उच्च न्यायालय ने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया लि० का, टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोको-मोटिव कम्पनी लि० के साथ संविलियन की अनुमति दे दी है। बैंक आफ इंडिया लि० का आवेदन-पत्र उक्त न्यायालय के समक्ष अभी तक अनिर्णीत है।

(घ) सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया के विषय में, उच्च न्यायालय ने, उद्धृत किया कि एकाधिकार एवं निर्बधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (5) के अर्थान्तर्गत, कथित बैंक एक उपक्रम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण के पश्चात यह कोई भी सेवाओं की व्यवस्था करने में संलग्न नहीं है और इसी कारण केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षावाले, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 23 (2) के उपबंध, इससे आकर्षित नहीं होते।

पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली की शाखा में डकैती

3185. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की नई दिल्ली की एक शाखा को लूट लिया गया था और, यदि हां, तो कितना धन लूटा गया था ;

(ख) क्या डकैती के समय बैंक के अहाते में कोई सशस्त्र गारद नहीं थी ; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं में सुरक्षा की व्यवस्था का पुन-र्विलोकन किया है और यदि हां, तो सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। 31-5-71 को लगभग 1 बजे अपराह्न में तीन सशस्त्र व्यक्ति पंजाब नेशनल बैंक की नौरोजी नगर स्थिति शाखा में घुसे और 25,337 रुपये की रकम लेकर भाग गये।

(ख) स्थायी सशस्त्र रक्षक की अनुपस्थिति में, जो कि छुट्टी पर गया हुआ था, एक चौकी-दार, जिसका नाम शस्त्रों के लाइसेंस में धारक के रूप में नहीं लिखा जा सकता था और इसलिये उसे बन्दूक नहीं दी जा सकी थी, लाठी लिये हुये ड्यूटी पर मौजूद था।

(ग) बैंक स्वयं सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों की समीक्षा कर रहे हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के व्यापार प्रबन्ध डिग्री पाठ्यक्रम को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मान्यता न दिया जाना

3186. **श्री शिव चंडिका** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने वर्ष 1968 से व्यापार प्रबन्ध में 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किया है और क्या समस्त भारत के विद्यार्थियों ने इसके पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है ;

(ख) क्या पहले बैच के विद्यार्थी अपने अन्तिम वर्ष की परीक्षा जून, 1971 में दे रहे हैं; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा बार बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त पाठ्यक्रम को अब तक मान्यता देने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो उन विद्यार्थियों के वर्तमान बैच का भविष्य क्या होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जी नहीं। वास्तव में विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया है।

देवघर कालेज, बिहार के छात्रावास के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध

3187. **श्री शिव चन्डिका :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवघर कालेज, एम० पी० बिहार के सचिव ने लड़कों के लिये छात्रावास के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के अध्यक्ष से 50 हजार रुपये का अंशदान देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). पुरुषों के पचास सीटों के छात्रावास के निर्माण के लिये सहायता के हेतु देवघर कालेज से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आयोग 1,18,321 रुपये का अनुदान अथवा वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत, दोनों से जो भी कम हो, उसकी मंजूरी के लिये सहमत हो गया है।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा राजनीतिक दलों को दिया गया अग्रिम धन

3188. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कमशियल बैंक ने 1969 में कांग्रेस पार्टी को 15 लाख रु० की अग्रिम राशि दी थी ;

(ख) क्या अग्रिम राशि कांग्रेस के विभाजन से पूर्व दी गई थी अथवा बाद में और क्या यह राशि ऋण के रूप में दी गई थी ;

(ग) अग्रिम राशि देने से पूर्व यदि किन्हीं प्रतिभूतियों के नाम लिये गये थे, तो उनके नाम क्या हैं ;

(घ) वर्ष 1969, 1970 और 1971 के दौरान अब तक अन्य राजनैतिक पार्टियों को कितना अग्रिम धन दिया गया और बैंक के किन नियमो के अन्तर्गत यह धन दिगा गया ; और

(ङ) क्या अग्रिम राशि को सरकार ने बट्टे खाते डालने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ङ) . इस सूचना का सम्बन्ध एक बैंक विशेष के खातेदारों के खातों से है और बैंकरों में प्रचलित परिपाटी और प्रथा के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 (1) के उपबन्ध के अनुसार इस प्रकार की सूचना प्रकट नहीं की जाती है ।

औद्योगिक वित्त निगम और जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण

3189. **डा० जी० एस० मेलकोटे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयर पूंजी कितनी है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निगमों द्वारा दिये गये ऋणों की राशि का वर्षवार अलग अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय बकाया ऋणों की राशि कितनी है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल न हो सकने वाले ऋणों के रूप में कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ) . भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना क्रमशः विवरण I और II में दी गयी है ।

विवरण I

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

(क) सूचना नीचे दी गयी है :—

		(करोड़ रुपयों में)
(I)	अधिकृति पूंजी	10.00
(II)	जारी, बिकी और चुकता पूंजी	8.35

(ख) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के वित्तीय वर्षों में निगम द्वारा मंजूर किये गये और वितरित किये गये ऋणों की रकमें नीचे दी गयी हैं :—

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	मंजूर की गई रकम सकल **(लाख रुपयों में)**	वितरित की गयी रकम **(लाख रुपयों में)**
1968-69	2518.91	1770.93
1969-70	2080.63	1642.81
1970-71	3130.23	1646.34

(ग) 31 मार्च 1971 को ऋणों की बकाया रकम 15247.92 लाख रुपया थी ।

(घ) पिछले तीन वर्षों में अशोध्य ऋण के रूप में कोई रकम बट्टे खाते नहीं डाली गयी है ।

विवरण II

भारतीय जीवन बीमा निगम

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम की 5 करोड़ रुपये की पूंजी की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी थी।

(ख) वित्तीय वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ऋणों के रूप में दी गयी रकमें नीचे दी गयी हैं :—

वर्ष (अप्रैल मार्च)	(लाख रुपयों में) दी गयी रकम
1967-68	9443.35 रुपये
1968-69	10983.81 रुपये
1969-70	11479.66 रुपये

(ग) 31 मार्च, 1971 को ऋणों की बकाया रकम 52495.58 लाख रुपया थी।

(घ) बन्धक ऋणों और व्यक्तिगत प्रतिभूति के आधार पर दिये गये ऋणों की निम्नलिखित रकमें 31 मार्च, 1970 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान बट्टे खाते डाल दी गयीं :—

	(लाख रुपयों में)
1967-68	69.23 लाख रुपये
1968-69	2.77 लाख रुपये
1969-70	1.09 लाख रुपये

टिप्पणी :— 1. 1970-71 के आंकड़े नहीं दिये गये हैं क्योंकि उनकी अभी लेखा-परीक्षा होनी है।

2. दिये गये ऋणों में ये ऋण शामिल हैं।

आवासन योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को दिये गये ऋण, जलपूर्ति योजना के लिये जिला परिषदों, नगर पालिकाओं राज्य बिजली बोर्डों को दिये गये ऋण, औद्योगिक प्रयोजनों के लिये कम्पनियों, सहकारी आवासन वित्तीय समितियों, सहकारी चीनी मिलों, सहकारी औद्योगिक बस्तियों को दिये गये ऋण, जीवन बीमा निगम की बंधक योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये ऋण और पालिसी ऋण।

त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के राजपत्रित अधिकारी

3190. **श्री दशरथ देव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय (विभागवार) राजपत्रित अधिकारियों की संख्या कुल कितनी है ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के राजपत्रित अधिकारियों की (विभागवार) संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उनके लिये निर्धारित कोटा पूरा नहीं भरा गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके लिये निर्धारित कोटे को भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). जानकारी त्रिपुरा सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथासमय उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रामकृष्ण महाविद्यालय, त्रिपुरा का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

3191. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिपुरा के रामकृष्ण महाविद्यालय (कालेज) के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने में विलम्ब कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संस्था के अध्यापक और अन्य कर्मचारी नियमित रूप से वेतन पा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) (क) और (ख) . त्रिपुरा प्रशासन से अन्य कालेजों के साथ इस कालेज की एक समर्थित कालेज में परिवर्तित करने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है । इसकी जांच हो रही है ।

(ग) अपेक्षित सूचना त्रिपुरा प्रशासन से एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Excavation of Buddhist era Objects in Kashmir

3192. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether objects belonging to the Buddhist era have been excavated in Kashmir recently ; and

(b) if so, their importance from historical point of view ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) :(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बिहार में छोटे पैमाने पर व्यापार के लिये नगदी-साख ऋण (केश क्रेडिट लोन)

3193. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् छोटे पैमाने पर व्यापार के लिये प्रारम्भ

की गई "नगदी-साख ऋण" (कैश क्रैडिट लोन) सुविधा को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मधुबनी (दरभंगा जिला) और उत्तरी बिहार के अन्य भागों में समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको वापिस लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

करों की बकाया राशि की वसूली

3194. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिनकी ओर आयकर तथा अन्य करों के रूप में लगभग एक लाख, पांच लाख तथा दस लाख रुपयों की राशि बकाया है तथा इन व्यक्तियों की ओर यह राशि कब से बकाया है ; और

(ख) सरकार ने करों की बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये हैं तथा प्रति वर्ष कितनी बकाया राशि वसूल की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जिन व्यक्तियों की तरफ आयकर की 5 लाख रु० से अधिक की बकाया है। (जिसमें ऐसे वर्ग के व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनकी तरफ 10 लाख रु० से अधिक की रकम बकाया पड़ी है) उनकी संख्या 1200 से अधिक हो सकती है। इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में 31-3-1971 की स्थिति के ब्यौर एकत्र किये जा रहे हैं और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दिये जायेंगे।

जिन व्यक्तियों की तरफ आयकर की 1 लाख रु० से 5 लाख रु० तक की रकम बकाया पड़ी है उनकी संख्या कई हजारों में चली जायगी और उनके सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना इकट्ठी करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। (तथापि, यदि माननीय सदस्य विशिष्ट निर्धारितियों के सम्बंध में सूचना चाहते हों तो वह इकट्ठी की जा सकती है।)

जहां तक ऐसे निर्धारितियों का सम्बन्ध है जिनकी तरफ 31-3-1971 को धन-कर अथवा दान-कर अथवा सम्पदा-शुल्क की 1 लाख रु० से अधिक रकम बकाया है, उनके सम्बन्ध में भी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) सरकार ने करों की बकाया की वसूली के लिये निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये हैं :—

(i) वसूली का कार्य जो अभी तक राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, आयकर विभाग द्वारा स्वयं अपने हाथ में ले लेना। सरकार ने दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों में वसूली कार्य को पूरी तरह अपने हाथ में लिया है।

पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा पूना के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्र में वसूली-कार्य को अभी आंशिक रूप से हाथ में लिया गया है। सरकार ने हाल ही में कर वसूली अधिकारियों को 68 पद मंजूर किए हैं और शेष आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में वसूली का कार्य आयकर विभाग द्वारा अपने हाथ में दिया जा रहा है।

(ii) कर्तव्य के अ नुसार कार्य विभाजन की योजना, जिसके अधीन करों की वसूली का कार्य रेंज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशिष्ट कर्तव्य बना दिया गया, 1966 में लागू की गई थी और पिछले वर्ष इस योजना का और आगे विस्तार कर दिया गया है ।

(iii) विभाग द्वारा रेखित चैकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी के लिये विशेष प्राप्ति काउंटरों का खोला जाना ।

(iv) ऐसे निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है ।

(v) पूरे देश में बकाया बेबाकी पखवाड़े मनाए जा रहे हैं । इस अवधि में, अनिर्णीत समायोजनों/भूलसुधारों को पूरा करने, अपीतीय आदेशों को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों की तरफ बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है ।

(vi) बम्बई तथा कलकत्ता के आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में से प्रत्येक में केवल वसूली के कार्य के लिये दो-दो अपर आयकर आयुक्त (वसूली) तैनात कर दिये गये हैं । इसी प्रकार दिल्ली तथा मद्रास में आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक अपर आयकर आयुक्त (वसूली) तैनात कर दिया गया है ।

(vii) बकाया सम्बन्धी मांगों की वसूली का कार्य निपटाने के लिये सरकार ने हाल ही में आयकर अधिकारी (वसूली) के 60 पद मंजूर किए हैं ।

आयकर की बकाया में से पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष वसूल की गई रकम नीचे दी गयी है :-

वर्ष	वसूल रकम (करोड़ रु० में)	
1968-69	110.52	
1969-70	129.75	
1970-71	159.61	(अनन्तिम)

Development of Jaisalmer and Jodhpur as Tourist Centers

3195. **Shri Brijraj Singh Kotah** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that architectural monuments, ancient temples and historical places are in abundance in Jaisalmer and Jodhpur in Rajasthan; and

(b) if so, the steps being taken by Government to develop these areas into tourist centres ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation : (Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi) : (a) Yes, Sir.

(b) It is proposed to construct a tourist Bungalow at Jaisalmer during the Fourth Plan.

तमिलनाडु में नागापत्तिनम में समुद्री तूफान के बारे में चेतावनी देने वाले राडार यन्त्र को स्थापित करने का निर्णय

3196. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पहले तमिलनाडु के नागापत्तिनम में समुद्री तूफान के बारे में चेतावनी देने वाले राडार यन्त्र को स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिये भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया हैं और प्रस्तावित राडार यन्त्र को कराईकल में लगाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपने पहले निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) भारत के पूर्वीतट के साथ-साथ समुद्री तूफान की चेतावनी देने वाले राडारों की एक श्रंखला स्थापित करने की एक योजना को अनुमोदित कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राडार स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से चुने गए स्टेशनों में से नागापत्तिनम् एक था।

(ख) इस प्रयोजन के लिये नागापत्तिनम में कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

(ग) और (घ). नागापत्तिनम् और कराईकल पर उपलब्ध स्थलों तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात् अब यह निर्णय किया गया है कि राडार को कराईकल पर स्थापित किया जाए जहां पर 'एक्सपोजर' परिस्थितियां अधिक अच्छी हैं।

स्कूल और कालेज की पाठ्य पुस्तकों के मूल्य

3197. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्कूल और कालेज की पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या पाठ्य पुस्तकों के बार-बार परिवर्तन से निर्धन विद्यार्थियों पर वित्तीय रूप से गंभीर प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ). स्कूल तथा कालेज पाठ्यपुस्तकों की कीमत को कम करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

2. जहां कहीं राज्य सरकारों ने पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है, वहां विद्यार्थियों को ये पाठ्य पुस्तकें 'लाभ हानि रहित' आधार पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, विभिन्न विषयों पर श्रेष्ठ पाठ्यपुस्तकें तैयार करने तथा उनको प्रकाशित करने के सम्बन्ध में कार्य करती रही है जिनको राज्य सरकारें किसी प्रकार की कोई रायल्टी दिए बिना ज्यों का त्यों अपना सकती है अथवा आवश्यकतानुसार उनमें अनुकूलन करके चला सकती है, इस प्रकार पाठ्यपुस्तकों की लागत कम की जा सकती है। यह परिषद पुस्तक-निर्माण के लिए राजकीय अभिकरणों की इस रूप में भी सहायता करती है कि जरूरत पड़ने पर उनको चित्र तथा ब्लाक उधार दे दिये जाते हैं।

4. पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लिये चंडीगढ़, मैसूर तथा भुवनेश्वर स्थित मुद्रणालयों में अब अतिरिक्त मुद्रणक्षमता उपलब्ध हैं। ये मुद्रणालय 'लाभ-हानिरहित' आधार पर काम करेंगे और पाठ्य पुस्तकों की मुद्रण लागत को कम कर देंगे।

5. विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गई विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की कीमतों को कम करने के सम्बन्ध में, ब्रिटेन, अमरीका तथा सोवियत रूस के साथ एक सहयोग-कार्यक्रम सरकार के पास है जिसके अन्तर्गत भारतीय विद्यार्थियों को एक ऐसी कीमत पर पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं जो उनके उद्गम देश से काफी कम होती हैं।

इन पुस्तकों की कीमतों को नीचे लाने के निमित्त भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता के लिए भारत सरकार स्वयं भी एक योजना को कार्यान्वित कर रही है।

6. पाठ्यपुस्तकों को बार-बार बदल देने के कारण गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। पाठ्यपुस्तकों में साधारणतया केवल तभी परिवर्तन किए जाते हैं जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो जाने के कारण ऐसा करना आवश्यक हो जाता है।

7. स्कूल पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीय बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में यह सिफारिश की थी कि जो पाठ्यपुस्तकें एक बार निर्धारित करदी जाती हैं उन्हें सामान्यतया कम से कम पांच वर्षों की अवधि तक नहीं बदला जाना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को इस सिफारिश के बारे में जानकारी है।

भारत और सउदी अरब के बीच विमान सेवा सम्बन्धी समझौता

3198. **श्री ब्रजराजसिंह-कोटा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सउदी अरब के बीच विमान सेवा संबंधी एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विशिष्ट बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) भारत सरकार तथा सऊदी अरब की सरकार के शिष्टमण्डलों के बीच अन्तर्सरकारी बातचीत नई दिल्ली में 19 से 22 मई, 1970 तक हुई थीं जिसकी समाप्ति पर एक विमान सेवा करार के सम्मत मूल-पाठ तथा सम्बद्ध दस्तावेजों पर आद्य हस्ताक्षर किये गये।

(ख) इस करार में एयर इण्डिया द्वारा सऊदी अरब से होते हुए तथा सऊदी अरब एयर-

लाइन्स द्वारा भारत से होते हुये प्रत्येक दिशा में सप्ताह में दो सेवाएं परिचालित करने की व्यवस्था है। करार में इन एयरलाइनों द्वारा निम्नलिखित अधिकारों के उपभोग की भी व्यवस्था की गयी है :—

(i) दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के ऊपर से बगैर उतरे उड़ान करना; और

(ii) यातायात से इतर प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में विराम।

दिल्ली स्थित अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना

3199. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर 7 जून, 1971 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने बुलन्दशहर के तथाकथित दो चांदी व्यापारियों को हिरासत में लिया था;

(ख) क्या उनके पास दस-दस तोले वजन के 73 स्वर्ण बिस्कुट और 27,000 रु० की नकदी भी पकड़ी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इन व्यक्तियों और घटना से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) देश में स्वर्ण के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). 7 जून, 1971 को दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर बुलन्दशहर के दो चांदी के व्यापारियों से दस-दस तोले के 13 सोने के बिस्कुट और 26,800 रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की गयी। दिल्ली के एक दलाल सहित, उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में दिल्ली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। तीनों ही व्यक्तियों के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई भी प्रारंभ भी कर दी गई है।

(घ) देश में सोने के तस्कर-आयात को रोकने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। जैसे सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की व्यवस्था, जिन व्यक्यिों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र-तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त करना आदि।

स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों से प्राप्त ज्ञापन

3200. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के आठ स्टाक एक्सचेन्जों के अध्यक्षों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जी हां सरकार को भारत के आठ शेयर बाजारों के प्रधानों की ओर से बजट से पूर्व एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें शेयर बाजारों को प्रभावित करने वाली आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये थे ये सुझाव करों की संरचना में सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में रियायत, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन तथा पूंजी बाजार के पुनरुज्जीवन के बारे में भी थे ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के चिन्तन का संकेत केन्द्रीय सरकार के 1971-72 के बजट में तथा बजट पेश करते समय और सभा में बजट पर आम बहस के उत्तर में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण में मिलता है ।

जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिये गये शेयर

3201. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक कम्पनियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है जिनमें जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और अन्य 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बड़ी संख्या में इक्विटी और अधिमान शेयर हैं;

(ख) वर्ष 1955-56, 1960-61 और 1970-71/1969-70/1968-69 में प्रत्येक कम्पनी में जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक आफ इंडिया और प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों के कितने तथा कितनी कीमत के (एक) इक्विटी और (दो) अधिमान शेयर थे;

(ग) वर्ष 1955-56, 1960-61 और 1970-71/1969-70/1968-69 में सरकार द्वारा नियंत्रित उक्त संस्थानों के प्रत्येक औद्योगिक कम्पनी में इक्विअटी शेयरों का अनुपात कितना था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) से (ग). भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास औद्योगिक कम्पनियों के जो शेयर होते हैं वे मुख्यतः उनकी आसामियों की ओर से होते हैं । भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44 (1) के अनुसार जैसा कि वह भारतीय स्टेट बैंक पर लागू होता है और बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 (1) के अनुसार, जैसा कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होता है, उपर्युक्त बैंकों द्वारा उनकी आसामियों के लिये गये शेयरों के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती । प्रश्न में जिन वर्षों के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा औद्योगिक कम्पनियों के काफी संख्या में लिये गये शेयरों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है, वह तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य किसी कम्पनी विशेष के बारे में सूचना चाहें तो वह दी जा सकती है ।

वयस्क महिलाओं के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम

3202. **श्री अचल सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की योजना में वयस्क महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिये ऐच्छिक संगठनों को प्रतिवर्ष कितनी राशि का अधिकतम अनुदान दिया जाता है;

(ग) उपरोक्त पाठ्यक्रम में कितनी अध्यापिकाएं भाग ले सकती हैं; और

(घ) दिल्ली में अध्यापक किस ग्रह में नियुक्त किये जाते हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की वयस्क महिलाओं के लिये शिक्षा के पाठ्यक्रम की योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है ।

(ख) लगभग 2 वर्षों के पाठ्यक्रम के लिये कुल 35,000 रुपये ।

(ग) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये एक पूर्णकालिक अध्यापक तथा दो अंशकालिक अध्यापक अथवा दो पूर्णकालिक अध्यापक ।

(घ) दिल्ली में वयस्क स्त्रियों के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापक निम्न-लिखित ग्रेडों में नियुक्त किए जाते हैं :—

मैट्रिकुलेशन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को तैयार करने वाले पाठ्यक्रमों के लिये

(1) पूर्णकालिक अध्यापक-220-500 रुपए+दिल्ली प्रशासन के अधीन अध्यापकों को स्वीकार्य सामान्य भत्ते ।

(2) दो अंशकालिक अध्यापक-250 रुपये प्रति मास के एकीकृत वेतन पर नियुक्त ।

मिडिल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम

(1) पूर्णकालिक अध्यापक-175-350 रुपये+दिल्ली प्रशासन के अधीन अध्यापकों को स्वीकार्य भत्ते ।

(2) दो अंशकालिक अध्यापक 150 रुपये प्रति मास के स्वीकृत वेतन पर नियुक्त ।

सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध चलाने के लिए व्यावसायिक प्रबन्ध संवर्ग

3203. **श्री अमर नाथ चावला :**

श्री शशि भूषण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध चलाने के लिये व्यावसायिक प्रबन्ध संवर्ग बनाने के लिये किसी रूपरेखा पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सरकारी उपक्रमों के लिये और चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले उपक्रमों के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है ;

(ग) क्या नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया और संवर्ग का विवरण तैयार कर लिया गया है; और

(घ) इसको अन्तिम रूप देने में अभी कितना समय लगेगा क्योंकि एक वर्ष बीत चुका है जब सरकार ने सिविल अधिकारियों से कहा था कि वह प्रशासनिक सेवा अथवा प्रस्तावित प्रबन्ध संवर्ग के लिए अपना विकल्प दें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध के लिए कुशल व्यावसायिक प्रबन्धकों का एक दल निर्माण करने के लिये, सरकार बराबर प्रयत्नशील है । किन्तु, इस प्रकार के प्रबन्धकों के लिए, वह अलग से कोई सेवा स्थापित नहीं करना चाहती ।

(ख) वर्तमान एककों में तथा उन एककों में जिन्हें चौथी पंचवर्षीय आयोजना में चालू किये जाने की संभावना है, 1600-2000 रुपये और इससे ऊपर के वेतन मानों वाले वरिष्ठ पदों के लिए लगभग 500 वरिष्ठ प्रबन्धकों की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ). यह पहले ही बताया जा चुका है कि सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकीय पदों को भरने के लिये, सरकार कोई अलग सेवा स्थापित नहीं करना चाहती। फिर भी, सरकार, इनबातों की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये सरकारी उद्यमों की सहायता करती रही है कि सरकारी उद्यमों में योग्य व्यक्तियों को भर्ती किया जाय, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाय और उनका सही उपयोग किया जाय और इस प्रयोजन के लिये वह मार्ग दर्शक सिद्धान्त भी निर्धारित करती रही है। इस क्षेत्र के संबंधित विषयों के निरंतर अध्ययन और प्रबन्ध-प्रशिक्षण के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को ध्यान में रख कर, इस प्रकार के मार्ग दर्शक सिद्धान्त सतत आधार पर तैयार किये जा रहे हैं।

केरल को ऋण

3204. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1968-69,69-70 और 1970-71 में केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य को कितनी राशि के ऋण दिया ;

(ख) उक्त अवधि में इस ऋण पर कितना ब्याज हुआ ;

(ग) वित्तीय वर्ष 1971-72 में राज्य सरकार ने कितनी राशि के ऋण की मांग की है ; और

(घ) उस पर किस दर से ब्याज लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केरल सरकार को वित्तीय वर्ष 1968-69 में 29.19 करोड़ रुपये, 1969-70 में 47.66 करोड़ रुपये और 1970-71 में 51.12 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण दिये गये थे।

(ख) केन्द्रीय ऋणों पर देय ब्याज के रूप में केरल सरकार से 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में क्रमशः 9.28 करोड़ रुपये, 10.27 करोड़ रुपये, और 11.50 करोड़ रुपये वसूल किये गये थे।

(ग) केरल राज्य की 1971-72 की आयोजना के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता में 24.50 करोड़ रुपये की इकट्ठी ऋण राशि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को, अल्प बचत की संगृहीत राशियों के बदले और उन केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं आदि की वित्त व्यवस्था करने के लिए भी ऋण मिलेंगे जिनको अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। राज्य सरकार ने अपने 1971-72 के बजट में कुल 48.65 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण प्राप्त होने की कल्पना की है।

(घ) राज्य सरकारों को दिये जाने वाले केन्द्रीय ऋणों पर सामान्यतः 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है और ठीक समय पर ऋणों की वापसी और ब्याज की अदायगी किये जाने पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की दर से छूट दी जाती है।

केरल में सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान

3205. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देने के कार्य-क्रम के अन्तर्गत केरल राज्य की किन-किन संस्थाओं ने अनुदान के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं ; और

(ख) इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) जहां तक सांस्कृतिक विभाग में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का प्रश्न है चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, केरल की सांस्कृतिक संस्थाओं में से किसी से भी अनुदान के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत नाटक अकादमी को जोकि एक स्वायत संगठन है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं। :—

1. कल्पना डान्स सेंटर, एरनाकुलम
2. कलानिलायम थियेटर्स त्रिवेन्द्रम
3. यून्नयी वारियर स्मारक कलानिलायम, इरिनजलाकुडा
4. विश्व कला केन्द्र, त्रिवनद्रम
5. समस्त केरल कथाकली सोसायटी कीरिक्काड
6. सेलम, सेलम म्यूजिक सोसायटी, चेनगन्नूर
7. गांधी सेवा सदन कथाकली एंड क्लासिक आर्ट अकादमी, पालघाट
8. श्री वरहम वनिथा समिति, त्रिवनडूम

(ख) अनुदान के लिए आवेदन-पत्र जो संगीत नाटक अकादमी को प्राप्त हुए हैं उन पर अनुदान समिति तथा कार्यकारी बोर्ड द्वारा जुलाई, 1971 में विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विदेश जाने के लिये रियायतें देने का प्रस्ताव

3206. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कुछ रियायतें देकर अथवा उनके वेतन में से प्रति मास कुछ कटौती करके, विदेश जाने के लिये प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

बैंकों द्वारा किसानों और व्यापारियों को ऋण दिये जाने की योजना

3207. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों और व्यापारियों को ऋण देने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों के विचार उनके विचारों से भिन्न है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय का अन्तिम निर्णय क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

तीर्थ स्थानों का पर्यटक आकर्षण स्थानों के रूप में चयन

3208. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक केन्द्रों के रूप में चुने गये तीर्थ स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त चुनाव की कसौटी क्या है ; और

(ग) इस बारे में यदि यात्रियों की कोई प्रतिक्रिया है तो वह क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) सरकार द्वारा तीर्थ स्थानों की कोई विशिष्ठ सूची नहीं रखी जाती ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

चौथी योजना के दौरान पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश को धन राशि का आवंटन

3209. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये आन्ध्र प्रदेश को कुल कितनी धन राशि का आवंटन किया जाता है ;

(ख) इसके लिये कौन-कौन से नये केन्द्र चुने गये हैं ; और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) वित्तीय आवंटन की कसौटी क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) :
(क) से (ग). चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिये आवंटित राशि में 13.55 लाख रुपये की लागत से नागार्जुनसागर में दो मोटर लौंचों तथा चारमीनार के पुंज-प्रकाश की व्यवस्था सम्मिलित हैं ।

सामाजिक नीति संकल्प

3210. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू समाज के सामाजिक पुर्ननिर्माण के लिये एक स्पष्ट नीति निर्धारित करने के लिये जैसे कि इलयापेरूमल समिति ने सिफारिश की है, एक सामाजिक नीति संकल्प लाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) क्या उक्त मामले पर राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध मन्त्रालयों से विचार विमर्श किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). हिन्दू समाज के पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक नीति प्रस्ताव के सम्बन्ध में *इलायापेरूमल* समिति के निष्कर्षों को राज्य सरकारों को उनके मार्ग दर्शन के लिए भेज दिया गया है। विस्तृत सामाजिक नीति प्रस्ताव को अपनाने के प्रश्न पर विचार करते समय समिति के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।

अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शिक्षा विकास के बारे में इलयापेरूमल समिति की सिफारिश

3211. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शिक्षा विकास और सम्बद्ध दस्तावेज, 1969 के बारे में इलयापेरूमल समिति की सिफारिशों की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या उक्त सिफारिशों के अनुसार अनुसूचित जातियों का उत्थान करने के लिये कोई नयी योजनायें बनाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). एलायपेरूमल समिति की अधिकतर सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं और उन्हें ये सिफारिशें आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार का जिन प्रमुख सिफारिशों से सम्बन्ध है, वे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 से सम्बन्धित हैं। इस अधिनियम के अधीन दण्ड को बढ़ाने के सम्बन्ध में समिति के सुझाव को 20 और 21 मई, 1971 को हुए पिछड़े वर्गों और समाज कल्याण के कार्य भारी राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया था। अधिनियम को संशोधित करके इन सुझावों को कार्यान्वित करने का विचार है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती, लूट और धोखाधड़ी की घटनायें

3212. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रतिदिन घटने वाली डकैती, लूट और

धोखाधड़ी की घटनाओं की सरकार को जानकारी है ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती और धोखाधड़ी के अलग अलग कितने मामले हुए हैं और उसमें प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनसे कितनी धनराशि बरामद की गई और शेष कितनी धनराशि बरामद न हो सकी ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और जमाकर्ताओं के दिमाग में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रतिदिन डकैती, लूट और धोखाधड़ी की घटनायें होती रहती हैं।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुचारु रूप से कार्य करने और बैंक की शाखाओं में सुरक्षा-व्यवस्था से सम्बन्धित सभी मामलों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और बैंक, जहां जरूरी होता है, वहां आवश्यक उपाय भी करते हैं।

आय और धन कर के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आय और धन का निर्धारण

3213. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर लगाने के विचार से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आय का निर्धारण किया गया है ;

(ख) क्या धन कर लगाने के विचार से उपर्युक्त संगठन की सम्पत्ति का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर अभी तक आयकर अथवा धन-कर का निर्धारण नहीं किया गया है। जब इन करों के बारे में उसके दायित्व की जांच की जा रही थी, तो उक्त संघ ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी तथा निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। निषेधाज्ञा को अभिशून्य कराने के उपाय किये जा रहे हैं तथा उसके बाद कानून के मुताबिक आयकर तथा धनकर अधिनियमों के अन्तर्गत कर-निर्धारण पूरे किये जायेंगे।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्धक ग्रहण) अधिनियम, 1966 के अधीन जारी की गई अधिसूचना।

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1966 की धारा (3) की उपधारा (6) के अन्तर्गत जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धक के बारे में अधिसूचना

संख्या एस० ओ० 2280 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जून, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 526/71.**]

(2) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्-घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 635 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 527/71.**]

प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 1971

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : श्री सिद्धार्थ शंकर राय की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, 27 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 935 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 528/71.**]

निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के बारे में प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 529/71.**]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 940 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 530/71.**]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 349 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राज-पत्र, दिनांक 14 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 531/71.**]

(4) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 684 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र

दिनांक 8 मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 532/71.]**

(5) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर विक्रय कर अधिनियम, 1957 की धारा 39 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 819, जो मैसूर राज-पत्र, दिनांक 13 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मैसूर विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1971, जो मैसूर राज-पत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 122 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) मैसूर विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1971, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 20 मई,1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 136 में प्रकाशित हुए थे] **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 533/71.]**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष 1969-70 का प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय और संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 534/71.]**

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 535/71.]**

(एक) प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 536/71.]**

(दो) उपर्युक्त लेखे के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर रखे न जा सकने के कारण तथा उपर्युक्त लेखे को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 537/71.]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव—मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य सभा 21 जून, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई है कि वह दोनों सभाओं की लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और

राज्य सभा ने अपने निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी सूचित किये हैं जो उक्त समिति के लिये निर्वाचित किये गये हैं :—

(1) श्री वेणीगल्ल सत्यनारायण

(2) डा० (श्रीमती) मंगलादेवी तलवार

(3) श्री एम० वी० भद्रम्

(4) श्री एस० ए० खाजा मोहिदीन

(5) श्री सन्दा नारायणप्पा"

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये रूप में तथा अनुमति प्राप्त मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 सभा-पटल पर रखता हूं ।

विदेश मंत्री द्वारा कतिपय देशों के दौरे के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : FOREIGN MINISTER'S VISIT TO CERTAIN COUNTRIES

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वर्ण सिंह एक वक्तव्य देंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उस वक्तव्य से पूर्व वह यह वक्तव्य भी दें कि क्या पाकिस्तान को तीसरा जहाज भेजे जाने की सूचना सही है । हमें इस सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता है । **(व्यवधान)**

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 6 जून से 22 जून 1971 तक मैंने क्रम से मास्को, बोन, पैरिस, औटावा, न्यूयार्क, वाशिंग्टन और लंदन की यात्रा की । इन राजधानियों में मैंने शासनाध्यक्षों और विदेश मन्त्रियों से सविस्तार बातचीत की थी । संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मैंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव उ० थांट और उनके साथियों से बातचीत की थी । प्रत्येक राजधानी में मैं बहुत से सरकारी नेताओं, विधायकों, सम्पादकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक नेताओं से भी मिला था ।

(2) इन सभी वार्ताओं में पूर्व बंगाल से आये साठ लाख शरणार्थियों के आने और पूर्व बंगाल में पश्चिम पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा व्यापक संहार के कारण हमारे क्षेत्र में चल रहे संकट से भारत के लिये उत्पन्न विकट व गम्भीर स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान और बल दिया गया ।

(3) मेरी यात्रा की समाप्ति पर, संबन्धित सरकारों की ओर से, हमारे परामर्श से मास्को, पैरिस, वाशिंगटन और लंदन में वक्तव्य जारी किये गए जिनमें अतिथ्य सरकारों की सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त की गई । औटावा में विदेश मन्त्री माइकेल शार्प ने कनाडा के हाउस आफ कामन्स में एक वक्तव्य दिया जिसमें उनकी सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त की गई ।

(4) इन सभी वक्तव्यों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जा रही हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 538/71.]**

(5) मैंने जिन जिन देशों का दौरा किया वहां की सरकारों के साथ मेरी बातचीत के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई कि :

1. किसी भी समस्या का सैनिक हल नहीं निकालना चाहिये और पूर्व बंगाल में सैनिक कार्रवाई तुरन्त बन्द की जानी चाहिये ;
2. पूर्व बंगाल से भारत में शरणार्थियों का आना तुरंत बंद होना चाहिये ;
3. ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायं जिससे कि शरणार्थी शांति और सुरक्षा पूर्वक अपने-अपने घरों को लौट सकें, और ऐसा तभी हो सकता है जबकि शरणार्थियों को पूर्व बंगाल में अपने अपने घरों में सुरक्षित भावी जीवन का आश्वासन मिल जाय ;
4. सामान्य स्थिति फिर से सुनिश्चित करने का केवल यही तरीका है कि पूर्व बंगाल के लोगों के लिये मान्य राजनीतिक हल खोजा जाय ;
5. वर्तमान स्थिति विकट है और इससे क्षेत्र की शान्ति और सुरक्षा को गम्भीर खतरा है।

(6) इस बात पर सामान्य सहमति थी कि पूर्व बंगाल से इस देश में आये 60 लाख शरणार्थियों की विशाल संख्या से जो कुछ ही सप्ताहों में आए हैं, भारत सरकार के साधनों पर जो बोझा पड़ा है वह असहनीय है और अन्तर्राष्ट्रीय समाज को नकद तथा सामान के रूप में दोनों तरह से मदद प्रदान करनी चाहिये।

7. मैंने प्रत्येक राजधानी में यह स्पष्ट किया कि पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के लिये दी जाने वाली सहायता पाकिस्तान को ही दी जाने वाली सहायता होगी क्योंकि शरणार्थी उसी देश के राष्ट्रिक हैं जिन्हें उनकी अपनी सरकार की मनमानी और जानबूझ कर की गई कार्रवाई के कारण विस्थापित होना पड़ा। मैंने यह भी स्पष्ट किया और इसे सामान्यतया स्वीकारा गया कि इस समय पाकिस्तान के सैनिक शासकों को दी जाने वाली सैनिक सहायता से उनकी जनता विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन व बल मिलेगा और उन्हें आर्थिक सहायता देने का अर्थ पूर्व बंगाल में उनकी निन्दनीय कार्रवाई को क्षमा करना होगा जिसका हाल ही के इन सप्ताहों में संसार के समाचार पत्रों में छपे प्रत्यक्षदर्शी बयानों द्वारा अकाट्य और पूर्ण प्रमाण मिलते हैं। मैंने यह भी बताया कि बंगला देश में दमन से पीड़ित लोगों के लिये अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अधीन मानवीय आधारों पर दी गई किसी आर्थिक सहायता का वास्तविक प्रभाव उस देश के बहुमत वाले लोगों पर दमन कार्य में लगे अल्पमत वाले सैनिक शासन को अधिकार में बनाये रखना होगा और इस प्रकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप होगा।

8. इन सभी राजधानियों में मैंने पाया कि शरणार्थियों के इस विशाल काफिले की देखभाल के लिये जिसे मानव इतिहास में अभूतपूर्व, पूर्व बंगाल तथा साथ ही इस देश के लोगों के लिये मनुष्य निर्मित विपत्ति माना गया, भारत की जनता और सरकार द्वारा दिखाई गयी उदारता की बहुत सराहना की गई। स्थिति की गम्भीरता बगैर किसी दोष के हमारे ऊपर लादे गये बोझ की विशालता और यदि वर्तमान स्थिति पर शीघ्र काबू न पाया गया तो इस सारे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के प्रति गम्भीर प्रतिक्रियाओं को सभी ने भली प्रकार समझा।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन्, आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि अमरीका से एक तीसरा जहाज शस्त्रास्त्र लेकर पाकिस्तान रवाना हुआ है । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : जी हां, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमारे सामने वक्तव्य है और मैं इस चर्चा के लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठ जाइये । मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है । इस पर दलों के नेता कल प्रश्न पूछेंगे । यदि आप लोग इस पर चर्चा चाहते हैं तो वह किसी अन्य समय पर हो सकती है ।

श्री राज बहादुर : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा न रोकने की हमारी कोई मन्शा नहीं है । आपने विपक्षी नेताओं से मिलकर एक प्रक्रिया निर्धारित की है और आप इस पर चलना चाहते हैं । यदि सदस्य गण चर्चा चाहते हैं तो वह किसी अलग समय पर की जा सकती है ।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार इस विषय पर चर्चा कराने को सहमत है तो अब प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग एक साथ उठकर बोलेंगे तो मैं किसी की बात भी नहीं सुन सकूंगा । परसों यहां सभा में सदस्यों ने निर्णय किया था कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तथा विपक्ष के नेता प्रश्न पूछेंगे । अब सदस्यगण चर्चा चाहते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : सदस्यगण प्रश्न पूछने का अधिक अनुरोध नहीं कर रहे हैं यदि वे इस विषय पर चर्चा चाहते हैं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है । आपके तथा सदस्यों की इच्छानुसार यहां पर वक्तव्य दिया गया हैं । यह वक्तव्य विदेशों के दौरों से सम्बन्धित है । माननीय सदस्य और मैं भी, शस्त्रों की सप्लाई के विषय को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, यदि वे प्रश्न पूछना नहीं चाहते तो न सही । इस विषय पर अलग से चर्चा की जा सकती है ।

श्री भागवत झा आजाद : हम इस वक्तव्य पर नहीं बल्कि विशेष रूप से अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई के विषय में चर्चा चाहते हैं । मंत्री महोदय के वक्तव्य में यह विषय स्पष्ट नहीं किया गया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह चर्चा सोमवार या किसी अन्य दिन रख लीजिये तब तक हमारे पास भी और अधिक जानकारी एकत्रित हो जायेगी ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हम बंगला देश के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे केवल पाकिस्तान को शस्त्रों की प्राप्ति के बारे में ही नहीं । इस सम्बन्ध में सरकार के समूचे रवैये पर चर्चा होनी चाहिये ।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not Recorded.

श्री एम० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मंत्री महोदय का वक्तव्य उनके विदेशों के दौरे की एक संक्षिप्त रिपोर्ट मात्र है और उसमें भी लगता है सरकार ने अपनी घोषित नीतियों से अलग होकर कुछ किया है, अतः अब प्रश्न पूछने वाली बात नहीं रहती। अब तो इस बारे में तुरन्त ही पूर्णरूपेण चर्चा होनी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : व्यवस्था के प्रश्न पर, मंत्री महोदय के वक्तव्य पर इस समय सभा विचार कर रही है और हम उस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसकी कि आपने अनुमति दे रखी है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर चर्चा स्थगित कर दी जाये तथा इस सम्बन्ध में एक पूर्णरूपेण विचार-विमर्श हो, पाकिस्तान को अमरीका शस्त्र दे रहा है। कल विदेश मंत्री ने दुर्भाग्य से अमरीकी पूंजीपतियों की भर्त्सना करने की बजाय उनकी प्रशंसा कर डाली। परन्तु हम बंगला देश के अपने भाइयों के अत्याचार के विरुद्ध अमरीका की निन्दा करना चाहते हैं।

श्री राज बहादुर : विदेश मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। शस्त्रों की सप्लाई के बारे में उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया था। आज के वक्तव्य में उनके विदेशी दौरे का विवरण है तथा अब यह भी खबर है कि पाकिस्तान को एक तीसरा जहाज अमरीका से शस्त्र लेकर जा रहा है। हम चर्चा कराने पर सहमत हैं। आप कोई समय तय कर लीजिये, हमें मंजूर है।

श्री समर गुह : व्यवस्था के प्रश्न पर।**

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। आप लोग प्रश्न नहीं पूछना चाहते, चर्चा चाहते हैं। मंत्री महोदय को भी कोई आपत्ति नहीं है। इस चर्चा की विषय-वस्तु क्या हो ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस चर्चा को किन्हीं सीमाओं में मत बांधिये क्योंकि मंत्री महोदय के वक्तव्य में शस्त्रों की सप्लाई, बंगला देश आदि अनेक बातें शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय बहुत बड़ा है और वक्तव्य में भी अनेक बातों का समावेश है। हम चर्चा तो करेंगे परन्तु कितने समय के लिये।

श्री राज बहादुर : दो घंटे काफी होंगे अन्यथा दूसरे कार्य में बाधा पड़ेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : छः घंटे। आज साढ़े तीन बजे आरम्भ कर दें और सोमवार को यह चर्चा जारी रहे।

अध्यक्ष महोदय : हम सोमवार को सारे दिन इस पर चर्चा करेंगे।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास मंत्री को कुछ महत्वपूर्ण राजनयिक कार्य सौंपे जाने के कारण उनके

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तब तक के लिये स्थगित करना आवश्यक हो गया है जब तक कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं हो जाता। सदस्यों को शेष मांगों पर चर्चा के बारे में पुनरीक्षत समय-सूची के बारे में संसदीय बुलेटिन द्वारा सूचित किया जायगा। चूंकि अब सोमवार को भी अनुदानों की मांगों पर चर्चा न हो सकेगी, अतः एक पुनरीक्षित समय-सारिणी सभा में पेश की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तो करना ही होगा। मैं सोमवार को कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाऊंगा और सभी कार्यों का पुनः निश्चय करूंगा। जो समय नष्ट हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति तो करनी ही होगी।

समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव
MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा मन्त्रालय के संकल्प संख्या एफ० 16—10/44 ई० तीन, दिनांक 30 नवम्बर, 1945 के पैरा 3 के खण्ड झ (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन 29, अप्रैल, 1973, को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा मन्त्रालय के संकल्प संख्या एफ० 16—10/44 ई० तीन, दिनांक 30 नवम्बर, 1945 के पैरा 3 के खण्ड झ (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन 29, अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अनुदानों की मांगें
DEMANDS FOR GRANTS

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। मन्त्री महोदय को 2 बजकर 45 मिनट म० प० पर बुलाया जायगा। इस चर्चा के लिये 2 घण्टे का समय नियत किया गया है। श्री बी० आर० शुक्ल अपना भाषण जारी रखें।

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : Mr. Speaker, Sir, no provision has been made for generating power for the Eastern Belt of Uttar Pradesh, which is a backward region in all respects. There is no Central power generating scheme also for the north-east-region of the State. Arrangements should be made for providing more and more Tubewells there. The agricultural-land in Bahraich district is fertile enough and can produce promising results if proper irrigation facilities are provided to the Agriculturists and I think that so many problems can be solved by providing maximum number of Tubewells, there.

A Survey should be conducted to formulate a scheme regarding Hydro-Electricity generating Plant from the water of Ghaghra-Coriala barrage under Construction at present in Bahraich district. If the Scheme is implemented I think it can provide water for the whole Eastern belt of Uttar Pradesh. The Government should look into the matter.

The Consumption of power is the criteria to determine, as to how a particular country is developed and became prosperous. In Uttar Pradesh, which is prominently an agricultural State, power shortage there is. A variety of late paddy, is grown in Pauri region of Uttar Pradesh and if this variety crops is not irrigated during the month of October or November, then it is almost destroyed. Therefore, if Government provides irrigation facilities by way of constructing Tubewells, we may have sufficient paddy and may become self sufficient.

Construction of the Tube Wells there require deep borings. There are a few machines available for this purpose. The Central Government should make arrangements to provide such tipe of machines to the State.

Thirdly, the arrangements for providing minor irrigation facilities should be made. The provision of State Tube-wells in the plan needs an additional sum of Rs. 33 crores. The target fixed for this purpose, may be achieved if this sum is made available to them.

The Centre should provide more funds for Ramganga Project and Gandak Project so that the work on these projects may be started.

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़प्पा):* मैंने इस मन्त्रालय का प्रतिवेदन पढ़ा है । इस मन्त्रालय का कार्य प्रशंसनीय नहीं रहा है । इस तथ्य के बावजूद कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक हमने विकास कार्यों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 3,000 करोड़ रुपया व्यय किया है, इतनी बड़ी धनराशि व्यय करने का परिणाम यह हुआ है कि अभी भी हमें अमरीका से 3000 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा है । मैं समझता हूं कि यदि इस राशि का ठीक प्रकार से उपयोग किया गया होता तो हमारा विकास अच्छा हुआ होता । इस प्रकार 50,000 और अतिरिक्त गांवों में बिजली लगायी जा सकती थी तथा एक करोड़ एकड़ भूमि में और सिंचाई की जा सकती थी ।

देश में कृषि योग्य भूमि लगभग 40 करोड़ एकड़ है । परन्तु केवल 8 करोड़ एकड़ पर सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं । इसी प्रकार देश के 5,70,000 गांवों में से केवल 1 लाख गांवों में बिजली लगाई जा सकी है । यदि हम देश का विकास करना चाहते हैं, यदि हम आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें 50 प्रतिशत अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये । इसके लिये हमें 5 या 6 हजार करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी । चौथी योजना में सिंचाई तथा विद्युत कार्यों के लिये 1300 करोड़ रुपये की राशि

*तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपातंर ।
Summarised Translated version based on English Translation of speech delivered in Telegu.

का नियतन किया गया है जो बहुत ही कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिये। हमारे देश का विकास सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं पर आधारित है। जब तक सरकार इस तथ्य को नहीं समझेगी तब तक हमारी प्रगति होना असंभव है।

बड़े पैमाने की सिंचाई तथा विद्युत परियोजनायें राज्य सरकारों के अधीन नहीं होनी चाहियें क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसे का अभाव होता है, अतः परियोजनायें देर से पूरी होती हैं और इन परियोजनाओं में लगायी जा रही राशि कई वर्षों के बाद बेकार हो जाती है। अतः यदि राजस्थान नहर परियोजना, नागार्जुन परियोजना और गंडक जैसी परियोजनाओं को केन्द्रीय परियोजनाओं के रूप में केन्द्र अपने हाथ में ले ले तो मैं समझता हूं कि अधिक सुचारुरूप से कार्य हो पायेगा। जहां पर विद्युत सम्बन्धी गम्भीर संकट है, वहां बिजली पैदा करने का कार्य भी केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

रायलसीमा एक भीषण अकाल ग्रस्त क्षेत्र है। वहां पर इस अकाल स्थिति को दूर करने का एकमात्र उपाय पानी की सप्लाई है। यहां तुंगभद्रा से पानी सप्लाई किया जाता है। लगभग 5 वर्ष पूर्व तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया था। परन्तु इस सम्बन्ध में बहुत ही कम प्रगति हुई है। सरकार रायलसीमा के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के निवासियों के साथ न्याय नहीं कर रही है। जब तक कृष्णा नदी का पानी रायलसीमा को सप्लाई करने की व्यवस्था नहीं की जाती, करनूल तथा कड़प्पा जिलों की अकाल की स्थिति का सदैव के लिये निवारण नहीं किया जा सकता है। परन्तु न ही केन्द्रीय सरकार ने और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने इस ओर अपनी रुचि दिखाई है। मेरा अनुरोध है कि सरकार किसी भी राज्य के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के लिये सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिये। बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तरह अकाल उन्मूलन बोर्ड की स्थापना भी की जानी चाहिये। केन्द्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों के पास सीमित साधन होते हैं, अतः वे इस बड़े कार्य को पूरा नहीं कर सकती हैं।

क्षेत्रों को, विकसित तथा पिछड़े हुये, दो वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिये। जिस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, उन्हें छूट दी जाती है। उसी प्रकार इन पिछड़े क्षेत्रों की सहायता भी की जानी चाहिये।

रायल सीमा में जहां नदी का पानी नहीं पहुंच सकता, वहां सरकार को नलकूपों की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार अकाल की स्थिति समाप्त की जा सकती है।

श्री के० के० रामी रेड्डी (कुरनूल) : यह सर्वविदित तथ्य है कि पानी, बिजली तथा यातायात के साधन किसी भी देश के विकास के लिये आधारभूत होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये और भी आवश्यक हो जाते हैं।

हमारी पहली सभी योजनायें औद्योगीकरण की ओर उन्मुख थीं और इसीलिये पानी के उपयोग, विद्युत उत्पादन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्यों में अधिक हमारी प्रगति नहीं हो सकी।

नदी जल विवादों के कारण भी देश की प्रगति नहीं हो पाई है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को तथ्यात्मक दृष्टि से देश के हित को दृष्टि में रखते हुये इन विवादों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा करना चाहिये।

नागार्जुन सागर तथा पोचमपद जैसी बड़ी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के लिये और अधिक धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिये । यह पिछली परियोजना के मामले में और भी अधिक आवश्यक है जहां आई० डी० ए० 30 करोड़ रुपये की धनराशि देने में समर्थ नहीं हो पाया है जिसका कि उन्होंने वायदा किया था ।

पिछड़े हुये क्षेत्रों के लिये निर्धारित योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करने के प्रयत्न किये जाने चाहियें । यदि ये परियोजनायें शीघ्र पूरी होती हैं तो इन पर बहुत कम लागत आयेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में 21 में से 17 जिले पिछड़े हुये हैं । केन्द्र को चाहिये कि इस राज्य को उदारता पूर्वक धन दे, जिससे वह इस योजना के दौरान ही पम्पों द्वारा जल एकत्र करने की नागार्जुन योजना, कोठागुडम और अपर सिलेरू विस्तार योजनाओं को भी चालू कर सके । सैलम विद्युत परियोजना को, जो पहले ही निर्धारित समय से 10 वर्ष पीछे रह गई है, तेजी से पूरा करने के लिये विशेष सहायता दी जानी चाहिये ।

इन शब्दों से मैं मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : India is an agricultural country and its progress and prosperity depends upon the development of agriculture which is closely associated with the availability of irrigation and power facilities. When there is a quesion regarding the irrigation facilities in the country, the hon. Minister refers to a number of plans. But the fact remains that the Plans have not been successfully implemented. The Government should ensure successful implementation of the plans.

In Bihar, people are impatiently waiting for the West-Kosi Canal project since it is urgently required in the state. This project has not so far been executed. The hon. Minister has replied that Nepal Government has not agreed so far in this matter. It would have been better if the Government had started constructing Dagmara Project as alternative to it. The Minister should ensure early implementation of Dagmara Project as it would prove useful to this region of the country.

There is shortage of power supply in Kosi region of Bihar State. The Poles were supplied when the public of the area made hue and cry but the wires have not so far been made available. There is no industry in that region because it lacks in power supply. The region, therefore, remains a backward one. The hon. Minister should ensure that the power would be supplied for the development of the region.

श्री एम० एस० शिवस्वामी (तिरुचेंडूर)* : हमें स्वतंत्र हुये 25 वर्ष हो गये हैं और हम सिंचाई सुविधाओं के लिये 2000 करोड़ रुपये की लागत लगा चुके हैं परन्तु इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धि क्या है ? हमारे यहां कुल भूमि के 17 प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं जबकि श्री लंका में 23 प्रतिशत भूमि में, पाकिस्तान में 45 प्रतिशत भूमि में तथा जापान में 56 प्रतिशत भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं । देश का उत्तरी भाग बाढ़ के पानी से भरा रहता है । इसके विपरीत दक्षिण भाग की नदियों में पानी नहीं है और वहां अकाल जैसी स्थिति बनी रहती है । वर्ष 1970-71 में 2 करोड़ एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हुयी थी जिससे लगभग 285 करोड़ रुपये की राशि की हानि हुयी । 3.25 करोड़ व्यक्ति बाढ़ के आंतक की चपेट में आये तथा 1071 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी । इस प्रकार भारत में ऐसी स्थिति है कि एक ओर सूखा है और दूसरी ओर बाढ़ ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised Translated version based on English Translation of speech delivered in Tamil.

सरकार को इस समस्या का कोई अन्तिम हल निकालना होगा। उन्हें आडम्बर पूर्ण योजनाओं पर बड़ी राशि व्यय नहीं करनी चाहिये बल्कि ऐसी योजनाओं पर धनराशि लगानी चाहिये जो सूखे तथा बाढ़ जैसी द्विमुखी समस्याओं का समाधान कर सकें। यदि उत्तर में गंगा को दक्षिण में कावेरी नदी से मिला दिया जाये, तो मुझे विश्वास है कि ये दोनों प्रयोजन पूरे हो सकेंगे। जब यह प्रश्न उठाया जाता है तो यही उत्तर मिलता है कि इस योजना पर हजारों करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। इस योजना को चरणों में पूरा किया जा सकता है। सर्वप्रथम गंगा को यमुना से मिलाया जाये, इसके पश्चात नर्मदा से, तत्पश्चात गोदावरी से अन्त में कावेरी से। इस प्रकार यह योजना पूरी हो सकती है और देश के उत्तर तथा दक्षिण दोनों भागों को बाढ़ तथा सूखे की स्थिति से छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार तब राष्ट्रीय एकता केवल जबानी जमा खर्च नहीं रहेगी बल्कि वास्तविक रूप में उसकी उपलब्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस समय तमिलनाडु की सर्वाधिक महत्व की समस्या कावेरी के जल का बंटवारा करने की है। मैसूर राज्य तमिलनाडु सरकार की इच्छा जाने बिना तथा केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लिये बिना ही बांधों का निर्माण करता जा रहा है। यदि मैसूर को इसी ढंग से इन बांधों के निर्माण कार्य को पूरा करने दिया जाता है तो तमिलनाडु के लिये कावेरी का जल उपलब्ध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप, तंजौर डेल्टा क्षेत्र, जोकि दक्षिण भारत के लिये खलिहान है, सूखा क्षेत्र में बदल जायेगा। यदि केन्द्रीय सरकार इस विवाद को हल करने के लिये तत्काल कदम नहीं उठाती है तो इस स्थिति को लाने की पूरी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की ही होगी कि तमिलनाडु की नदियां वहां की जनता के रक्त से भर जायेंगी। इस समस्या को किसी न्यायाधिकरण को सौंपने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

समुद्र से भूमि के कटाव की समस्या भी हमारे सामने है। यदि भूकटाव इसी प्रकार चलता रहा तो तिरुचेंडूर में सुब्रोमेनिया स्वामी का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर नष्ट हो जायेगा। इसी तरह कुमारी अन्तरीप में भी, जहां स्वामी विवेकानन्द का स्मारक है, धीरे-धीरे भूमि का कटाव हो रहा है। केरल की तरह जहां पर भूरक्षण के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है तमिलनाडु के तिरुचेंडूर, नानगुनेरी तथा कन्या कुमारी तालुकों में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के लिये धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

तमिलनाडु में हजारों तालाब हैं, जिनका उपयोग सिंचाई कार्यों के लिये किया जाता है। हाल ही में इन तालाबों में बहुत अधिक रेत जमा हो गया है। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि करोड़ों रुपये की राशि व्यय करके इन तालाबों का रेत निकल करके। इन तालाबों को सिंचाई करने के योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता देनी चाहिये।

देश में राजपथ विभाग नदियों पर पुलों का निर्माण करा रहा है। यदि केवल पुल निर्माण के स्थान पर पुलों एवं बांधों का निर्माण भी कराया जाय तो किसानों के लिये बहुत लाभदायक होगा। इस प्रकार की व्यवस्था से लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई का प्रबन्ध हो सकता है। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

तिरुनेलवेली जिले के नानगुनेरी तालुक में कई नदियां होने पर भी समूचे वर्ष अकाल की स्थिति बनी रहती है। इसका कारण यह है कि इन नदियों में से किसी भी नदी पर अभी तक बांध

नहीं बनाया गया है और जल बिना उपयोग में लाये ही समुद्र में चला जाता है । यदि इन नदियों पर छोटे छोटे बांध बना दिये जायं तो लगभग डेढ़ लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य बनायी जा सकती है ।

श्री के० बासप्पा (चित्रदुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, चार पांच वर्षों में देश में निश्चित रूप से विद्युत की कमी हो जायेगी । यदि हम आगामी 15 वर्षों के लिये बिजली पैदा करने की कोई योजना तैयार नहीं करते हैं तो देश में विद्युत का अभाव हो जायेगा और गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 23 लाख किलोवाट बिजली की आवश्यकता है। परन्तु अभी तक लक्ष्य के दो तिहाई भाग की प्राप्ति ही की जा सकी है । देशी मशीनों, कच्चे माल तथा उपकरणों से लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है । अतः मन्त्री महोदय को आयात लाइसेंस देने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये जिससे मशीनरी तथा अन्य सम्बद्ध उपकरण विदेशों से मंगाये जा सकें । मैं समझता हूं कि इससे हम अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे ।

कलपक्कम परियोजना का वित्तीय पोषण केन्द्र द्वारा किया जाना है । यह निश्चय किया गया था कि परियोजना से जो विद्युत उत्पादन होगा उसे मद्रास, मैसूर और आन्ध्र तीन राज्यों में समान रूप सेवितरण किया जायेगा । यदि हमें हमारा एक तिहाई भाग मिल जाता है तो आगामी दो वर्षों में विद्युत की जो कमी होने की सम्भावना है, वह कमी पूरी हो जायेगी ।

वितरण तथा पारेषण पद्धति की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच कराई जानी चाहिये । विशेषज्ञ समिति को इस बात की भी जांच करनी चाहिये कि देश को होने वाली हानि को किस प्रकार कम किया जा सकता है ।

देश के पिछड़े हुये क्षेत्रों को जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लोग रहते हैं, बिजली देने के बारे में प्राथमिकता मिलनी चाहिये । उन लोगों को पांच वर्ष तक ब्याज रहित ऋण दिया जाना चाहिए तथा उसके बाद उनको कम ब्याज पर ऋण दिया जाना चाहिए ।

भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये जिससे गावों में बिजली सप्लाई करने के लिये और सिंचाई पम्पों को चालू करने के लिये लगाई गयी पूंजी से लाभ उठाया जा सके ।

एक प्रस्ताव के अन्तर्गत मैसूर को कृष्णा नदी से 103 टी० एन० सी० जल का नियतन किया गया था । मैसूर सरकार ने 1963 में इससे संबन्धित योजना बनाई थी जिसको स्वीकृति भी दे दी गई थी । उसके पश्चात सिंचाई मन्त्री ने परियोजना का दौरा किया तथा उन्होंने नारायणपुर बांध के स्थान को ऊपर की ओर बनाने का सुझाव दिया था । मैसूर सरकार ने उसी के अनुसार अनुमान तैयार किये किन्तु अभी तक उस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई ।

इस परियोजना के लिये विश्व बैंक ने भी सहायता देना स्वीकार कर लिया था । किन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी ने इस परियोजना को दो राज्यों की विवाद ग्रस्त परियोजना बताया है जिससे विश्व बैंक भी अब सहायता देने को तैयार नहीं है । मुझे आश्चर्य है कि जब जल की मात्रा विभाजन के बारे में कोई विवाद नहीं है तो केन्द्र सरकार को इस परियोजना की अनुमति देने में क्या कठिनाई है । यदि पांच या छः वर्ष तक प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये दिये जायें तो यह परियोजना पूरी हो

जायेगी तथा बीजापुर गुलमर्ग और रायपूर के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को इससे लाभ होगा। अतः इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस परियोजना के लिये उसी प्रकार शीघ्र अनुमति मिलनी चाहिये। जिस प्रकार पोचमपाद परियोजना को दी गई है।

कावेरी बेसिन पर यगाली आदि परियोजनाएं मद्रास के साथ 1892 अथवा 1924 में हुये करार के अन्तर्गत नहीं आती है। इनसे उनके किसी अधिकार का भी हनन नहीं होता। अत: इन परियोजनाओं को मन्जूरी दी जानी चाहिये। मैसूर की ऐसी परियोजनाओं को मैसूर द्वारा आपत्ति किये जाने पर भी स्वीकृति दे दी गई है। अत: मेरा निवेदन है कि सरकार भिन्न राज्यों के लिये भिन्न नीति का उपयोग न करके सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे।

अन्त में मेरा सुझाव है कि तुंगभद्रा योजना के निर्माण के लिये नियुक्त किये गये बोर्ड को अब समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि उनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना की देख-भाल के लिये उसे मैसूर राज्य को सौंप दिया जाना चाहिये क्योंकि यह परियोजना उसी राज्य में है।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): The water supply in as assured and dependable manner is highly essential for the enhancement of the food production. Due to non availability of adequate water supply double cropping could not be achieved in over 15% area of Sone. Government have appointed an Irrigation Commission which will submit its report in 1971. I suggest that its Report should contain the exact progress made by the minor, medium and major irrigation projects in the country and assess the coordination between the planning and the implementation.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Government should also ensure the proper distribution of water to the beneficiaries in Rajasthan so that they can increase the food production.

Government should also check the problem of water logging and seepage in Punjab and Hariyana States. The accumulation of silt in Bhakra Dam should be checked to ensure the proper irrigation facilities from it.

In view of the highest agricultural production in Punjab and Haryana it is the duty of the Government that these states should be provided better irrigation facilities. To ensure adequate water supply in the arid areas the work of deep boring should be undertaken by the Government. The Central Government should also see that the funds provided to the State Governments for increasing irrigation facilities are utilised for that very purpose. I would like to point out that the site for the Thermal Plant selected by the Punjab Government is not suitable and the Government should look into this matter.

I also suggest that the departments of Agriculture and Water and Power should be linked with each other to ensure full Coordination resulting in increased food production. Due to the use of new varieties of fertilizers crops require much of water. Therefore, to meet the increased requirement of water through various sources the agriculture department should be connected with water and power department.

A scheme to undertake a project at Ropar was forwarded by the Punjab Electricity Board but uptill now no body knows, the fate of that project. I request the Government that all such schemes should be given sympathetic consideration by the Central Government.

It should also be understood that success of our agricultural programmes depends upon the success of the various agricultural schemes. Government should also see that the funds provided

for the agricultural purposes are utilised properly by the State Governments. I admit the fact that with the advert of the present Government the situation regarding the supply of water etc. has improved considerably. But the problem of power stortage is still there and steps should be taken to provide more and more power to meet the increasing demand in the country.

H. H. Maharaja Narendra Singh (Satna): The demands pertaining to the Ministry of Irrigation and Power are as important as that of the Defence. Therefore more and more provisions should be made for the irrigation schemes so that food production can be increased in the country. I am sorry to say that the canal projects at the Bias and the Ravi rivers have not been completed upto 1970 resulting in heavy losses to the country. Similarly the link project on the Satluj and the Bias is not likely to be completed upto 1972.

In view of the considerable delay in the construction of various dams such as Pong, Kishan etc. it is quite clear that country can not achiiee desired progress. I suggest that the Government should revise their policy in this connection.

Both agriculturists and the Private sector are trying their best to increase their production but the Central Government and their machinery are not taking keen interest in completing the various irrigation projects resulting in heavy burden of taxes on the public.

I also suggest that the centrally sponsored upper-Kane-canal project should be started again and it should be brought under the five years plan so that the farmers of these three districts of Rewa Division could get irrigation facilities.

Every body knows that we are agriculture-oriented country and for the benefit of the farmers they should be provided with power, means of communication and the forests. If these facilities are provided to them they could produce more and get good return of their products.

Sir, several district in Madhya Pradesh are totally neglected so far as the facilities of irrigation and power are concerned. No arrangements have been made to provide drinking water to the people of our area. They are forced to drink dirty water in the summer. I also demand that the Madhya Pradesh Government should be given adequate funds by the Central Government for undertaking the work of rural electrification.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : महोदय ! मुझे इस सम्बन्ध में अत्यंत खेद है कि सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय के लिये बजट में बहुत कम वित्तीय व्यवस्था की गई है। साथ ही इस विभाग के कार्य को सरकार ने महत्वपूर्ण नहीं माना है क्योंकि इसके मन्त्री को मंत्रिमण्डल में स्थान नहीं दिया गया है। डा० राव ने जो अब तक कार्य किया है, उसके लिये मैं उनकी सराहना करता हूं।

इस समय देश में लगभग 10 लाख किलोवाट बिजली की कमी है। वर्तमान स्थिति से ज्ञात होता है कि आगामी तीन वर्षों में 30 लाख किलोवाट बिजली की कमी होगी। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार प्रति वर्ष कम से कम 10 लाख किलोवाट बिजली के उपकरणों का आयात करे अन्यथा देश में बिजली की भारी कमी हो जायेगी तथा सरकार को गरीबी हटाओ के लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होगी।

यदि सरकार राज्य तथा भिन्न क्षेत्रों में बिजली के लिये सम्बन्ध स्थापित कर दे तो उससे लगभग 30 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली प्राप्त हो सकती है। राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं को एक दूसरे से मिलाने से बिजली का भार बंट सकता है तथा अन्य लाभ भी हो सकते हैं। केन्द्र सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहियें।

क्या मंत्रालय को कुछ अन्य समस्याओं का भी पता है जैसे कि मानकीकरण, लागत में कमी तथा आयातित माल के स्थान पर अन्य देसी माल का उपयोग करना आदि। यदि हमारे कारखाने उचित रूप से कार्य करें तथा उनमें आवश्यक उत्पादन हो सके तो हमें केवल 3 प्रतिशत उपकरणों को मंगाने की आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री महोदय ने भोपाल स्थित कारखाने का उल्लेख करते हुये उसमें 57 करोड़ रुपयों का घाटा बताया है किन्तु मेरे विचार से यदि उससे होने वाली अप्रत्यक्ष हानि का भी हिसाब लगाया जाये तो घाटे जाये मात्रा 200 करोड़ रुपयों की कम नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि हमें कम से कम 200 मैगावाट से कम क्षमता वाले एकक स्थापित नहीं करने चाहिये तथा वोल्टेज भी 400 किलोवाट से कम नहीं रखा जाना चाहिये।

500 मैगावाट की क्षमता वाले वनक्बोरी तापीप बिजली घर तथा सौराष्ट्र के परमाणु केन्द्र के बारे में सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। तापीपय बिजली घर के बारे में भी शीघ्रता की जानी चाहियें तथा लगभग 150 मैगावाट की क्षमता वाले नर्वदा पन बिजली केन्द्र को शीघ्र आरम्भ करना चाहिये क्योंकि इसके सम्बन्ध में कोई अन्तर्राज्यीय विवाद नहीं है।

पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण तथा गैस और आर० एफ० ओ० के मूल्यों का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को गैस और आर० एफ० ओ० पर कोई मूल्य नहीं लेना चाहिये क्योंकि प्राकृतिक जल पर भी कोई मूल्य नहीं लिया जाता। खेद की बात है कि गुजरात की दो टर्बाइनों को गैस की सप्लाई न किये जाने के कारण अब तक चालू नहीं किया जासका।

बिहार की सिंचाई और पनबिजली योजनाओं को द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा सकता है क्योंकि वहां बिजली की बहुत कमी है तथा इस राज्य में अकाल प्राय: पड़ता रहता है।

गुजरात से सम्बन्धित महा कडना, नर्मदा, सवर्मती, धरोह, उकाह शत्रुंजी परियोजनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Sir, the figures relating to the water resources available show that only 150 million acre feet of water is utilised for the irrigation purpose while in our country irrigation potentiality is about 450 million acre feet of water. It proves that Nature is not cruel to us but our projects and irrigation schemes are not dealt with foresightedness and on priority basis by the Government.

It is a matter of regret that the Minister of Irrigation and Power has not been given the status of the Cabinet Minister and as such he can not emphatically demand adequate funds for the schemes. In the last 20 years the Government could bring only 5 crore acres of land under the irrigation. The funds allocated to the Ministry for irrigation purposes are inadequate and with these meagre provisions nothing can be done.

I would like to invite the attention of the Government towards the slogan of socialism and the various promises made by the Government to the farmers, landless workers and others. For achieving the targets of self-sufficiency in food it is highly essential for the Government to provide water and power to the farmers.

I suggest that the Narmada Velley project should be taken over by the Central Government in order to facilitate the people of Madhya Pradesh.

In comparision to the other States the percentage of agricultural land is much less. The

percentage of irrigated land in Punjab is 70% while in Madhya Pradesh it is 6% only. I request the Government that efforts should be made to provide the farmers of Madhya Pradesh with large number of tubewells. It is quite strange that we live on the bank of the rivers like Ganges, Yamuna and Sarswati yet we are deprived of irrigation facilities.

I suggest that the hon. Minister should be bold enough in getting adequate funds from the Government from implementing the various projects. In the end I reiterate that the hon. Minister should be given cabinet rank.

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में 6 बड़ी सिंचाई परियोजनायें तथा 44 मध्यम परियोजनायें हैं जिनमें से कुछ तो पूरी हो चुकी हैं परन्तु अधिकांश अभी अपूर्ण हैं।

करनूल तथा कड़प्पा के बीच बहने वाली के० सी० कनाल से 3,02,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी तथा आंध्र प्रदेश और मैसूर के बीच बढ़ने वाली तुंगभद्रा लो-लैवल कनाल से 1,48,000 एकड़ भूमि में कृषि के लिये सिंचाई हो सकेगी। ये दोनों परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं।

परन्तु वर्ष 1949 से चल रही कदम परियोजना अभी तक अपूर्ण है। तेलंगाना क्षेत्र के आदिलाबाद जिले में स्थित इस परियोजना के पूरा होने पर 85,000 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी परन्तु फिर भी न जाने अब तक इस छोटी-सी योजना को पूरा नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार नागार्जुन परियोजना से 20.6 लाख एकड़ भूमि कृषि करने में सहायता मिलेगी परन्तु इसमें भी केवल कुछ मिलों को ही नल की सप्लाई उपलब्ध हो सकी है। पांचमपाद परियोजना को भी छोटा कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप अब उससे तेलंगाना के छः जिलों के स्थान पर अब केवल एक या दो जिलों को ही जल प्राप्त हो सकेगा।

हमारा देश कृषि प्रधान है और यहां कृषि मानसूनों की दया पर निर्भर करती है। अतः यदि यहां तथा विशेषकर तेलंगाना क्षेत्र में सिंचाई की समुचित सुविधायें प्रदान न की गईं तो सामान्य किसानों को बहुत हानि होती है। तेलंगाना का तुंगभद्रा हाई लैवल चेनल का कार्य भी अभी अपूर्ण ही है।

कोट्टागुडम तापीय विद्युत केन्द्र के भी अभी केवल दो चरण ही पूरे हुए हैं, तीसरा अपूर्ण है। वहां से उत्पन्न होने वाली सारी विद्युत समूचे आंध्र प्रदेश में सप्लाई की जाती है परन्तु तेलंगाना के हजारों गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाता।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बहु-उद्देश्यीय नदी परियोजनाओं के लिये $11\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की व्यवस्था है, मंत्री महोदय केवल फरक्का परियोजना की ओर ही नहीं प्रत्युत वह नेरादा स्थित वंशधारा एनिकट तथा श्री काकुलम में बंशधारा नदी पर योट्टा बोझ की ओर भी ध्यान दें। यह पिछड़ा क्षेत्र हैं तथा इस योजना के अधीन 20 लाख एकड़ भूमि पर कृषि की जा सकती है। मेरा यह भी सुझाव है कि मेहक तथा तेलंगाना जिलों के लिये उठाऊ सिंचाई की व्यवस्था की जाये। साथ ही बादलपुर तापीय केन्द्र परियोजना को हाथ में ले लें।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के शेयर खरीदने तथा मनीपुर, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व काश्मीर में अन्य तीन पन-बिजली परियोजनाओं के अतिरिक्त मंत्री महोदय लोअर सिलेरू पन-बिजली परियोजना को भी हाथ में लें जो कि राज्य के ग्रिडो, तथा आंध्र और तेलंगाना दोनों के लिये बड़ी लाभप्रद होगी।

अन्य बातों के अतिरिक्त सिंचाई और विद्युत के मामले में भी तेलंगाना के साथ बड़े भेद भाव का व्यवहार किया जा रहा है। इसके पीछे तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री एन० संजीव रेड्डी का हाथ है। मैं देश की एकता में विश्वास करता हूं, परन्तु यह एकता प्रशासनिक अयोग्यता पर आधारित उपनिवेशवादी प्रवृत्ति के कारण नहीं स्थापित की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह बैठ जायें। अब वह जो कुछ कहेंगे, उसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। श्री लीलाधर कटकी।

श्री मल्लिकार्जुन *

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभा को ज्ञात है कि आसाम राज्य में बाढ़ तथा वर्षा के समय और ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव के कारण कितना विध्वंस होता है। 5 दिसम्बर, 1969 को प्रधान मंत्री ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ पर तुरंत नियंत्रण पाने हेतु एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी, परन्तु आज यह जानकर बड़ा आश्चर्य और दुःख होगा कि धन के अभाव के कारण उक्त आयोग का कार्य पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यह विवाद है कि आयोग के लिये धन कौन जुटाये। वस्तुतः तो यह प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वायदा है कि सारगर्भित परियोजनायें तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिये आयोग को समुचित धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस आयोग ने केवल आयात स्थिति के लिये ही 11 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है जब कि पूरी योजना के लिये उसे 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अतः यदि केन्द्र सहायता नहीं देगा तो आयोग अपना कार्य नहीं कर सकेगा। वर्ष 1950 से भूचाल तथा बाढ़ों से त्रस्त हमारे राज्य के लोगों की आशायें प्रधान मंत्री के उक्त वक्तव्य पर बंधी हुई थीं और अब यदि सरकार इस संदर्भ में तुरन्त ही कुछ नहीं करती है तथा आयोग को पर्याप्त धनराशि नहीं देती है जिससे कि वह अपना कार्य बढ़ा सके, तो लोगों में अशांति फैल जायेगी।

यह बात उल्लेखनीय है कि हमारे राज्य में नवम्बर से अप्रैल तक केवल छः माह तक ही यह कार्य किया जा सकता है। मानसून आरम्भ होने पर यह कार्य करना सम्भव नहीं है। अब मानसून आरम्भ हो चुका है। सुषानसिरी में योमाजी उप-डिवीजन में उत्तरी तट की ओर बाढ़ ने भारी ध्वंस किया है और ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी डिब्रूगढ़ नगर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है तथा एक बार फिर भूमि के कटाव का खतरा बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में आयोग को कार्य हेतु धन देने की समस्या देखकर हमें बहुत दुःख होता है।

मंत्री महोदय स्वयं एक विशेषज्ञ हैं और उन्होंने मिसिसिप्पी का दौरा करके लाभ उठाया है तथा उन्होंने सभा को भी बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी की समस्या मिसिसिप्पी की समस्या से भी बड़ी है। परन्तु आश्चर्य है कि फिर भी जहां मिसिसिप्पी परियोजना के रख-रखाव पर ही प्रति वर्ष 22 करोड़ रुपये खर्च होते हैं वहां हमें आपातकालीन कार्य तथा तटो आदि को ऊंचा करने हेतु केवल 11 करोड़ रुपया भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, पूरी योजना के लिये तो धन की बात ही अलग है। अतः

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

*Not Recorded

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस सभा से तथा विशेषरूप से आसाम के लोगों को आश्वासन दें कि आयोग के कार्य में बाधा पैदा नहीं होने दी जायेगी तथा संसद में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वायदे को पूरा किया जायेगा।

ब्रह्मपुत्र नदी के बांधों तथा तटों सम्बन्धी सभी योजना में अनेक स्थानों पर परस्पर सम्बन्ध नहीं है जिससे भारी ध्वंस होता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में ही प्राय: 20 किलो मीटर के क्षेत्र का किसी से सम्पर्क नहीं है जिससे प्रति वर्ष लोगों को बड़ा कष्ट होता है। कुछ मास हुए आयोग के अध्यक्ष ने वहां का सर्वेक्षण कराया था परन्तु खेद है कि उस छोटे से क्षेत्र पर भी धन के अभाव के कारण कोई कार्य नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले को यथेष्ट महत्व देकर इसके लिये धन उपलब्ध करायें।

मेरे राज्य में सिंचाई सम्बन्धी समस्यायें भी बहुत हैं। दूसरी योजना के अन्त तक वहां के लिये कोई सिंचाई योजना नहीं थी, तीसरी योजना में चार मध्यम योजनायें रखी गई थीं परन्तु उनमें से अभी तक केवल एक योजना की ही क्रियान्विति हुई है। लोग समझते हैं कि हमारे यहां बहुत वर्षा होती है और हमें सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह धारणा गलत है। छः महीने हमारे यहां वर्षा नहीं होती और हमें फसल उगाने के लिये नल नहीं मिलता। अतः हमारे राज्य को भी सिंचाई सुविधाओं की जरूरत है। मंत्री महोदय को हमारे राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को अविलम्ब क्रियान्वित करना चाहिये।

Shri Shiv Shanker Prasad Yadav (Khagaria) : Sir, I belong to that area where rivers are in plenty ; but unfortunately they are used for devastation and destruction only. Khagaria is a place of national importance and it is also important from defence point of view, because there is a National Highway and a railway line near Manasi there.

Dr. K. L. Rao had surveyed that area in 1969 and his good suggestions raised many hopes of improvement in the minds of the people of that area. It was published in the newspapers also that the flow of the Ganga will be diverted through Chandisthan thereby protecting Manasi and benefitting the people. Then the national high way there has also so much military importance.

Being adjacent to Nepalese border Khagaria has got military importance. In 1970, Shri Nandaji, the then Railway Minister and Dr. K. L. Rao visited that area and saw the flood themselves. They gave several good suggestions which were most welcome to the people. But it is sad to know that now that scheme is not being implemented we feel very much disappointed.

I, therefore, request the hon. Minister to arrange for the protection of the said National Highway and also that of Manasi so as to save the lives of lakhs of people from floods. He may also see that the rivers are used for generating power and lift irrigation.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baijnath Kureel) : Most of the hon. Members participating in the debate have attached more importance to to rural electrification. And, undoubtedly it is really a very important thing since most of our people live in villages. I am glad to say that we have done good work in this respect and hav worked more than our targets. This is because of the efforts made by State Electricity Boards and Rural Electrification Corporations. Besides that, the farmers have also shown much initiative in using power for agricultural purposes.

Under this item, we spent Rs. 350 crores in 1951, merely providing electricity to 74,000 villages and for 10,06,000 pumpset. Now we propose to electrify further 70,000 villages and 12,05,000 pump sets by spending Rs. 520 crores. Thus, this work will be equivalent or even more than the work which we could do during the 18-20 years.

I agree that there has some inbalance in regard to work done there in different States. But the reason therefor is that some States have been miser in spending money in this regard. We have in all nine Backward States whose average in rural electrification is lower than that of the whole nation. The na tional average is 19 per cent but that of those states is only 18 per cent. The backward states are Assam, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan, U. P., West Bengal Jammu and Kashmir and Nagaland. The Government are trying to eliminate this imbalance and provide more facilities and sanction more projects for these states. In addition to removing this sort of imbalance, we propose to put a condition of electrifying the area inhabited by Harijans also while electrifying a village. This is being done because there are instances where such areas are left indiscriminately. So we would sanction only those schemes which cover the areas inhabited by the Harijans also.

Some hon. Members have mentioned that the pace of rural electrification schemes in West Bengal, Bihar, Orissa, Rajasthan and U. P. has been rather very slow and then all India average is very low. We are considering in the corporation certain new schemes and also the schemes relating to rural transmission and distribution systems. As a result thereof in the Fourth Plan the number of villages and pump sets to be electrified in these five states would be equal, if not more, to the number that could be covered during the last so many years. In the beginning of the Fourth Plan. 6,350 villages and 50,005 pump-sets were electrified and during this plan 5,835 villages and 1,25,000 pump sets will be electrified. In Orissa, 821 villages and 477 villages were already electrified and now 4750 villages and 31,802 pump set will be electrified during the 4th Plan.

Many hon. members have put forth quite a good number of very useful suggestions which, I assure would be looked into very carefully. I also assure the House that any suggestion whether in the House or out side, would be given full considerations.

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : मैं आभारी हूं कि माननीय सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ इस चर्चा में भाग लिया है तथा बहुत मूल्यवान सुझाव हमें दिये हैं। मैं, उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर देकर खुश होता परन्तु इतना समय नहीं है, मैं केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों की ही चर्चा करूंगा।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्राय: सभी माननीय सदस्यों ने, विशेषकर श्री मोदक जी ने, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के लिये अधिकाधिक धन राशि की व्यवस्था करने का समर्थन किया है तथा राष्ट्र के हित में इसे अत्यन्त आवश्यक बताया है। परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि स्वाधीनता के बाद से हमने कुछ किया ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय केवल 520 लाख एकड़ भूमि पर ही सिंचाई होतो थी जबकि अब तक हमने 3800 करोड़ रुपया खर्च करके गत 20 वर्षों में 1000 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के अधीन कर दिया अर्थात अब देश की 25% भूमि में सिंचाई हो सकती है। अगले दस वर्षों में हमारे देश की एक तिहाई भूमि में सिंचाई हो सकेगी और इस शताब्दी के अन्त तक लगभग आधी भूमि का सिंचन सम्भव होगा। यह एक प्रशंसनीय प्रगति है।

महात्मा गांधी ने यह सच कहा था कि सिंचाई की सुविधा के बिना कृषि करना एक तरह से जुआ खेलने के समान है। माननीय सदस्य भी मानते हैं कि सिंचाई एक अत्यन्त आवश्यक सुविधा है और हम चाहते हैं कि अधिकाधिक भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हो सके। वर्ष 1971-81 तक की दशाब्दी में हम 300 लाख एकड़ भूमि के लिये बड़ी तथा मध्यम योजनायें चालू करना चाहते हैं अर्थात् हम दुगुनी गति से चलना चाहते हैं और 30 लाख एकड़ प्रतिवर्ष की गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। यद्यपि हमारे सामने निधि का प्रश्न आता है परन्तु फिर भी इस क्षेत्र के लिये हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

दो-तीन माननीय सदस्यों ने गंगा नदी से कावेरी नदी में पानी के स्थानान्तरण के बारे में जिक्र किया। मानसून का फालतू पानी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। ऐसा रूस तथा अमरीका जैसे दुनिया भर के देशों में होता है। हम भविष्य में आने वाली समस्याओं को भी देखना चाहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इससे सम्बन्धित नदी में पानी कम हो जायेगा और आगामी पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा। इसीलिये वे कतिपय परियोजनाओं को चलाने देना नहीं चाहते। अब गंगा से कावेरी में पानी के स्थानान्तरण से यह भय दूर हो जायेगा। यदि कहीं कोई कमी भी पड़ेगी तो हम उस क्षेत्र को नल दे भी सकेंगे। हम काफी प्रारम्भिक अध्ययन कर चुके हैं और इस सम्बन्ध में अब संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का मत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

विश्व बैंक द्वारा हमारी परियोजनाओं के लिये स्वीकृति तथा धनराशि देने के बारे में हमारे कई माननीय सदस्य को गलत जानकारी मिली है। स्थिति यह है कि हम विश्व बैंक के पास अनेक परियोजनायें स्वीकृति के लिये भेजते हैं और बैंक कुछ ही परियोजनाओं को स्वीकार करता है। दूसरे विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे ही सम्बन्धित राज्य को नहीं मिलती बल्कि केन्द्र को प्राप्त होती है और फिर केन्द्र उसे राज्य-योजना के अन्तर्गत राज्यों को यथायोग्य वितरित करता है। गत वर्ष हमने 15 परियोजनायें विश्व बैंक के सामने रखी थीं जिनमें कोयना 3.6 करोड़ रुपये, पंजाब बाढ़ जल निकास योजना 10 करोड़, कोटागुडम 34 करोड़, सोन परियोजना आदि शामिल हैं। परियोजनाओं को स्वीकृति देने का मानदण्ड यह कि वह योजना 5 या 6 वर्ष में पूरी हो जाने वाली हो तथा पूर्व स्वीकृत हो।

इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के समक्ष हम ट्रांस्मिशन तथा सिंचाई परियोजनायें भी पेश कर रहे हैं। ये योजनायें सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक को पेश की जाती हैं और स्वीकृत परियोजनाओं के लिये धनराशि सीधे राज्यों को नहीं मिलती है। राजस्थान कनाल जैसी अनेक योजनायें विश्व बैंक ने पास कर दी हैं।

इंद्रावती के बारे में भी अनेक सदस्यों ने चर्चा की है। मैं स्वयं इस समूचे क्षेत्र से परिचित हूं। यह एक सुन्दर परियोजना है जिससे अभाव ग्रस्त क्षेत्रों को पानी तथा विद्युत मिलेगी। परन्तु दुर्भाग्य से ये परियोजनायें ट्रिबुनल के समक्ष हैं और उन्हें इस समय स्वीकृति देना सम्भव नहीं है। ट्रिबुनल के सामने काफी समय लग जाता है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि परियोजनायें ट्रिबुनल के पास न भेजी जायें।

श्री मिर्धा ने उठाऊ सिंचाई कनाल को नागपुर तक बढ़ाने की बात कही है। यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। यह योजना राजस्थान कनाल का एक भाग है जिसके अन्तर्गत लुंकरनहर को पानी की सप्लाई होती है। यह क्षेत्र बहुत बुरा है और वहां पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। मेरे विचार से यह परियोजना 1973 तक पूरी हो जायेगी। नागपुर तक बढ़ाने में भी मैं राजस्थान सरकार से तुरन्त ही प्राक्कलन पेश करने को कहूंगा।

माननीय सदस्यों ने यमुना की अनुपूरक नदी टोन्स पर किसाऊ परियोजना का जो जिक्र किया है, विचार यह है कि वहां एक बाँध निर्मित किया जाये, मानसून के नदियों में पानी एकत्रित कर लिया जाये तथा फिर उसका उपयोग हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में किया जाये। यह बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं और प्रत्येक के लिये 150 या 200 करोड़ रुपये चाहियें। यह

पाँच राज्यों का कार्य है और इन पांचो राज्यों के मंत्रियों को एक बात पर सहमत करना एक कठिन काम है।

राजस्थान कनाल भी देश की उपजाऊ मिट्टी को सिंचित करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। राजस्थान कनाल ऐसे क्षेत्रों का सिंचन करेगी जहाँ भूमि बेकार पड़ी है और इसीलिये इसका दुगुना महत्व है। यह सिंधु नदी संधि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

महाराणा नरेन्द्र सिंह ने सिंधु नदी संधि का जिक्र किया। मैं सभा को पहले भी बता चुका हूं कि हम क्यों इसे पूरा नहीं कर सके तथा मानसून ऋतु में कैसे इस नदी का जल बेकार बह जाता है। मैंने यह भी बताया था कि पोंग बाँध को येन बांध की तुलना में पहली प्राथमिकता क्यों दी गई है। सिंधु जल सम्बन्धी प्रश्न के बारे में मैं एक बार फिर सभा को बतादूं कि मानसून के दिनों में हम नदी से 90 लाख एकड़ फिट जल बह जाता है, इसके बाद कोई जल बेकार नहीं जाता। हमतो इस जल को भी बेकार नहीं जाने देना चाहते क्योंकि हरियाणा, राजस्थान तथा अन्य अनेक स्थानों पर सिंचाई के लिये भूमि पड़ी है। मगर इस जल को एकत्रित करने के लिये हमें बांध बनाना होगा और यही हम कर रहे हैं। यदि हम पोंग बांध का निर्माण कर लें तो हम 80 लाख फिट जल एकत्रित कर सकते हैं जबकि येन बांध के निर्माण से 10 लाख फिट जल ही रोका जा सकता है। इसीलिये हमने पोंग बांध को पहली प्राथमिकता दी है। हम इसे पूरा करने का प्रयास करने में लगे हैं परन्तु दुर्भाग्य से इसकी लागत अब दुगुनी से भी अधिक हो गई है। पहले यह लागत 65 करोड़ रुपये थी जबकि 170 करोड़ रुपये के लगभग खर्च होंगे।

श्री ईश्वर रेड्डी ने तुंगभद्रा चरण II को पूरा करने का आग्रह किया है। हमारे पास इसके लिये 20 करोड़ रुपया है। यदि लागत में वृद्धि नहीं हुई तो हम इसे पूरा कर लेंगे।

माननीय सदस्य श्री मिश्र जी ने कोसी-कनाल का जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में सभा में भी अनेक बार यह मामला उठा है और अनेक प्रश्न पूछे गये हैं। हम भी इस परियोजना में बहुत रुचि रखते हैं क्योंकि इससे दरभंगा के अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा। हम इसे पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

पश्चिमी कोसी नहर नेपाल की प्रारम्भिक सीमा के 22 मील के क्षेत्र से गुजरती है; इसलिये इसकी पूर्ति के लिये हमें इस देश की भी अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिये हम नेपाली अधिकारियों को हर प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु न जाने क्यों वे अनुमति देने में टाल-मटोल कर रहे हैं। नेपाल की अनुमति मिल जाने पर हम तुरन्त ही इस पर काम आरम्भ कर देंगे। इस सम्बन्ध में हम सभी तैयारी कर चुके हैं।

नर्मदा के बारे में मैं माननीय सदस्यों को अलग से बता सकता हूं। कावेरी जल विवाद को सुलझाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। मैंने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को इस पर और आगे विचार विमर्श करने के लिए बुलाया है। उन्होंने अपने दो मंत्रियों को तीन जुलाई को यहां भेजने को कहा है। इस विवाद पर दोनों ही पक्षों की ओर से तर्क वितर्क प्रस्तुत किये गये हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि शीघ्र ही कोई निर्णय किया जा सके।

सिंचाई आयोग भी अब इस वर्ष के मार्च महीने तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा। भाखड़ा बांध की आयु 350 वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। परन्तु जब इसका निर्माण किया गया

था उस समय इसकी आयु का अनुमान 500 वर्ष लगाया गया था किन्तु इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। अतः भाखड़ा की आयु का अनुमान 50 वर्ष लगाना गलत है तथा उसमें गाद जमा होने की समस्या चिंताजनक बिलकुल नहीं हैं। तथापि इस समस्या में स्रवण क्षेत्र में भूमि के कटाव को रोकने तथा बांध को ऊंचा करने का कार्य किया जा रहा है।

जहां तक निजामसागर परियोजना का प्रश्न है, उसका निर्माण बहुत समय पहले किया गया था तथा उस क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रीन चल रही है। उस जलाशय में पानी जमा होने की क्षमता मूलतः 25 टी० एम० सी० थी तथा गाद जमा होने के कारण उसकी क्षमता अब केवल 12 टी० एम० सी० रहगई है। मैंने जलाशय की आयु बढ़ाने के बारे में कुछ सुझाव दिये थे। भूमि के कटाव को रोकने के भी उपाय किये जा रहे हैं तथा हाल ही में उसके लिये धनकी स्वीकृति दी गई है।

माननीय सदस्य श्री मल्लिकार्जुन ने सिंचाई और विद्युत के मामले में कार्य ही क्षेत्रीय भावनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि कदम परियोजना पूरी नहीं हो सकती है जबकि अन्य परियोजनाएं पूरी करदी गई हैं। के० सी० नहर लगभग 100 वर्ष पुरानी है तथा उसमें कुछ मरम्मत कार्य किया गया है। इसी प्रकार तुंगभद्रा परियोजना को भी बहुत पहले मंजूरी हो गई थीं कदम परियोजना भी पूरी हो गई थी किन्तु दुर्भाग्य से उसमें दरार पड़ गई जिससे उसे पुनः बनाने में समय लगा। अतः हमने तेलंगाना अथवा आंध्र प्रदेश के बीच भेदभाव रखने का कोई प्रश्न नहीं है।

यह ठीक है कि पोचमपाद परियोजना के लिये 120 करोड़ रुपयों की राशि को घटा कर 40करोड़ रुपया कर दिया गया किन्तु ऐसा भी स्वयं तेलंगाना के ही नेताओं ने किया है। उन्होंने इसे मध्य स्तर की परियोजना के रूप में माना है। तथापि उसकी लागत 90 करोड़ रुपये आई है और यदि इसे कम नहीं किया जाता तो सम्भवतः उसकी लागत 250 करोड़ रुपये होती हैं।

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रश्न है, तेलंगाना क्षेत्र के 29% गांवों को, आंध्र के तटीय क्षेत्र में 27% गांवों को तथा आंध्र प्रदेश में 30% गांवों में यह कार्य किया गया है। उड़ीसा में केवल 2.7 प्रतिशत गांवों में ही यह कार्य हो पाया है। अतः तेलंगाना के साथ भेदभाव बरतने की बात कहां तक सच कही जा सकती है। (**व्यवधान**) इसी प्रकार तेलंगाना में गत 10 वर्षों में बिजली से चलने वाले 42% पम्पिंग सैट लगाये गये हैं जब कि रायलसीमा में जो सम्पूर्ण देश में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, केवल 32 प्रतिशत सैट ही लगाये गये हैं।

ग्रामीण विद्युती करण निगम ने तेलंगाना के लिये पांच करोड़ रुपयों के मूल्य की परियोजनाओं की मंजूरी दी गयी है जबकि रायलसीमा के लिये केवल दो करोड़ रुपयों को परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारे देश में सिंचाई के सम्बन्ध में सदा असंतुलन रहा है। सभी राज्यों में कृषियोग्य भूमि का क्षेत्रफल समान नहीं है। उदाहरण के लिये केरल बंगाल आदि राज्यों में घनी आबादी है तथा कृषि योजना भूमि का क्षेत्रफल भारत की औसत कृषि भूमि से आधा भी नहीं है। इसके विपरीत पंजाब में कृषि योग्य भूमि अधिक है तथा सिंचाई क्षमता भी अधिक है जिससे वहां उत्पादन भी अधिक होता है।

सिंचाई का व्यय बहुत बढ़ गया है। हमें इस व्यय में कमी करने के प्रयत्न करने चाहिये। मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि 5 अथवा 10 करोड़ रुपयों की लागत वाली बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में

पूरी जांच पड़ताल के पश्चात ही मंजूरी दी जानी चाहिये। इससे बहुत सी समस्याओं को हल किया जा सकता है।

विकास के लिये बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। 1947 में हमारे यहां केवल 18 लाख किलोवाट बिजली थी और अब देश में केवल 160 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। किन्तु फिर भी इतनी बिजली हमारे लिये पर्याप्त नहीं है। इस समय प्रति व्यक्ति 90 यूनिट बिजली उपलब्ध है जो अगले तीन वर्षों में बढ़कर 130 यूनिट हो जाएगी। फिर भी यह मात्रा बहुत कम है। विश्व में बिजली की औसत प्रति व्यक्ति खपत 1200 यूनिट है जबकि हमारे यहां केवल 90 यूनिट। विद्युत उत्पादन के लिए सरकार ने दशाब्दि योजना बनाई है जिसके अनुसार 1981 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धि 250 यूनिट हो जायेगी। उसी के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिये योजनाएं बनाई गई हैं तथा आशा की जाती है इस योजना की क्रियान्विति के लिये पर्याप्त वित्त उपलब्ध होगा। यदि ऐसा नहीं होसका तो देश अविकसित ही रहेगा क्योंकि बिजली के बिना कोई परियोजना नहीं चल सकती।

भूतापीय और सामुद्रिक ज्वार भाटे के द्वारा भी बिजली प्राप्त की जाती है। भूतापीय साधनों के बारे में परीक्षण 1958 से किये गये थे और इसके अतिरिक्त देश में 250 गरम स्रोत भी हैं। हमने इस बारे में विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श किया था। हिमाचल प्रदेश स्थित मानेकरण में खोज कार्य के पश्चात् कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

ज्वार भाटा से विद्युत बनाने के साधन हमारे देश में पर्याप्त नहीं हैं। भावनगर तट के अतिरिक्त जहां ज्वार और भाटे में 31 फीट का अन्तर है, अन्य किसी स्थान पर इस शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता।

जहां तक विद्युत योजनाओं की क्रियान्विति में देरी होने का प्रश्न है, सरकार ने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के सदस्यों से प्रत्येक योजना की और ध्यान देने के लिये कहा है। खेद है कि कुछ विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को छोड़ कर शेष संबंधित राज्यों के हाथों में हैं। अब इस समस्या के बारे में गम्भीरता से विचार करना आवश्यक हो गया है। यह प्रयत्न भी किया जा रहा है कि अब 5 मैगावाट के बजाये 200 मैगावाट की क्षमता वाली मशीनें लगाई जायें।

जलढ़ाका परियोजना के बारे में श्री मोदक ने हमें दोषी ठहराया है। वास्तव में यह 9 मैगावाट की क्षमता वाली परियोजना है तथा इसमें दो मशीनें हैं। मैं सदन को प्रसन्नतापूर्वक सूचित करता हूं कि विद्युत और सिंचाई के बारे में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग एक या दो पुनरीक्षण के अतिरिक्त किसी कार्य के लिये विदेशी सलाहकारों की सहायता नहीं ले रहा है। उस परियोजना में ऐसा कोई दोष नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। वास्तव में वह परियोजना राज्य सरकार ने उस क्षेत्र में बिजली की कमी को समाप्त करने के लिये आरम्भ की थी। इस की क्रियान्विति में केन्द्र का कोई दोष नहीं है।

विदेशों में 40 लाख किलो वाट की क्षमता वाले बिजली केन्द्र हैं। हमें भी वही स्थिति देश में लानी है तथा अब 5 लाख किलोवाट से कम क्षमता वाले केन्द्र नहीं बनाये जायेंगे तथा मशीनों की क्षमता भी 200 मैगावाट रखनी होगी।

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना की गई है। मेरा सुझाव है कि इस प्राधिकरण को और अधिक शक्ति सम्पन्न बनाया जाये। मैं चाहता हूं

कि सम्पूर्ण देश में बिजली उत्पादन का कार्य केन्द्र के हाथ में दिया जाना चाहिये। सम्पूर्ण देश के लिये बिजली उत्पादन करने के लिये केवल एक एजेंसी होनी चाहिये जिसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हों। हम इस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये भी पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं। तीन वर्ष पहले देश में $10\frac{1}{2}$ लाख पम्पिग सेट थे और अब इन की संख्या $16\frac{1}{2}$ लाख हो गई है। इस कार्य के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है जो क्षेत्रों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर भिन्न दरों पर वित्तीय सहायता देता है। हाल ही में उड़ीसा के एक बिजली प्राप्त गांव में बैठक हुई थी जिसमें चौथी योजना में 2400 पम्पिग सेटों के स्थान पर 35,000 पम्पिग सेटों की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। यह भी प्रयत्न किया जायेगा कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण किया जा सके। बंगाल, बिहार आदि 9 राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कम हुआ है। उनका पूरा ध्यान रखा जायेगा। अभी तक प्राप्त सभी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और निगम की सहायता से इनको वित्तीय सहायता देने का प्रयत्न किया जा रहा है। ट्रांसमीशन लाइनों के सम्बन्ध में भी राज्यों से अनुमान भेजने के लिये कहा गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिये संसाधन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य बिजली बोर्डों को यह प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि यदि वे स्थानीय जनता से एक करोड़ रुपये का ऋण इकट्ठा करते हैं तो उनको उतनी ही राशि कम ब्याज पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दी जायेगी।

यह दुःख का विषय है कि गंगा से मनसी पर भूमि कटाव हो रहा है जिसे रोकना बहुत आवश्यक है क्योंकि उससे रेलवे लाइनों, सड़कों और बड़े नगर को खतरा उत्पन्न हो गया है। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इस कार्य पर तीनों पार्टियों को मिलकर खर्च करना चाहिये। मैं रेलवे मंत्रालय से इस बारे में बात चीत करूंगा।

जहां तक गंगा और घाघरा नदी से उत्पन्न भूमि कटाव की समस्या का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है। किन्तु सबसे बड़ी समस्या धन की है। यदि माननीय सदस्य मिलकर कुछ धन की व्यवस्था कर सकें तो इन नये मन्दिरों का निर्माण उसी प्रकार हो सकता है जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Ministry of Irrigation and Power were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
60	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	30,76,000
61	बहु-प्रयोजनी नदी योजनाएं	2,24,81,000
62	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,61,78,000
130	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	6,85,76,000
131	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	13,83,79,000

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 124 का संशोधन)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

Shri Atal Bihari Vajpayee : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION AMENDMENT BILL
(अनुच्छेद 124 का संशोधन)

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेथक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री पी० के० देव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(नए अनुच्छेद 24क और 24ख का सान्निवेश)

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : Sir, I beg to move :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

Dr. Laxminarain Pandey : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—Contd.
(नये अनुच्छेद 23क और 23ख का सन्निवेश)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय ! महाराजा कर्णी सिंह के संशोधन निहित उद्देश्य के प्रति मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु कठिनाई यह है कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा पर ही सारा धन व्यय नहीं कर सकती उसे अन्य बहुत से कार्यों के लिये भी धन चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव बहुत उपयुक्त है कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को कम से कम एक अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित करना चाहिये । इस तरीके से बिना किसी अतिरिक्त व्यय के दो वर्षों में सारी जनता शिक्षित हो सकती । वस्तु स्थिति यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करके बहुत से बच्चे घर बैठ जाते हैं और कुछ समय के पश्चात वे फिर अशिक्षित जैसे ही हो जाते हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों की शिक्षा जारी रखी जाये तथा सभी बच्चों में अध्ययन में रुचि पैदा की जाये और उनके लिये पुस्तकालय स्थापित किये जायें ।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।**
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

शिक्षित व्यक्ति भी उच्च पद पाकर अपने भाइयों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि डा० कर्णी सिंह एक अन्य विधेयक लायें जिसमें इन व्यक्तियों को भी सुसंस्कृत बनाने की व्यवस्था हो ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : महोदय ! सदन को डा० कर्णी सिंह का बहुत आभारी होना चाहिये जिन्होंने इस विधेयक के माध्यम से सदन का ध्यान बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक प्रारम्भिक शिक्षा दिये जाने की ओर दिलाया है । संविधान के निदेशक तत्वों में इसकी व्यवस्था है । किन्तु इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि इस विधेयक को पारित कर भी दिया जाये तो इसे क्रियान्वित कैसे किया जाय । निदेशक तत्वों की क्रियान्विति न होने पर न्यायालय में कोई किसी के

विरुद्ध मुकदमा तो दर्ज नहीं कर सकता और न ही न्यायालय इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी कर सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि जनता चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल का विरोध कर सकती है क्योंकि उसने निदेशक तत्वों का पालन नहीं किया।

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुये
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

इस बात को ध्यान में रखते हुए डा० कर्णी सिंह से मेरा अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की ओर दिला दिया गया है। इस व्यवस्था के लिये जनता सदन से बाहर आन्दोलन कर सकती है।

श्री के० गोपाल (करूर) : महोदय ! मैं प्रस्तावक महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यह कहना सच नहीं है कि देश में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जा रही है। जम्मू और काश्मीर तथा नागालैंड में सभी शिक्षा निःशुल्क है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और मैसूर में माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा महाराष्ट्र में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में सातवीं कक्षा तक लड़कियों को तथा पांचवी कक्षा तक लड़कों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आसाम में आठवीं कक्षा तक लड़के, लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बच्चे को सारी शिक्षा मुफ्त दी जाती है।

अनिवार्य शिक्षा के लिये प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयों के साथ साथ कुछ सामाजिक कठिनाइयाँ भी हैं। हमें गांवों में काफी सामाजिक सुधार करने पड़ेंगे तभी हमारी बालिकायें स्कूलों में जा पायेंगी। गांवों में आप बच्चों को स्कूल जाने के लिये बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि उनके मां-बाप कहेंगे कि उनके पशुओं को चराने कौन ले जायेगा। यह सब बातें आर्थिक ढांचे से सम्बद्ध हैं। यह व्यवहारिक समस्याएं हैं।

लागत के बारे में उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ रुपये का अननुवर्ती व्यय है। मैं नहीं जानता उन्होंने यह आंकड़े किस प्रकार निकाले हैं। यह सच है कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में हमने बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में काफी प्रगति की है।

शिक्षा आयोग ने भी यह कहा था कि अनिवार्य शिक्षा योजना को 1955-56 में ही लागू किया जा सकता है। जब खरे समिति ने सिफारिश की थी, तब उन्होंने लागत और जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा था जोकि एक गलती थी।

वृद्धावस्था पेंशन के बारे में समाज कल्याण विभाग कुछ समय पूर्व 10 वर्ष के ऊपर वे 10 प्रतिशत लोगों को तथा विकलांग लोगों में से 10 प्रतिशत को 20 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता देना चाहता था, इस पर कुल लागत 39 करोड़ रुपये आती थी। यह 1961 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर, यह लागत 88 करोड़ रुपये आयेगी।

बंगलादेश में घट रही घटनाओं के कारण भारत को आर्थिक संकट का सामना है। इन बातों को देखते हुए मैं डा० कर्णी सिंह से निवेदन करूंगा कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : विधेयक के प्रस्ताविक अनुच्छेद 23बी की उचित परिभाषा न होने के कारण मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता और मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इसको अस्वीकार कर दे। अनुच्छेद 23बी में यह कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीवन बिताने का कोई सहारा नहीं है, वित्तीय सहायता पाने का अधिकारी है। इसी प्रकार निरन्तर बीमार रहने वाले तथा अपंगु व्यक्ति भी वित्तीय सहायता पाने को अधिकारी होंगे। प्रश्न यह है कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति की आयु कितनी है। दूसरे, यदि इस अवस्था में भी कोई व्यक्ति काम करने योग्य है तो क्या तब भी उसको वित्तीय सहायता देना सरकार का कर्तव्य होगा। इस बारे में भी विधेयक में स्पष्ट रूप से भी बताया गया है कि निरन्तर बीमारी का सुनिश्चय किस प्रकार किया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति को निरन्तर पेट का रोग हो परन्तु वह काम कर सकता हो तो क्या वह सरकार से वित्तीय सहायता पाने के लिए पात्र होगा।

इस विधेयक में स्थायी रूप से अपंगु अथवा विकलांग की भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है।

एक बात यह भी है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 59 वर्ष की आयु में अपनी सम्पत्ति अपने लड़कों को दे देता है और फिर वृद्धास्वस्था पेंशन भोगता है तो इस हालत में सरकार को क्या करना होगा; ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए भी विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है।

14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क होनी चाहिए। प्रश्न केवल इतना है कि क्या इस समय सरकार इस पर आने वाले व्यय को वहन कर सकती है अथवा नहीं। मेरे विचार में इससे सरकारी साधनों पर बहुत बोझ पड़ेगा। अतः कम से कम इस समय इसको शायद स्थगित करना पड़े।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri R. V. Bade (Khargaon) : I congratulate Dr. Karni Singh for introducing this Bill. I suppnrt this Bill because it is written in the Directive Principles that it is the duty of the State to provide for free and compulsory education for all children up to the age of 14 years.

In this connection, I would like to say that Madhya Pradesh Government is not paying adequate attention to education of children. I know in the Adivasi areas, if there are schools in villages there are no teachers and in some cases there are no buildings. But in the missionary schools every thing is provided and the children are getting education very well.

In view of the Fundamensal Rights, Government should be impressed upon to open schools in each and every village and education should be made compulsory. I hope if this is done, the children of Adivasis will come forward for receiving education.

The Adivasis are not deriving any benefit from the Acts enacted for their well-being because these people are uneducated. I would, therefore, say that compulsory education will benefit these people. Old age pension will also help the poor.

With these words, I support the Bill and request the House to pass it.

श्रीमती लक्ष्मीकान्त झा (खम्मम) : मैं यह विधेयक लाने के लिये डा० कर्ण सिंह को बधाई देती हूं। डा० कर्ण सिंह तथा उनके परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। यही

कारण है कि वह अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। मेरे विचार में सरकार को संविधान (संशोधन) विधेयक को स्वीकार करने में कोई अपत्ति नहीं होनी चाहिये। निर्देशक सिद्धांतों में भी अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख दिया गया है। मेरे विचार में कुछ राज्यों ने इस बारे में कानून बनाये भी हैं। अपने दौरे के दौरान मैंने अनेक गांवों में जाकर पता किया तो मालूम पड़ा कि 10 वर्ष से ऊपर की लड़कियां प्रायः स्कूल नहीं जाती हैं। इस बारे में मां-बाप की अपनी कठिनाइयां हैं। गत अनेक वर्षों में पर्याप्त प्रयास किये जाने के बावजूद भी स्कूल जाने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। हमारे राज्य में लड़के तथा लड़कियों के लिये प्राइमरी तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। अधिक धन इमारतों के निर्माण पर व्यय किया जाता है। प्राइमरी तक हम इनके बिना भी काम चला सकते हैं।

पूंजीवादी देशों में भी किसी न किसी रूप में वृद्धावस्था पेंशन तथा बेरोजगारी बीमा आदि की व्यवस्था है। समाजवादी देशों को तो ऐसा उपाय ही करना चाहिए। मेरे विचार से कुछ स्थानों में ऐसा किया भी जा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि कोई भी उचित ढंग निकाला जाना चाहिये जिससे इन व्यक्तियों को रोजगार तथा वृद्धावस्था पेंशन मिल सके।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं माननीय सदस्य को यह विधेयक प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस विधेयक के द्वारा सभा तथा देश का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाया है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा तथा वृद्धावस्था पेंशन का विषय महत्वपूर्ण है और इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। इस विधेयक को प्रस्तुत करके माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद को मूल अधिकारों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार है। अतः मुझे आशा है कि जब संसद में निर्देशक सिद्धान्तों में संशोधन का कोई विधेयक लाया जायेगा तो माननीय सदस्य उसका समर्थन करेंगे 'गरीबी हटाओ' नारे को कार्य रूप देने के लिये सभी ओर, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में गम्भीर रूप से प्रयास किये जायेंगे।

प्रस्तावित विधेयक में वित्तीय तथा व्यवहारिक रूप से अनेक त्रुटियां हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस विधेयक का क्रियान्विति से कुल 10 करोड़ रुपये का व्यय बैठेगा। मेरे विचार में उनका यह अनुमान बहुत कम है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में लगभग 7.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। उनमें से केवल एक तिहाई के लिये ही उचित इमारतों की व्यवस्था है। यदि निःशुल्क शिक्षा चालू कर दी जाये तो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 12 करोड़ तक पहुंच जायेगी। इन बच्चों के लिये इमारतें बनाने के लिये 950 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसमें उपकरणों आदि पर होने वाले व्यय को सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाये तो इस पर लगभग 1100 करोड़ रुपये व्यय होंगे। माननीय सदस्य ने इस पहल पर ध्यान नहीं दिया है।

अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, जब तक आर्थिक स्थिति में पर्याप्त रूप में परिवर्तन नहीं होता, तब तक केवल स्कूलों और इमारतों की व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों में जहां गरीब लोग रहते हैं, हमें छात्रों को मुफ्त पुस्तकें, कपड़े तथा खाना आदि भी देना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ने के लिये दूर-दूर के स्थानों से आना पड़ता है।

अतः उनके लिये कपड़ों तथा खाने आदि की व्यवस्था करना भी आवश्यक है परन्तु ऐसी बात नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस क्षेत्र में कुछ प्रगति नहीं की गयी है। परन्तु यह खेद की बात है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है। गांवों में अभी भी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। अतः अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने के लिये हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी और बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। लोगों की वर्तमान शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति को देखते हुए लड़कियों को छः वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक स्कूल में रखना कठिन है। इसके लिये उनके मां-बाप को सहमत करना आसान नहीं है। हमें इस समस्या के सामाजिक पहलू पर ध्यान देना है और उसे हल करना है। लोगों को इस बात के लिये तैयार करना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये तत्पर हों। यदि सभी बच्चों को ध्यान में रखा जाये तो इसकी क्रियान्विति पर कम से कम 972 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा। अतः आज कल सभी प्रकार की शिक्षा पर किये जा रहे 950 करोड़ रुपये के व्यय से भी यह राशि अधिक है।

जहांतक वृद्धावस्था पेंशन का सम्बन्ध है यदि जनसंख्या के 10 प्रतिशत लोगों को भी पेंशन दी जाये तो 85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा। और यदि ऐसे सभी व्यक्तियों को पेंशन दी जाये तो हमें 850 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अतः इस प्रस्ताव की क्रियान्विति में वित्त की सबसे बड़ी कठिनाई है।

जैसा मैंने पहले कहा यह एक सामाजिक समस्या भी है। लोग अपनी लड़कियों को स्कूलों में भेजने के अनिच्छुक हैं। स्कूल दूरस्थ स्थानों पर है। कुछ लोग अपने लड़कों को भी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते क्योंकि वे उनको कृषि के काम में लगाते हैं। अतः हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना है।

1947 में 6 से 11 वर्ष के तीन लड़कों में से एक लड़का स्कूल जाता था। आज स्थिति यह है कि इस ग्रुप के पांच में से चार बच्चे स्कूल जाते हैं। इसी प्रकार 1947 में 11-14 वर्ष की आयु के 9 में केवल एक बच्चा ही स्कूल जाता था जबकि अब तीन में से एक बच्चा स्कूल जाता है। 1951 में प्राइमरी स्कूलों में कुल 212 लाख बच्चे थे जबकि आज इनकी संख्या 748 लाख है। अतः यह कहना गलत है कि इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया है।

1950 में प्राइमरी शिक्षा पर केवल 44 करोड़ रुपये व्यय किये जाते थे जबकि अब 380 करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं। 1949-50 में राजस्थान में 2,43,000 बच्चे प्राइमरी स्कूलों में जाते थे। अब यह संख्या 26 लाख है। परन्तु मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर दिया गया है। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि हमें तस्वीर का वास्तविक रूप देखना चाहिए। गत 23 अथवा 24 वर्षों में अनेक कठिनाइयों के बावजूद इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की गई है, जम्मू तथा कश्मीर और नागालैंड राज्यों में सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क है। तमिलनाडु में स्कूल की शिक्षा निःशुल्क है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और मैसूर में सेकेन्डरी स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है। महाराष्ट्र में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क है और जिन बच्चों के मां-बाप की आय 1200 रुपये प्रति वर्ष से कम है उनके लिये सभी स्तर पर शिक्षा निःशुल्क है। राजस्थान में लड़कियों की सारी शिक्षा निःशुल्क है और लड़कों के लिये प्राइमरी तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में प्राइमरी तक शिक्षा निःशुल्क है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिये दसवीं तक और लड़कों के लिये छठी तक शिक्षा निःशुल्क है। बिहार में लड़कियों के लिये सातवीं कक्षा तक तथा लड़कों

के लिए पांचवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है । पश्चिम बंगाल में गांवों में लड़कियों के लिये आठवीं तक तथा कुछ नगरीय क्षेत्रों में लड़कों के लिये पांचवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है । कलकत्ता तथा अन्य नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा अभी तक निःशुल्क नहीं दी जाती है । उड़ीसा में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क है । आसाम में लड़कियों के लिये आठवीं तक के लिये और लड़कों के लिये पांचवीं तक के लिये शिक्षा निःशुल्क है । सिर्फ अन्य क्षेत्र दिल्ली में प्राइमरी तक शिक्षा निःशुल्क है । अन्य सभी राज्य क्षेत्रों में भी प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क है ।

जिन राज्यों में शिक्षा अभी तक निःशुल्क नहीं है, सरकार उनको वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ताकि वह अपनी कठिनाइयों को काबू कर सकें । ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

यह सुझाव दिया गया है कि प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में समूचे देश के लिये एक योजना होनी चाहिये । वास्तव में इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में बल्कि राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में भी परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं, अतः समूचे देश के लिये एक योजना बनाना सम्भव नहीं है । अतः हम एक अध्ययन ग्रुप की नियुक्ति पर गम्भीर रूप से विचार कर रहे हैं ताकि व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निदेशक सिद्धान्तों को कार्यरूप दिया जा सके ।

सभी सदस्यों ने विधेयक में निहित सिद्धान्त का समर्थन किया है परन्तु कुछ सदस्यों ने यह कह कर कि इस प्रकार निदेशक सिद्धान्तों का कार्यरूप नहीं दिया जा सकता, वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया है । मेरे विचार में सारी स्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया है, परन्तु पर्याप्त नहीं हुआ है और काफी कार्य करना शेष है । इस ओर ठोस कार्यवाही करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । सरकार निदेशक सिद्धान्तों को व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने के लिये उत्सुक है ।

डा० कर्णी सिंह : मैं इस सदन के सभी पक्षों के सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने मेरे विधेयक का उदारतापूर्वक समर्थन किया है । यह कहना असंगत न होगा कि प्रतिष्ठित सदस्यों एवं माननीय मंत्री महोदय के भाषण सुनने के पश्चात् मैं यह महसूस करता हूं कि मैंने स्वयं भी ज्ञान वृद्धि की है । तथापि, मेरा यह निश्चित विचार है कि वर्ष 1971 में जबकि कुछ देश चन्द्रमा तक पहुंच चुके हैं, यह कहना मात्र भी हमारी प्रतिष्ठा और परम्परा के प्रतिकूल है कि आज भी अधिकांश भारतीय जनता अशिक्षित है, इसका कारण चाहे जनसंख्या की अधिकता ही क्यों न हो । हमारे माथे पर यह एक कलंक है । इसी कारण मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । चूंकि सदन के सभी पक्षों के सदस्यों ने विधेयक की उपादेयता अनुभव की है, इसलिए मेरे मुख्य लक्ष्य की पूर्ति हो गई है । मेरा मूल उद्देश्य केवल भारत की सर्वोच्च संसद का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना मात्र था जिसको हम सब को मिलकर हल करना है ।

मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की उपलब्धियों को कभी भी कम बताने की मेरी भावना नहीं रही है । मेरा यह उद्देश्य नहीं है । मैं एक निर्दलीय सदस्य हूं और मैं यह महसूस करता हूं कि संसद सदस्य का, विशेष रूप से जो किसी भी दलगत बन्धनों से मुक्त है, कर्तव्य है कि वह समस्याओं को निरपेक्ष भावना से देखे । मंत्री महोदय से मैं यह अनुरोध करूंगा कि कोई तिथि निश्चित की जाए जब वे राष्ट्र को बतायें कि वह कब तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध कर सकेंगे । आप लार्ड माउंटबेटन की भाँति कार्य करें जिसने भारत को स्वतन्त्रता

प्रदान करने की तिथि निश्चित कर दी थी । हमें तिथि निश्चित करनी चाहिये और उसके लिये प्रयास करना चाहिये जिससे कि उस तिथि तक 14 वर्ष की आयु तक के भारत का प्रत्येक नागरिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके ।

जहां तक वृद्धावस्था इंशोरेन्स और निर्बलों को सहायता देने का संबंध है; मैं यह कहने की आवश्यकता नहीं समझता कि हम में से अधिकतर मध्य आयु के हैं और शीघ्र ही वृद्ध होंगे और देश में करों के बढ़ते हुए भार को देखते हुए कहा जा सकता है कि धनवान से धनवान व्यक्ति को भी बूट पालिश करने वाला बनना पड़ सकता है । ऐसी परिस्थितियों प्रत्येक का विचार का विषय बन जाती हैं । मैं नम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि इस विधेयक को पेश करने से पूर्व मैंने एक नागरिक के रूप में अपने ढंग से इस दिशा में प्रयास किये थे ।

1952 से संसद में चुने जाने के पहले दिन से लेकर 19 वर्ष तक हवाई यात्रा बिलों सहित मुझे जो भी धन यहाँ से प्राप्त हुआ है मैंने छात्रवृत्तियों के लिये दे दिया है । इस बात को मैं गौरवपूर्वक कह सकता हूं कि 1952 के बाद से यहां से प्राप्त होने वाली आय से छात्रवृत्तियों के द्वारा 100 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं । एक नागरिक के रूप में यह मेरा कर्तव्य था ।

श्री आर० एस० पांडे (राजनन्द गांव) : अपने प्रिवीपर्स से कुछ नहीं दिया ?

डा० कर्णी सिंह : जिस समय मान्यता समाप्त की गई तो प्रिवी पर्स की 6 महीने की राशि रुक गई थी । मेरे मामले में यह राशि 5 लाख रुपये थी । जिस दिन मुझे यह धन राशि प्राप्त हुई मैंने एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना करके यह सारी राशि निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु उस ट्रस्ट को दे दी । इस न्यास से निर्धन विद्यार्थियों को सहायता मिलती है । मुझ आशा है कि 500 से 1000 तक विद्यार्थियों को इस से सीधी छात्रवृतियां प्राप्त होंगी । वृद्ध-व्यक्तियों, निर्बलों, एवं नेत्रहीनों, उन पथ-भ्रष्ट स्त्रियों जिनको फिर से बसाया जा सकता है तथा निर्धन लोगों की पुत्रियों के विवाह के अवसरों पर यह ट्रस्ट सहायता प्रदान करेगा । अपनी ओर से हम जो प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं । मैं यह सब अपनी बड़ाई के लिये भी नहीं कह रहा । यह तो नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य था ।

यह सब करने के पश्चात् मैंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है । इसके उद्देश्य वही है जिनका पालन करने का मैंने नागरिक के रूप में प्रयत्न किया है । माननीय सदस्यों ने जो समर्थन दिया है उसके प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूं । इस से मुझे प्रोत्साहन मिला है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय अगले छह महीनों का एक वर्ष में इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करें ।

इससे परिवार नियोजन का भी प्रयत्क्ष संबंध है । यद्यपि मेरी आयु केवल 47 वर्ष है । अवधि की दृष्टि से मैं इस सदन के पुराने सदस्यों में से एक हूं । मैं यह कह सकता हूं कि जनसंख्या के प्रश्न पर एक बार मेरा उस महान व्यक्ति, श्री जवाहरलाल नेहरू, जिनमें मेरी परम श्रद्धा थी, के साथ भी मेरा तीखा वाद-विवाद हो गया था उस समय मैं युवक था और मैंने उस महान व्यक्ति से कहा "आप यहां पर नहीं होंगे पर जब भारत की जनसंख्या 100 करोड़ होगी तो मेरी पीढ़ी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा" । इस में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे सदन न जानता हो । जन-संख्या के विषय पर कई बार चर्चा हुई है परन्तु अनमने रूप से । सौभाग्य से आज, उससे दस वर्ष पश्चात, आप सहित अनेक सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुये कहा है कि जहां

तक हमारी योजनाओं की विशेषतया साक्षरता के बारे, में संबंध है बढ़ती हुई जनसंख्या ने उन को जनगण्य बना दिया है। अतः स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के अधिक संख्या में होने के बावजूद आधार बढ़ गया है क्योंकि जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक 21 वर्ष से कम आयु का है और इसके परिणाम स्वस्थ शायद अशिक्षित लोगों की संख्या आज पहले से अधिक है। यह तो समझा जा सकता है, परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम इस स्थिति को स्वीकार करते हैं या उससे जूझने को तैयार हैं ? मैं तो चाहता हूं कि हम उस स्थिति से जूझें। यह देखना हमारा कर्तव्य है कि जब हम घर वापस जाएं और इस संसद से निवृत हों तो कोई भी हमारी ओर उंगली उठाकर यह न कह सके कि ये व्यक्ति संसद में बैठे रहे और उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धांतों पर गम्भीरता से विचार किया जाए। मुझे यह प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने इस संबंध में संकेत किया है। यद्यपि वह स्पष्ट नहीं है, कि इस चर्चा के कुछ परिणाम निकलेंगे। जितना जल्द ऐसा हो, उतना ही अच्छा होगा।

माननीय सदस्यों के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। राजस्थान के सदस्य श्री डागा ने कहा कि गांवों में स्कूल बनाने के लिये राज्य सरकार ने कोई धन नहीं लिया। दो सप्ताह पूर्व जब उन्होंने यह बात कही तो मैंने राजस्थान में कुछ जांच पड़ताल की और मैंने पाया कि जो कुछ मैंने कहा था वह सत्य था। बहुत स्थानों पर जब स्कूल बनाये जाते हैं तो गांव के लोगों को 30, 40 या 50 प्रतिशत अथवा कुछ न कुछ तुलनीय अंशदान देने को कहा जाता है। माननीय मंत्री से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान के लिये इस गतिशील भारत में जिसे हम समाजवादी भारत बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं, स्कूल बनाने में लिए गांवों के लोगों से तुलनीय अंशदान देने को न कहा जाये। मैं यह समझ सकता हूं कि अनुच्छेद 14 के अधीन आप का अगला कदम होगा अनिवार्य शिक्षा। स्कूलों का निर्माण राष्ट्र को करना चाहिये। आप पहले ही बहुत अधिक कर ले रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि साधन जुटाये जा सकते हैं। केवल दस मिनट की सूचना पर श्री चह्वाण आप को इतना धन दे सकते हैं जो उन सभी स्कूलों के लिये काफी होगा जो गांवों में और विशेष रूप से मरुस्थलों में, आप बनाना चाहें। हमें यह शपथ लेनी चाहिये कि हम स्कूल बनाने के लिये उन लोगों से कुछ भी नहीं लेंगे जिनके पास खाने के लिये कुछ नहीं और जिनके बच्चे बिना वस्त्रों के रहते हैं। उन लोगों के लिये स्कूलों का प्रबन्ध करना सरकार का कर्तव्य है अन्यथा अपने राज्य के कल्याणकारी कहने का हमें कोई अधिकार नहीं।

श्री डागा यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में मेरा कुछ निहित उद्देश्य है। शायद जो निहित उद्देश्य उनके विचार में आया वह यह था कि हम चाहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस की हार हो। यह तो एक तर्कयुक्त उद्देश्य है। जनतंत्र में विरोधी दल शासक दल को और शासक दल विरोधी दल को हराने का प्रयत्न करते हैं। इस में मैं कोई हानि-नहीं समझता। परन्तु चुनाओं के दौरान की कटुताएं यहां संसद में नहीं लाई जानी चाहिये। हम सब सहयोगी हैं। कम से कम मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं। पिछले 20 वर्षों से मैं इस सदन में हूं और मुझे इस सदन में बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बात का मुझे गर्व है। पंथ के रूप में साम्यवाद का मैं विरोधी हूं। मैं जनतंत्र में विश्वास करता हूं। तब भी कुछेक साम्यवादी सदस्य मेरे अच्छे मित्र हैं। हमें एक दूसरे के उद्देश्यों के प्रति शंका नहीं होनी चाहिये। यदि इस पवित्र सदन के सदस्यों ने ही एक दूसरे के उद्देश्यों के प्रति शंका रखनी प्रारंभ कर दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें परस्पर विश्वास तथा श्रद्धा होनी चाहिये। हम अलग-अलग दलों के नाम पर चुने

गये हो सकते हैं परंतु हमारा लक्ष्य एक ही है। देश को महान बनाना, इस देश से गरीबी हटाना। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहता कि इस सदन में दूसरे के उद्देश्यों के प्रति शंका रखना कहां तक ठीक है और जनतंत्र को उचित परम्पराओं के अनुरूप है। "देशी राज्यों" के काल में जो कुछ हुआ उसका भी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। इस पवित्र सदन से मैं एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के लागू होने के पश्चात् पहलो संसद के लिये मैं भारत की जनता द्वारा चुना गया था। भूतपूर्व देशी राज्यों के लोगों का मैं प्रतिनिधित्व नहीं करता। अन्य शब्दों में लोक-सभा के लिये मैं भी उसी प्रकार मेरा चुना गया था जिस प्रकार से कोई अन्य सदस्य, मैं नहीं समझता कि हमारे लिये यह अच्छा है कि जब कभी किसी भी विषय पर बोलने के लिये मैं मुंह खोलूं उसी समय कोई सदस्य खड़ा होकर कहे कि अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति के पुत्र हैं और इस कारण उनके मुख पर कलंक लगा है। ऐसी बात नहीं कि मैं पर्वाहकरता हूं। आप ऐसा कह सकते हैं। परन्तुक्या आप हमें हमारी उपाधियों को,जो कि ऐतिहासिक सत्य है,स्मरण करवाते रहेंगे? यदि मैं यह कहूं कि मेरे पिता महाराजा नहीं थे,तो यह गलत होगा। उस पर आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं। यदि मैं यह कहूं कि वह महाराजा थे, कि उत्तराधिकार में मुझे 'बोगस' उपाधि मिली। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। यह भी शायद ऐतिहासिक सत्य है कि अगले पांच दिनों में यह भी लुप्त हो जायेगा। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। किसी सदस्य द्वारा खड़े होकर हर बार 'महाराजा' कहने का क्या उद्देश्य है? कृपया हमें हमारी उपाधियों से न जानें। आप मेरा नाम जानते हैं। आप बोस वर्ष से इसे सुन रहें हैं। क्या हम नागरिक नहीं हो सकते? क्या हम भाई और सहयोगी नहीं हो सकते? यदि ऐसा ही चलता रहे तो क्या मैं नहीं खड़ा हो सकता और प्रधान मंत्री को कह सकता—मैंने पहले ऐसा कभी भो नहीं किया और न हीं मैं ऐसा करूंगा कि वह जो एक नम्बर की सीट पर बैठी हैं वह केवल इस कारण कि वह प्रधानमंत्री को पुत्री हैं? हम भी ऐसा कर सकते हैं। परंतु यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं और यहाँ पर माननीय सदस्यों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि प्रिवीपर्स विधेयक के साथ जैसा आप चाहे करें। मेरा उस बात से कोई संबंध नहीं है। यह सदन अपने विवेक के अनुसार जैसा उचित समझें करें। परन्तु यह विधेयक तो शिक्षा के संबंध में हैं; वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में है। इसका मेरी पैतृकता से कोई संबंध नहीं है। अपनी पैतृकता पर मुझे गर्व है क्योंकि यदि मेरे माता-पिता उस प्रकार न होते जिस प्रकार के वे थे तो मैं लोक-सभा के लिए पांच बार न चुना जाता। अतः आप के प्रमाण के लिए यह काफी है कि उस महान वृद्ध व्यक्ति ने कम से कम कुछ अच्छा काम किया था। मैंने तो एक भी दिन के लिए शासन नहीं किया है। मैं तो शासन करना जानता भी नहीं। 20 वर्ष विरोधी पक्ष में बैठ कर जब भी मैंने समझा कि समीक्षा करना आवश्यक है मैंने केवल सरकार के कार्यों की समीक्षा ही की है। अतः इस बारे में अधिक नहीं कहूंगा। मुझे विश्वास है कि मैंने बहुत कुछ कह दिया है।

परन्तु एक बात का मैं बहुत ही संक्षेप में उल्लेख करूंगा। हर बार पुराने देसी राज्यों के समय का उल्लेख किया जाता है। भूतपूर्व महाराजाओं का मैं वकील नहीं हूं। परन्तु क्या बीकानेर के बारे में, जिस जगह के साथ मेरा संबंध है, मैं कुछ कहूं क्योंकि कि जब मैं कालेज का विद्यार्थी था उस समय युवक के रूप में मैंने सब कुछ स्वयं देखा था। जिस समय राज्यों का एकीकरण हुआ उस समय साढ़े चार करोड़ रुपये की नकद धनराशि मेरे पिता ने राज्य को दी और यह धन ऐसे क्षेत्र से प्राप्त किया गया था जो कि नितांत मरुस्थल है। राज्य में 1000 मील रेल लाइनें बिछाई गई थीं। उसके लिये कोई केन्द्रीय सहायता नहीं थी और न ही पंचवर्षीय योजनाओं की धनराशि थी। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् से उस क्षेत्र में कितने मील लाइनें बिछाई गई है? केवल तीन मील 1 नहर गंग जिससे 1000 वर्ग मील भूमि की सिंचाई होती थी, महाराज गंगासिंह द्वारा बनवाई गई थी। उसके

लिए किसी प्रकार की केन्द्रीय अथवा विदेशी सहायता नहीं थी। यह उनके परिश्रम का परिणाम था। उन्होंने रिश्वतखोरी पर नियन्त्रण रखने का प्रयास किया। उपलब्ध होने वाले धन का समुचित उपयोग करने का उन्होंने प्रयास किया।

एक माननीय सदस्य : विधेयक के साथ इस सब का कोई संबंध नहीं है।

डा० कर्णी सिंह : मैं जानता हूं। मैं आप के दल के उन लोगों को उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं जिन्होंने इस प्रकार की बातें उठायीं। 1912 में हमने उच्च न्यायालय की स्थापना की 1912 में प्रिवी पर्स को राज्य से अलग कर दिया गया था। मेरे विचार में 1913 में हमने विधान सभा की स्थापना की। खड़े होकर किसी व्यक्ति द्वारा यह कह देना कि—'देखो उस समय क्या हुआ' बहुत आसान है। मैं आप से पूछता हूं कि क्या युद्ध पूर्व भारत और स्वतन्त्रता पश्चात के भारत में कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं। मनुष्य तो चन्द्रमा तक पहुंच गया है। परन्तु यदि आज कोई सड़क बनाई जानी होती है, कुछ बड़ा काम किया जाना होता है तो राज्य केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध करते हैं और सहायता दे दी जाती है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा। यदि यह करोड़ों रुपये उन कुछेक महान निर्माताओं को दे दिये गये हो तो क्या कुछ कर दिया गया होता? इस सदन में श्री जवाहर लाल नेहरू के मंत्रियों के रूप में बैठे महान निर्माता भी इस बात को सोचें कि वह कैसा भारत होगा? परन्तु श्री डागा राजस्थान से सदस्य हैं और इस-लिये मैंने थोड़े ब्यौरे में यह सब बताया है।

प्रोफेसर भंडारे से मुझे यह कहना है कि आपने इस मेरे विधेयक के हेतुओं की सराहना की है और मैं आप का आभारी हूं। आपने उल्लेख किया कि मुकदमेबाजी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी—
(अन्तर्बाधा)

एक माननीय सदस्य : वे तो प्रोफेसर हैं।

डा० कर्णी सिंह : मैं इनका बहुत आदर करता हूं। उन्होंने कहा कि क्योंकि इसे वादयोग्य बनाया जा रहा है, अतः कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी। परन्तु ऐसा मैं नासमझी में कह रहा हूं, गम्भीरता से नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। परन्तु जिस प्रकार की मतबद्ध न्यायपालिका की हम आशा कर रहे हैं उसके होते हुए इस बारे में कोई समस्याएं नहीं होनी चाहियें। माननीय सदस्य श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा का मैं आभारी हूं जिन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की। मैं महसूस करता हूं कि यदि इस देश में माताएं शिक्षित होंगी तो आपको अच्छे नागरिक उपलब्ध होगें। इसमें शंका की कोई बात नहीं है।

जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के मत प्रकट किये हैं कि गाँवों में कठिनाइयां होंगी उनके साथ मैं सहमत हूं कि लोग अपनी कन्याओं को अध्ययन के लिए भेजने में संकोच करेंगे। मैं यह जानता हूं। परन्तु इस महान देश के उत्तरदायी नागरिक और उत्तरदायी प्रतिनिधि होने के नाते हम इस प्रकार की समस्या को कैसे हल करें? आप इसे छोड़ कर अलग नहीं हो सकते। आप यह नहीं कह सकते कि गांवों के लोग अपनी कन्याओं को स्कूलों में नहीं भेजना चाहते और इसलिये इस विधेयक का कोई महत्व नहीं। इस विधेयक पर विचार करने का यह ढंग नहीं है। यह समस्या तो विद्यमान हैं। हम माता-पिता हैं; हमारे युवा बच्चे हैं जो स्कूलों और कालिजों में जाते हैं। हमें स्थिति का सामना करना है और अपनी पीढ़ी के समाप्त होने से पूर्व में प्रत्येक भारतीय को शिक्षित देखना चाहता हूं। और जब ऐसा हो जायेगा तब भारत सोवियत संघ के समान होगा, भारत जर्मनी

के समान होगा, भारत अमेरिका के समान होगा और एक दिन हमारे लोग चन्द्रमा पर उतरेंगे । यह मेरी आशा है परन्तु यह केवल शिक्षा से ही संभव होगी ।

माननीय सदस्य श्री विभूतिं मिश्र ने भी कुछ उल्लेख किया है और मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ये सदन के प्रवर सदस्य है अतः मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं । उन्होंने कहा कि मैं अपना मकान दान में क्यों नहीं दे देता । यदि उससे अनिवार्य शिक्षा की समस्या हल होती है तो मैं वैसा भी कर दूंगा । परन्तु केवल तर्क के लिए क्या मैं केवल यह पूछ सकता हूं कि पुराने शासक ही क्या सारे त्याग करेंगे । उन्होंने अपने राज्य दिये । आपकी सरकार क्या कर रही है ? यदि हम इतने दानशील हैं तो वह इस बात का उल्लेख करने से क्यों भूल गये कि संसद सदस्यों को प्रतिदिन आयकर से मुक्त 51 रुपये प्रतिदिन का भत्ता प्राप्त होता है ? मैंने इस सम्बन्ध में गणना करने का प्रयास किया और पाया कि यदि अन्य सामान्य व्यक्तियों की आय की तरह इस पर भी कर लगाया जाये तो इससे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो सकता है । यह केवल तर्क ही नहीं है ।

छोटा सा एक और भी जो मजाक मेरे साथ किया गया वह इस प्रकार है । कुछ समय पूर्व किसी ने कहा कि बीकानेर महाराज को निःशुल्क डाक्टरी सहायता मिलती है, इस बात को रोका जाना चाहिये । परन्तु डा० कर्णी सिंह, संसद सदस्य को तो निःशुल्क डाक्टरी सहायता प्राप्त हो सकती है । यह तो बिल्कुल उचित है । पुरानी बातें तो समाप्त हो गई हैं और यह नई बात है । यदि इन नये शासकों को निःशुल्क डाक्टरी सहायता दी जाये तो यह सब ठीक है ।

श्री डी० एन० तिवारी : हम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं ।

डा० कर्णी सिंह : उसके लिए आप जो राशि अदा करते हैं वह आपके घर से अस्पताल तक टैक्सी के किराये के बराबर होती है । फिर भी संसद सदस्यों और मंत्रियों को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं उस सम्बन्ध में मेरे पास पर्याप्त आँकड़े हैं । परन्तु इस समय इस मामले को मैं नहीं उठाऊंगा ।

अपेक्षित धनराशि के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों और मंत्रियों ने मेरी गल्ती ठीक की है । वास्तव में मैं यह नहीं जानता था कि इस सम्बन्ध में क्या व्यय आयेगा । मेरा विचार था कि 10 करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि है । शायद यह व्यय करोड़ों रुपयों में होने वाला है । खैर यह जो कुछ भी हैं, इसे कार्यान्वित करने के लिए साधन जुटाना सरकार का कार्य है ।

यदि आप के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की हानियां रोकी जा सकें, यदि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हिंसा रोकी जाए, यदि आप कुछ सूखा निधियों का, जिनका इस समय व्यर्थ उपयोग हो रहा है, उपयोग करें—मैं सूखा धनराशियों के समुचित उपयोग के विरुद्ध नहीं मैं केवल उनके दुरुपयोग के विरुद्ध हूं —इस सब से पर्याप्त धनराशि मिल सकती है जिसका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिये उपयोग किया जा सकता है । हम सुरक्षा सड़कों सहित सड़कों की मरम्मत पर करोड़ों रुपये व्यय करते हैं । हर बार वर्षा ऋतु के आगमन के साथ सड़कें टूट जाती हैं, उन पर टैंक नहीं भेजे जा सकते । यदि राजस्थान में केवल 3 इंच वर्षा हो तो पाकिस्तानी सीमा तक कोई टैंक नहीं भेजा जा सकता । पिछले वर्ष तथा उससे पहले वर्ष मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा था जिसके साथ चित्र भी भेजे थे । परन्तु सड़कों की स्थिति वही है । मरम्मतों पर करोड़ों रुपये व्यय किये जा रहे हैं,

परन्तु वास्तव में यह धन कहां जा रहा है ? आप इन कमियों को दूर करें और बचे हुए धन को शिक्षा के लिए उपयोग करें ।

श्री राम गोपाल रेड्डी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ाये । यह एक बहुत ही अच्छा विचार है जो कि मुझे नहीं सूझा । इस सदन में ही यदि हम एक व्यक्ति को पढ़ाने की शपथ लें तो यह भी बहुत बड़ी बात होगी । मैं यह शपथ लेता हूं और आज रात्रि से ही यह कार्य प्रारम्भ कर दूंगा । यदि हर व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ाना प्रारम्भ कर दे तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे ।

बंगला देश के बारे में मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर रहा क्योंकि इस विषय पर सोमवार को विचार किया जाना है । मानवता के आधार पर बंगला देश को जो भी आवश्यकताएं हों, भारत तथा हमारे लोग इस विषय में अग्रसर हैं । मैं यह विश्वास करूंगा कि बंगला देश के सम्बन्ध में इस भावना को सरकार नजरन्दाज नहीं करेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये । मैं यह जानता हूं कि इसे पारित करने के लिये अपेक्षित बहुमत उपस्थित नहीं ।

श्री एच० आर० गोखले : अपने भाषण में माननीय सदस्य ने जो व्यवहारिक रूप दर्शाया है उसे देखते हुए क्या मैं उनसे प्रार्थना करूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें ।

श्री आर० एस० पांडे : सरकार अपनी नीति निश्चित करते समय माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखेगी ।

डा० कर्णी सिंह : मैं इस पर आपत्ति नहीं करता । यदि इस सदन की यही इच्छा है तो अपने विधेयक को वापस लेकर मुझे प्रसन्नता होगी । मैं चाहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है माननीय मंत्री महोदय उसे ध्यान में रखें और समय-सीमा निश्चिय करें ।

सभापति महोदय : पहले मुझे संशोधन का निपटान करना होगा । मैं इसे मतदान के लिये रखूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 1 was put and negatived

डा० कर्णी सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The Bill was, by leave, withdrawn

संपरिवर्तन रोक विधेयक
PREVENTION OF CONVERSION BILL

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : I shall congratulate the Governments of Orissa and Madhya Pradesh for passing legislations on this very subject. Actually this is the responsibility of the Central Government.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

The Central Government have failed in its duties towards its citizens. Even one have failed to defend ourselves and this task has been left to Russia. So far as education is concerned, the missionaries have spread all over India and they are opening schools and Hospitals. They are also providing pumps, seeds and other equipment to agriculturists. In this connection, I will request the hon. Minister not to shake off the responsibilities and money should be found out to provide education to our children. These things should not be left to other persons. We should develop amongst the citizens the tendency to sacrifice. This we have been able to do during the pre-independence period. May I know whether the Government have done anything to inculcate in the minds of our citizens the feeling that this is their own country and that for this they should sacrifice cach and everything ?

Our education should be such by which we may feel our motherland to be our own. We are proud of our country where great personalities like Ram, Krishna and Vivekanand were born.

In the year 1956 there were only four thousand missionaries in Madhya Pradesh but now their number is 6420 and the money which was brought by them in M. P. has become Rs. 66 crores in comparisan to Rs. 29 crores. Why they are spending such a huge amount. What is their aim, we should try to find out this secret.

The bill I have introduced have two sides. On one side it stops conversion of minors and on the other it provides that prior permission of the District Magistrate should be taken while changing religion. These days we are thinking of putting a ban on the change of party. Why ? One can change his ideas any time according to the prevailing circumstancees. But it should not be like the present trend. Similarly if one changes his religion for the sake of knowledge and without any pressure, we should not have any objection.

But when a religion comes in a country in the shape of aggression then it is objectionable. Islam came into India not as a creed or as a path to find God. It came here in the shape of aggression and as a result of that Pakistan was created. Islam came here with the sense of separation. It is because of this Shekh Abdulla does not consider himself citizen of India.

Therefore, by this bill I want to put a ban on forcible conversion. It also checks the conversion of religion of minor boys and girls. Conversion of a minor in a state of ignorance, through allurement or pressure or in any other way should be banned. Further this Bills also provides that any major person who want to change his religion would have to obtain the permission of the District Magistrate of his area.

The Central Government should also check religious conversions, which are taking place on a large scale among tribals and other backward people. In the Directive Principles of State Policy in our Constitution it is provided that they must be free from exploitation. It is, therefore, the responsibility of the Central Government to provide protection to the tribals and other backward people against exploitation.

Conversion from one religion to another should also be registered like the registration of marriage.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

'कि अवयस्क व्यक्तियों के धर्म संपरिवर्तन का निर्बन्धन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

Shri Kamal Mishra 'Madhukar' (Kesaria) : The mover of the Bill has criticised some religions which is very undesirable. Persons belonging to various religions are living in India. Here people are free to profess any religion and we should respect each other's religion.

Before criticising any other religion he should have gone through the religion for which he is advocating. There are so many drawbacks in Hindu religion. The upper castes in the past and even today are teasing the lower castes. We should try to mend it.

The Bill is against the spiritual and cultural unity of the country. It may create hatred and disrespect for other religions. It is an out moded Bill and has nothing to do with the unity and progress of the country.

It is against the very assence of the religion to take the permission of District Magistrate while changing religion. This means one will have to take the permission of the District Magistrate for worshipping the God.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं, हमें इसे साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को नहीं देखना चाहिए ।

विधेयक में यह कहा गया है कि अवयस्कों का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । भारत पर आक्रमण होने से पूर्व भी यहां धर्म परिवर्तन होता था पर उस समय किसी प्रकार का खून खराबा या जबर्दस्ती नहीं की गई । धर्म परिवर्तन के इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले हिन्दू धर्म को समझना होगा । यदि हम इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्राचीन धर्म वैज्ञानिक ढंग पर आधारित था और उसे हमें समझना और उस पर चलना चाहिए ।

धर्म परिवर्तन विश्वास के आधार पर होना चाहिए । होता यह है कि यहां गांवों में लोगों को यह बताए बिना कि हिन्दू धर्म वास्तव में है क्या उनकी दरिद्रता के कारण गरीबों का धर्म परिवर्तन किया जाता है । इसे साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं बताया जाना चाहिये बल्कि समस्या के उपरोक्त पहलू का विरोध किया जाना चाहिये मैं बिल का समर्थन साम्प्रदायिक आधार पर न करके देश को उससे हो रही हानि के आधार पर कर रहा हूं ।

किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन तभी किया जाना चाहिए जबकि वह मन से नये धर्म में विश्वास करने लगे । जब तक उसे यह विश्वास न हो जाये कि जिस धर्म को वह अपनाने जा रहा है वह वास्तव में अच्छा है तब तक उसका धर्म परिवर्तन करना अन्याय है इसके लिए यह आवश्यक है कि वह वयस्क हो, उसमें भले और बुरे को समझने की शक्ति हो ।

मैं बिल का समर्थन किसी साम्प्रदायिक आधार पर नहीं कर रहा हूं और न ही हिन्दू धर्म को बचाने के ख्याल से।

लोगों को हिन्दू धर्म की वैज्ञानिकता का ज्ञान होना चाहिए तथा सबको चाहिए कि वे उसकी उस वैज्ञानिकता को मानें। यूरोप वासी जब इसकी वैज्ञानिकता को सुनते हैं तो वे कहते हैं कि आप इसका आचरण वैज्ञानिक ढंग से क्यों नहीं करते पर यह एक अलग प्रश्न है।

हमारे देश में कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, केवल विश्वासों का परिवर्तन हुआ। पर अब उस परम्परा को तोड़ा जा रहा है भारतीय संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है।

अतः मैं इस बिल विधेयक का समर्थन दूसरे ही—वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। हमें सभी धर्मों का निचोड़ निकाल कर उसकी शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शोषण होता है यह चिन्ता की बात नहीं है पर दिक्कत तब होती है जब धर्म के नाम पर राजनीतिक शोषण होता है।

यह सही है कि सीमावर्ती प्रदेशों में ईसाई मिशनरियों ने अत्यधिक शोषण किया है। पर अन्य लोगों ने इस सम्बन्ध में क्या किया इसकी जानकारी भी सदस्यों को होनी चाहिए। वे वहां जाते हैं और वहां के लोगों के बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करते हैं उनकी दयनीय स्थिति और पिछड़ेपन का लाभ उठाते हैं तथा उनका उपयोग अपनी राजनीतिक महत्व कांक्षाओं के लिए करते हैं। यह नहीं होना चाहिए तथा इसी दृष्टिकोण से मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

डा० मेलकोटे को धर्म सम्बन्धी जो ज्ञान है वह अंधविश्वास पर आधारित न होकर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, वास्तव में हिन्दू धर्म सही अर्थों में धर्म नहीं है बल्कि यह एक मत है जिसका सिंधु से पार अनुसरण किया जाता रहा है।

विवेकानन्द के पास ईसा मसीह का मित्र रहता था। अमरीका में कृष्ण सम्प्रदाय चला हुआ है, वे सब हमारे धर्म के ज्ञान पियासे हैं क्योंकि सबका ध्येय अन्त में मानसिक शान्ति पाना होता है, सभी धर्मों का उद्देश्य सच की प्राप्ति है। मेरा राजनीतिकों से अनुरोध है कि वे धर्म से दूर रहें। इतना कहकर मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

Shri D. M. Tiwary (Gopalganj) : I appreciate cleverness of Shri Joshi that he did not mention the name of any religion. But from his speech one can see the real motive behind it. He has brought this Bill as people of Hindu religion are adopting other religions. This Bill is not so simple as it seems to be. Here the individual liberty is at stake. In clause 3 there is a provision for registrations at the time of conversion. It shows that the real intention is something different. No body will like forcible conversion in any way. If we go into the depth of this Bill, we will find that it is not so simple. In our country a girl becomes adult at the age of eighteen. This is her marriageable age. So should she wait for three years for conversion? The Bill is so complicated that it does not look proper to pass it without thinking over it.

The intention of Shri Joshi for bringing the Bill here is explicit. He wants that more people may not adopt Christianity and Islam. But I would ask Mr. Joshi to set his own home in order first.

What are the reasons that so many Hindus adopt other religions ? Of course forcible conversions took place in the past but their number is negligible. It is our behaviour and conduct that let them to take such a step. Shri Joshi may first find out the reasons behind the decreasing number of Hindus.

My religion is Hinduism and I have great faith in Indian Culture. But by bringing such a Bill we cannot save it from deteriorating. The missionaries came from other countries to serve our people. They gave them relief in the form of medicines, food etc. At that time what Arya Samaj was doing ? These people came from far off places and are serving the people with a spirit of dedication. It does not look proper to blame others. Instead of bringing such a Bill, efforts should be made for the upliftment of suppressed people. When the child arrives in this world, it has no religion. It learns religion from his parents. It is possible that the child may not like religion of its parents and the child has no liberty to choose its religion. So I would say that teaching of religion should not be effected up to the age of eighteen years. After the age of eighteen years he or she may adopt any religion of one's choice. So, keeping this point in mind, the Bill seems to be useless. Secondly, it is a subject of concurrent list. The State as well as centre can bring legislation in *this* respect. Many States have formulated legislations. So let them do so. Why the centre should *interfere* in this affair. In the end I will say that Hindu religion consists of different sects. The Buddhists, the Sikhs etc. are all parts of Hindu religion. Hinduism is a way of life which we are following. It is a place of shelter for people of different sects.

***श्री दंडपाणि** (धारापुरम) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसका सबसे पहला कारण यह है कि हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी पसन्द का धर्म अपनाने तथा उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। परन्तु इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार वह ऐसा नहीं कर सकता है अतएव यह विधेयक संविधान के अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करता है। इस विधेयक का खंड 3 और खंड 4 परस्पर विरोधी हैं। इसके अनुसार यदि मां-बाप अपना धर्म परिवर्तन करके अपने बच्चों को कहें कि वे उनके वयस्क हो जाने पर उनका धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो यह एक बड़ा क्रूर प्रस्ताव होगा, बच्चों के लिए अपने मां-बाप द्वारा अपनाए गए धर्म का अनुसरण करना एक स्वभाविक प्रक्रिया है और आप उनसे यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वे वयस्क हो जाने तक प्रतीक्षा करें ।

धर्म किसी के वैयक्तिक जीवन से सम्बन्धित है। धार्मिक विश्वास अपने अपने मन की बात है, मैं माननीय सदस्य श्री तिवारी से इस बात पर सहमत हूं कि हम यह गौर करें कि हम दैनिक जीवन में धार्मिक कार्य किस प्रकार निभाते हैं। तेलंगाना से आए माननीय सदस्य ने हिन्दू धर्म पर दार्शनिक विचार प्रस्तुत किये हैं। मेरे विचार में इस प्रकार के विचार सेवानिवृत्त बूढ़े लोगों का मनोरंजन का साधन है।

हम सभी जानते हैं कि हिन्दू धर्म का ढांचा जातियों के आधार पर खड़ा है। आज भी एक हरिजन व्यक्ति हिन्दू मन्दिर के अन्दर नहीं जा सकता है। जब भारत में विदेशी मिशनरियों का पदार्पण हुआ तो उस समय हमारा देश अशिक्षा के अंधकार में भटक रहा था। शूद्रों के लिए विद्याध्ययन वर्जित था। ऐसे अवसर पर विदेशी मिशनरियों के आते ही ऐसे लोगों के लिए ज्ञान के द्वार खुल गये। यदि धर्मपरिवर्तन पर रोक लगा दी गई तो यह एक बड़ा अनुचति कार्य होगा। इसके स्थान पर सभी धर्मों में उद्देश्यपूर्ण सुधार लाये जायें जिससे धर्मपरिवर्तन उतना आकर्षक न रहे।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

*Summarised translated version based on the English translation of the speech delivered in Tamil.

देश के सभी व्यक्तियों को अपनी पसन्द का धर्म अपनाने तथा उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह विधेयक एक नई समस्या खड़ी कर देगा जिससे किसी को भी लाभ नहीं पहुंचेगा।

धर्म का व्यक्ति के सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। यह नितांत वैयक्तिक जीवन से सम्बन्धित है। धर्म व्यक्ति के दैनिक जीवन के मार्ग को निर्धारित नहीं करता है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं तथा भिन्न-भिन्न मतावलम्बी हैं। मेरे विचार में धर्म का मूल-भूत सिद्धान्त सहिष्णुता होना चाहिए। धर्म को कानून के द्वारा संहिता बद्ध नहीं किया जा सकता है।

मैं श्री जोशी से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसी साधारण सी समस्या के लिए इस विधान पर जोर न दें। मेरा उनसे यह कहना है कि वे अपनी समस्त शक्तियां हिंदू धर्म और इसकी अनगिनत संस्थाओं में सुधार लाने के लिए लगायें। अनुसूचित जातियों के मन में यह भय निराधार नहीं है कि सवर्ण हिन्दुओं ने शताब्दियों से उनका शोषण किया है। अतएव पहले यह भय उनके मन से निकाला जाये। इस विधेयक में यह उपबन्ध तर्कसंगत नहीं है कि किसी अव्यस्क को फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाये। यह कार्यवाही तो निवारक निरोध अधिनियम से भी अधिक प्रगति विरोधी है। अतएव मेरा श्री जोशी से अनुरोध है कि वे इस विधेयक को वापिस ले लें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : इस विधेयक का विरोध करते हुए मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं भी किसी अवयस्क को प्रलोभन अथवा दबाव द्वारा धर्मपरिवर्तन करने के लिए बाध्य करने के विरुद्ध हूं। परन्तु दुर्भाग्यवश श्री जोशी द्वारा प्रस्तुत विधेयक व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण करता है। इस विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, अपना धर्म नहीं बदल सकता है। विधेयक का यह खंड संविधान के अनुच्छेद 25 के विरुद्ध है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यदि इस विधेयक को न्यायालय में चुनौती दी जाये तो यह वहां विफल हो जायगा।

इस विधेयक के खंड 5 में कहा गया है कि इस विधेयक के अन्तर्गत धर्मपरिवर्तन करने का सुझाव देना भी दण्डनीय होगा। मेरा यह कहना है कि इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि समाज में अन्तरजातीय विवाह हो और वह अन्य व्यक्तियों को विवाह से पूर्व धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है तो उसका यह कार्य इस विधेयक के अनुसार शरारत-पूर्ण माना जायेगा। यह वैयक्तिक कानून की अवहेलना करता है।

इस विधेयक की धारा 6 बहुत ही आक्षेपपूर्ण है। जब किसी जिलाधिकारी को धर्मपरिवर्तन के लिए अनुमति देने का अधिकार दिया जाता है तो वह अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यह स्पष्टतः संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है क्योंकि मुझे अपनी इच्छानुसार धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रखें।

चम्बा स्थित हरिराय मन्दिर से चुराई गई विष्णु भगवान की मूर्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : VISHNU IDOL STOLEN FROM HARI RAI TEMPLE, CHAMBA

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं अपने सहयोगी शिक्षा मंत्री की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री ने श्री विक्रम महाजन और अन्य संसद सदस्यों द्वारा उठाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 21 जून 1971 को एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में चम्बा स्थित हरिराय मन्दिर से एक धातु की मूर्ति 6/7 मई 1971 की रात को चुरा ली गई थी और मूर्ति को बरामद करने के बारे में जांच चल रही है और सरकार को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि मूर्ति को भारत से बाहर ले जाया गया है।

शिक्षा मंत्री स्वयं यहां नवीनतम स्थिति के बारे में समाचार देने को उपस्थित नहीं हैं इसीलिए मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि विष्णु की मूर्ति आज प्रातः बम्बई से बरामद हो गई है। यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि यह वही मूर्ति है जो हरिराय मन्दिर से चुराई गई थी।

पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे जांच कार्यवाही कर रही है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 28 जून, 1971/7 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, June 28, 1971/Asadha 7, 1893 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—9-10-71—340